लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 51 to 57]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 52, गुरुवार, 25 मई, 1972/4 ज्येष्ठ, 1894 (शक)

No. 52, Thursday, May 25, 1972/Jyaistha 4, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
981. आसनसोल कोयला क्षेत्र को कोलियरी मजदूर कांग्रेस द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Colliery Mazdoor Congress of Asansol Coal Belt ..	1—4
983. व्यापारियों को इस्पात के आवंटन के बारे में कुरैशी समिति का प्रतिवेदन	Qureshi Committee Report re. Allocation of Steel to Traders ..	4—5
985. जर्मन जनवादी गणतन्त्र का प्रतिनिधि मंडल	Delegation from G.D.R. ..	5—7
987. आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला क्षेत्र में तांबा, सीसा के खनन कार्य में प्रगति	Progress in Copper Lead Mining in Agnigundala Area of Andhra Pradesh ..	7—9
988. निर्माण उद्योग में कर्मचारियों के लिये उपदान (ग्रेच्युटी) योजना	Gratuity Scheme for Employees in Construction Industry ..	9—10
989. मई दिवस को श्रमिकों की छुट्टी	Labour Holiday on May Day ..	10—11
991. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा	Security of Service for Construction Workers ..	11—13
993. सैगोन में बिना मुकदमा चलाये भारतीयों की नजरबन्दी	Detention without Trial of Indians in Saigon ..	14—15
994. देश में अपूर्ण रोजगार	Under-Employment in the Country ..	15—18

7ी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
995. अधिक मूल्य के लाइसेंसों की जांच करने के लिये विशेष सेल बनाया जाना	Investigation of large value Licences by Special Cell	..	18—19
996. बिहार में खनिज आधारित उद्योगों को बिहार सरकार को सौंपना	Handing over of Mineral Based Industries in Bihar to Bihar Government	..	19
982. कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees' Provident Fund	..	19—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
984. केरल में इस्पात कारखाना लगाना	Setting up of a Steel Plant in Kerala	..	23
986. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा कोयला खानों के लिये प्राप्त विदेशी तकनीकी सहायता	Technical Foreign Assistance for Coal Mines Secured by Tata Iron and Steel Company	..	24
990. भिलाई इस्पात कारखाने में औद्योगिक संबंध	Industrial Relations in Bhilai Steel Plant	..	24
992. एलुमीनियम में आत्म-निर्भरता	Self-Sufficiency in Aluminium	..	25
997. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नियंत्रणाधीन कोयला खानों में उत्पादन	Production in Collieries run by N.C.D.	..	25—26
999. कलकत्ता स्थित भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के माइनिंग एण्ड ड्रिलिंग डिवीजन को फरीदाबाद के एक निगम को सौंप दिया जाना	Transfer of Mining and Drilling Division of GSI Calcutta to a Corporation at Faridabad	..	26
1000. मजदूर संघों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartite talks among Labour Organisations	..	26
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7364. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग केरल सर्किल एनेक्सी की इमारत	Building of Geological Survey of India Kerala Circle Annexe	..	27—28

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7365. बिहार और पश्चिम बंगाल में बोनस फार्मूला लागू करना	Application of Bonus Formula in Bihar and West Bengal	..	28
7366. बिहार में सिंहभूम, धनबाद और पालामऊ में खानों और कारखानों के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्यनिधि का लाभ न दिया जाना	Mines and Factories not covered by E. P. F. in Singhbhum, Dhanbad and Palamau in Bihar	..	28
7367. बिहार में भवन निर्माण तथा ईंटें बनाने के लिए मिट्टी खौदने के लिए लाइसेंस	Licence for digging out Sand from Earth for Building and Brick making Purposes in Bihar	..	29
7368. इन्दौर रोलिंग मिल्स, इन्दौर को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Indore Rolling Mills, Indore	..	29
7369. बिहार में चांदी के निक्षेप	Silver deposits in Bihar	..	29
7370. इन्दौर स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड यार्ड द्वारा मैसर्स पुरुषोत्तम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to M/s Purushottam Traders Pvt. Ltd. Indore by Hindustan Steel Limited Yard at Indore	..	30
7371. इण्डो-चीन के बारे में भारत-ब्रिटिश वार्ता	Indo-British talks on Indo-China	..	30
7372. हनोई (उत्तर वियतनाम) में भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा	Safety of Indian Staff in Hanoi (North Vietnam)	..	30
7373. पाकिस्तान के ठाकुरपुर जिले से आये शरणार्थी	Refugees from Thakurpur District of Pakistan	..	31
7374. पश्चिम पाकिस्तान से आये दिल्ली की कालोनियों में बसे लोगों को कृषि भूमि का आवंटन	Allotment of agricultural land to Delhi Colonists from West Pakistan	..	31
7375. कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coal Industry	..	31—32
7376. नारियल रेशा की खरीद	Purchase of Coir	..	32—33
7377. चीन के साथ व्यापार संबंध	Trade relations with China	..	33
7378. महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़ा उद्योग को बिजली की कमी और कोयले के लिये वैगन सप्लाई न करने के कारण हानि	Losses due to power shortage and non-supply of Coal Wagons to Textile Industry in Maharashtra	..	33—34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7379. मेघालय में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered Unemployed in Meghalaya ..	34
7380. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered Unemployed in Andaman and Nicobar Islands ..	34
7381. संयुक्त विज्ञप्ति पर चीन और अमरीका को विरोध पत्र भेजा जाना	Protests to China and U.S.A. over their Joint Communique ..	35
7382. भारतीय विद्यार्थियों का नई दिल्ली स्थित अमेरिकन इन्टर-नेशनल स्कूल में दाखिला लेने से रोका जाना	Stopping Indian Students from attending American International School, New Delhi ..	36—36
7383. चक्रवात तथा बाढ़ से पीड़ित उड़ीसा के किसानों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to Orissa for Farmers affected by cyclone and floods ..	36
7384. विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना	Opening of Foreign Cultural Centres	36—37
7385. स्वनियोजन योजना	Self-employment scheme ..	37—38
7386. फेडरेशन आफ आल इण्डिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्सयूनियन से अभ्यावेदन	Representation from Federation of All India Hindustan Construction Workers Union ..	38—39
7387. निर्माण उद्योग के बारे में आयोग	Commission of Construction Industry ..	39
7389. अभ्रक उद्योग के विकास के लिये बोर्ड का गठन	Setting up of a Board for development of Mica Industry ..	39
7390. पश्चिम बंगाल में झरिया और रानीगंज के समीप कोयला खानों में कोयला जमा हो जाना	Accumulation of Coal at Collieries near Jharia and Raniganj in West Bengal ..	40
7391. लाभप्रद निक्षेपों पर खनन कार्य के लिये मशीनें लगाना	Setting up of Mechanised Mines on promising deposits ..	40—41
7392. नागालैंड-बर्मा सीमा के सीमांकन के परिणामस्वरूप विस्थापित हुये व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of persons uprooted as a result of Demarcation of Nagaland-Burma Border ..	41
7393. कीटाणु हथियारों पर प्रतिबंध	Ban on Biological Weapons ..	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

7394. इन्दौर, मध्य प्रदेश में इस्पात ढलाई कारखाने	Moulding Steel Units in Indore, Madhya Pradesh ..	41—42
7395. विभिन्न निगमों में कर्मचारियों के वेतनों में विषमता	Disparities in Wages of Employees in various Corporations ..	42
7396. महाराष्ट्र में छोटे स्तर की पुनर्बेलन मिलों में बिलेट का आवंटन	Allocation of Billets to Small Scale Re-rollers in Maharashtra ..	42—43
7397. गुजरात में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा खनन कार्य	Mining by Hindustan Zinc Limited in Gujarat ..	43
7398. बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को रहने के लिये क्वार्टर देना	Residential Quarters to Employees of Bakaro Steel Plant ..	43
7399. बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Residential Quarters for Employees of Bokaro Steel Plant ..	44
7400. बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था	Transport Arrangements for Employees of Bokaro Steel Plant ..	44
7401. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों पर व्यय	Expenditure on Meetings of C.B.T. of E.P.F. ..	44—45
7402. भारतीय पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद	Translation of Indian Books into Foreign Languages ..	45—46
7403. समान श्रम कानून	Uniform Labour Laws ..	46
7404. खनिज़ पदार्थों का निर्यात	Export of Minerals ..	46—47
7405. पूर्ति विभाग के सतर्कता विभाग पर व्यय	Expenditure in Vigilance wing of Department of Supply ..	47—48
7406. खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के ट्रांसफार्मरों में आग	Fire in Transformers of Khetri Copper Project ..	49
7407. खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में कोर केबल की खरीद	Purchase of Core Cable in Khetri Copper Project ..	49—50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

7409. केरल में बाक्साइट और पारे के निक्षेप	Bauxite and Mercury Deposits in Kerala ..	50
7410. उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार	S.C. and S.T. Educated Unemployed in U.P., Bihar and Rajasthan ..	50—51
7411. हार्ड कोक की कमी के कारण दिल्ली में कारखानों का बन्द होना	Closure of Factories in Delhi due to shortage of Hard Coke ..	52
7412. मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को हुई हानि	Loss Incurred by Mysore Iron and Steel Ltd ..	52—53
7413. श्रीलंका में एक भारतीय व्यापारी की मृत्यु	Death of an Indian Businessman in Ceylon ..	53
7414. निजी क्षेत्र में कोयला खानें	Coal Mines in Private Sector ..	53
7415. बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को लागू करने में अनियमिततायें	Irrigularities in Implementation of E.P.F. Act in Bihar State Road Transport Corporation ..	53—54
7416. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में 'सिब्बन्दी' की परिभाषा	Definition of 'Establishment' in E.P.F. Act, 1952 ..	54
7417. परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निगम	Family Pension-cum-Life Assurance Scheme ..	54—55
7418. भविष्य निधि पर आयकर	Income-tax on Provident Fund ..	55
7419. इस्पात और खान मंत्रालय में तदर्थ आधारों पर नियुक्ति	Appointments in Ministry of Steel and Mines at ad-hoc basis ..	55—56
7420. आन्ध्र प्रदेश में स्वर्ण निक्षेपों की खोज	Exploration of Gold Deposits in Andhra Pradesh ..	56
7421. रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए इस्पात की उपलब्धता	Steel for Domestic House Building Purposes ..	56
7422. बिहार में कोयले का उत्पादन तथा उसका उपयोग	Production and Utilization of Coal in Bihar ..	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
7423. निर्माण उद्योग के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना	E.P.F. Scheme for Employees in Construction Industry ..	57
7424. रूरकेला इस्पात संयंत्र के श्रमिकों पर धमन भट्टी गैस का प्रभाव	Effect of Blast Furnace Gas on Workers of Rourkela Steel Plant ..	57—58
7425. भवन निर्माण मजदूरों के लिए समान सेवा नियम	Uniform Service Rules for construction Workers ..	58
7426. विदेशी पर्यटकों को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति न देना	Foreign Tourists not allowed to enter into Pakistan ..	58
7427. मध्य प्रदेश की कोयला खानों द्वारा खान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Mines Regulation Act by Coal Mines in Madhya Pradesh ..	58—59
7428. मध्य प्रदेश में सीसा भट्टी की स्थापना	Setting up of Lead Furnace in Madhya Pradesh ..	59
7429. मध्य प्रदेश में स्पंज लौह संयंत्र का विस्तार करने के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of a Licence for Expansion of Sponge Iron Plant in Madhya Pradesh ..	59
7430. मध्य प्रदेश के न्यायालयों में विचाराधीन पड़े कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामले	Criminal Cases under E.P.F. Pending in Madhya Pradesh Courts ..	59—60
7431. कर्मचारी भविष्य निधि खातों के अंतरण के लिए अनुरोध	Requests for Transfer of E.P.F. Accounts ..	60
7432. सांविधिक मजूरी बोर्ड	Statutory Wage Boards ..	60
7433. राजस्थान में राक फास्फेटों के निक्षेप	Rock Phosphates Deposits in Rajasthan ..	60—61
7434. कोयम्बटूर की कपड़ा मिलों के लिए औद्योगिक सम्बन्धी आयोग	Industrial Relations Commission for Textile Mills in Coimbatore ..	61
7435. इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Steel ..	61
7436. अमरीकी सी० आई० ए० द्वारा नागाओं को उकसाया जाना	Inciting of Nagas by C.I.A. ..	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
7437. निर्माण उद्योग के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं	Medical Facilities in Employees of Construction Industry ..	62
7438. बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी	Delay in Submission of Report by Expert Committee on Unemployment ..	62—63
7439. नये स्वतन्त्र हुए अफ्रीकी देशों के साथ सम्बन्ध	Relations with Newly Independent African Nations ..	63
7441. ड्यूटी पर मारे गये श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा	Compensation to Workers killed on Duty ..	63
7442. भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुन: रोजगार की व्यवस्था करना	Resettlement of Ex-servicemen ..	64
7443. 'मरी' वार्ता के समाचार भेजने के लिए भारतीय संवाददाताओं पर प्रतिबन्ध	Ban on Indian Newsmen to cover Murree Talks ..	64
7444. बंगला देश में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना	Trial of War Criminals in Bangladesh ..	64—65
7445. अमेरिकन इन्टरनेशनल स्कूल	American International School ..	65
7446. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता	Preference in employment to Local People by Public Sector Undertakings ..	65—66
7447. नियोजकों के अखिल भारतीय संगठन का 39वां अधिवेशन	39th Session of All India Organisation of Employers ..	66
7448. राज्यों से वस्तुओं की खरीद	Procurement of Goods from States ..	66—67
7449. कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वियन	Implementation of Recommendations of Coal Wage Board ..	67
7450. श्रीलंका सरकार द्वारा सेथु समुद्रम परियोजना के निर्माण पर आपत्ति	Objection to Construction of Sethu Samudram Project by Ceylon Government ..	67
7451. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में उत्पादन	Production in Hindustan Copper Ltd. ..	68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7452. बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्ट्स तथा कामर्स स्नातकों में बेरोजगारी	Unemployment among Arts and Commerce Graduates in Bihar and West Bengal ..	68—69
7453. सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में अत्यावश्यक उपकरणों के खराब होने के कारण क्षमता का कम उपयोग	Breakdown of critical equipments leading to under utilization in Public Sector Steel Undertakings ..	70
7454. हीरा मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड उज्जैन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न कराया जाना	Non-deposit of E. P. F. by Hira Mills (P) Ltd., Ujjain ..	70
7455. निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड के बारे में ज्ञापन	Memorandum Regarding Wage Board for Construction Workers ..	71
7456. खेतड़ी तांबा परियोजना के कार्मिक संघ के नेताओं को परेशान करना	Victimisation of Trade Union Leaders of Khetri Copper Project ..	71—72
7457. तांबा मजदूर संगठन, खेतड़ी तांबा परियोजना से ज्ञापन	Memorandum from Tamba Mazdoor Sanghthan, Khetri Copper Project ..	72
7458. टेंडर मंगाये बिना खेतड़ी तांबा परियोजना के निर्माण कार्य का ठेका देना	Award of construction work of Khetri Copper Project without calling for tenders	72—73
7459. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से चोरी हुआ इस्पात	Steel stolen from Durgapur Steel Plant ..	73
7460. झांसी, साबरकांठा और कोजीकोड़ में तांबा, निकल और लोहे के निक्षेप	Deposits of Copper, Nickel and Iron in Jhansi, Sabarkantha and Kozikode ..	73—74
7461. रूरकेला इस्पात संयंत्र के उष्मसह ईंट विभाग द्वारा उष्मसह ईंटों की खरीद	Purchase of Refractories by Refractories Department of Rourkela Steel Plant ..	74
7462. रूरकेला इस्पात संयंत्र के अफसरों के पुत्रों द्वारा दुकान खोलना	Opening of shops by sons of Officers of Rourkela Steel Plant ..	74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7463. हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में यूनियनों का विरोध	Unions in Opposition to ban on Strikes ..	75
7464. ब्रिटेन में आव्रजकों का प्रवेश	Entry of persons into U. K. ..	75
7465. खान अधिनियम में संशोधन	Amendment of Mines Act ..	75—76
7466. दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड मेकेनिकल इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारी	Mechanical Engineering Diploma Holders registered with Employment Exchanges in Delhi ..	76
7467. गैर सरकारी क्षेत्र में रोलिंग मिलों द्वारा बिलेट तथा अन्य इस्पात उत्पादों की सप्लाई	Supply of billets and other steel products by Rolling Mills in Private Sector ..	77
7468. औद्योगिक एककों द्वारा एल्युमिनियम के (फायल) पल्ली बनाना	Manufacture of Aluminium foils by Industrial Units ..	77—78
7469. केन्द्रीय मजदूर संगठनों तथा मालिकों के बीच समझौता	Accord between Central labour Unions and Employees ..	78
7470. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, कोटा के गोदाम से माल बेचने के लिए एजेंटों की नियुक्ति	Appointment of agents for sale of goods from Godown of Hindustan Steel Ltd., Kota ..	78—79
7471. मैसर्स हिन्दालको द्वारा तीसरी 'प्रोपरजी' मशीन चलाने के लिए अनुमति मांगना	Permission sought by M/s Hindalco for Commissioning Third Properzi Machine ..	79
7472. बंगलादेश का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल	Indian delegations to Bangladesh ..	79—80
7473. कोलगेट पामोलिव कम्पनी, बम्बई में स्वचलन	Automation in Colgate Palmolive Company, Bombay	80
7474. श्रम न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन पड़े पंजाब नेशनल बैंक के मामले	Punjab National Banks cases pending with Labour Tribunal ..	80—81
7475. इस्पात तथा खान मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां	Welfare activities for staff of Ministry of Steel and Mines ..	81—82
7476. काकीनाडा और मछलीपटनम बन्दरगाहों के विकास के लिए इस्पात देना	Release of steel for development of Kakinada and Machilapatnam Ports ..	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
7477. आन्ध्र प्रदेश में स्पंज लोहे का कारखाना स्थापित करना	Setting up a Sponge Iron Plant in Andhra Pradesh ..	82—83
7478. प्रत्यार्पण के मामले	Extradition Proceedings ..	83
7479. समझौता वार्ता में सफलता	Success in Reconciliation Proceedings ..	83
लौह अयस्क के लिए मध्य प्रदेश को दी गई रायल्टी के बारे में दिनांक 11 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5818 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to USQ No 5818 dated 11.5.72 re.Royalty for Iron ore paid to Madhya Pradesh ..	84
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
रूस द्वारा तैयार किये गये भारत के गलत मानचित्रों के पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर परिचालन की संभावनाओं के समाचार	Reported Possibilities of Extensive Circulation in Western Countries of erroneous Soviet maps of India ..	84—87
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury ..	84—85
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	84—87
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	87—88
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ..	89
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	90
13वां प्रतिवेदन	Thirteenth Report ..	90
चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में	Re. Hunger Strike by Government Employees in Chandigarh ..	90
नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion Under Rule 388 ..	91
खान (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में नियम 74 के परन्तुक का निलम्बन	Suspension of Proviso to Rule 74 in respect of Mines (Amendment) Bill ..	91
खान संशोधन विधेयक—	Mines (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत	Motion for reference to Joint Committee Adopted ..	91—94
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक— वाद-विवाद स्थगित किया गया	Industrial Disputes (Amendment) Bill— Debate—Withdrawn ..	94—106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	94
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	94—95, 102, 104
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	95—96
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	96—97
श्री सी० एम० स्टीफेन	Shri C. M. Stephen	97—98
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	98—99
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder ..	99—100
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik ..	100—101
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni ..	101
श्री आर० बी० बड़े	Shri R. V. Bade	101—102
श्री बसन्त साठे	Shri Vasant Sathe ..	102
खण्ड 2	Clause 2 ..	104—106
प्रसूति सुविधा (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Maternity Benefit (Amendment) Bill ..	106—107
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha ..	107
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma ..	106—107
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ..	107
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan ..	107
खण्ड 2,3 और 1	Clauses 2, 3, and 1	108
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	108
औषधि और प्रसाधन (संशोधन) विधेयक	Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill ..	108—110
विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider as passed by Rajya Sabha ..	108
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhyaya ..	108
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ..	108—109
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	109
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 ..	109—110
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ..	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के एक वैज्ञानिक डा० वी० एच० शाह द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—वापिस लिया गया	Motion Re. Statement on Suicide by Dr. V. H. Shah, a Scientist of IARI, New Delhi—withdrawn ..	110—122
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	110—112, 121—122
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya ..	112
श्री बसन्त साठे	Shri Basant Sathe ..	113
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan ..	113, 114
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ..	114
श्री हेनरी आस्टिन	Shri Henry Austin ..	114—115
श्री पी० वी० जी० राज	Shri P. V. G. Raju ..	115
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	115—117
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi ..	117
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda ..	117
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan ..	117—118
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik ..	118—119
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	119
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	119—120
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ..	120—121

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 मई, 1972/4 ज्येष्ठ, 1894 (शक)
Thursday, May 25, 1972/Jyaistha 4, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह

श्री समर गुह : मैं विरोध में अपना एक प्रश्न पूछता हूं। इस प्रश्न के अतिरिक्त मैं ने विदेश मन्त्री से चार अन्य प्रश्न पूछे थे, परन्तु इन सब प्रश्नों को मनमाने तौर पर अस्वीकार कर दिया गया था और मुझे काफी विलम्ब से सूचना दी गई थी। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए कोई प्रावधान है, मैं नहीं जानता कि बंगला देश से सम्बन्धित इस प्रश्न को तथा अन्य प्रश्नों को मनमाने तौर पर क्यों अस्वीकार किया गया है, मेरा निवेदन है कि अधिकारी मनमाने तौर पर सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों को अस्वीकार न करें और प्रश्नों की उस प्रकार जांच न की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री समर गुह : प्रश्न संख्या 981।

आसनसोल कोयला क्षेत्र को कोलियरी मजदूर कांग्रेस द्वारा हड़ताल का नोटिस

*981. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल कोयला क्षेत्र की "कोलियरी मजदूर कांग्रेस" ने श्रम मन्त्री को कोयला खान मजदूरों की हड़ताल का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कोयला खान मजदूरों की मुख्य मांगें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) आसनसोल क्षेत्र में कोयला खान मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). अपनी कुछ मांगों के अनुसरण में कोलियरी मजदूर कांग्रेस ने आसनसोल क्षेत्र में 44 कोयला खानों के प्रबन्धकों को 21 अप्रैल, 1972 को एक हड़ताल का नोटिस दिया था, जिसकी एक प्रतिलिपि, अन्यों के साथ साथ, श्रम मन्त्री को भी भेजी गई थी। इन मागों में परिवर्ती मंहगाई भत्ते, और वेतन वृद्धि की दर, उपदान योजना के प्रारम्भ किए जाने, वार्षिक बोनस और तिमाही बोनस की अदायगी, बन्द पड़ी कोयला खानों को पुनः खोलने और कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्व तिथि से लागू किया जाना शामिल है। हड़ताल के नोटिश की प्राप्ति पर, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), आसनसोल के प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने समझौता कार्यवाहियां हाथ में ले ली हैं, जिनके लिए अगली तारीख 25 मई, 1972 निश्चित की गई है।

श्री समर गुह : प्रत्येक श्रमिक का धैर्य समाप्त हो चुका है। एक महीने से अधिक समय से 2000 श्रमिकों की, बारी बारी से भूख हड़ताल चल रही है ; आम हड़ताल, जो अब 12 जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई है, हिन्द मजदूर सभा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सी० आई० टी० यू० द्वारा आयोजित की गई है तथा उनके द्वारा समर्पित है। उन्होंने नोटिस दिया है कि यदि उनकी उचित मांगें पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती हैं तो वे 12 जुलाई को हड़ताल करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ये मांगें जिनका वर्णन अभी किया गया है, कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित हैं अथवा सरकार ने इन सिफारिशों का अनुमोदन किया है। यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय इन मांगों को उचित समझते हैं ? यदि ये मांगें उचित हैं तो समझौते को स्वीकार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि यह समझौता विफल हो जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इन सभी मांगों पर समझौता कार्यवाही चल रही है और यह शान्त वातावरण में चल रही है। मैं इस समय कह नहीं सकता कि क्या ये मांगें उचित हैं अथवा नहीं। जब समझौता कार्यवाही समाप्त हो जाएगी तब इसका प्रतिवेदन प्राप्त कर मैं यह कहने की स्थिति में हूंगा कि क्या ये उचित हैं।

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कोयला खान मालिकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 281 कोयला खानों ने इन सिफारिशों को पूरी तरह से क्रियान्वित किया है और इनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 2,20,159 है। 293 कोयला खानों ने आंशिक तौर पर सिफारिशों को क्रियान्वित किया है और इनमें 1,83,430 श्रमिक हैं। जब मैं यह कहता हूं कि उन्होंने सिफारिशों को क्रियान्वित किया है तो यह सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। कुछ मामलों में क्रियान्विति समझौतों के आधार पर हुई है जो पूरी तरह से मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि इस लम्बी बातचीत और इनकी क्रियान्विति से बचने को ध्यान में रखते हुए हम भारत रक्षा नियमों का यथासम्भव सहारा लेने पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, ताकि इन सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित किया जा सके।

श्री समर गुह : क्या यह सच नहीं है कि आसनसोल क्षेत्र में कई कोयला खानें बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं ? यदि इन कोयला खानों को अविलम्ब न खोला गया तो क्या सरकार उनको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करेगी ? मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान श्री तुषार कांति घोष द्वारा कल दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कोयला खानों ने सरकार को 30 करोड़ रुपयों की रायल्टी देनी है ? क्या सरकार इस रायल्टी को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने यह समाचार देखा है कि बड़ी मात्रा में रायल्टी अभी वसूल की जानी है। जहां तक कतिपय कोयला खानों के बन्द होने का प्रश्न है, इस क्षेत्र में अराजकता व्याप्त है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आसनसोल में नहीं।

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे एक रिपोर्ट मिली है, मैंने बंगाल सरकार को पत्र लिखा है और उनका कहना है कि इस अराजकता और गुंडागर्दी के कारण कुछ श्रमिक कोयला खानों को छोड़कर चले गये हैं।

श्री समर गुह : गत तीन महीनों से बिल्कुल भी अराजकता नहीं हुई है।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह मेरी सूचना है।

Shri R. N. Sharma : The question was asked about 44 collieries and the hon. Minister has replied about 400 collieries. Regarding the partial implementation of Wage Board Award in respect of 1,81,000 workers, I want to know what efforts have been made by the Government under the code of discipline ? Today the Government talks of the Defence of India Rules. May I know what steps they are taking to make the award of Statutory Wage Board enforceable ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह पंचाट सांविधिक नहीं था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम आगे से यह देखेंगे कि मजूरी बोर्ड के पंचाटों को सांविधिक बनाया जाये। यह देखने के लिए कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाये, हम इसे अन्य तरीकों से लाने में सफल नहीं हुए हैं। ऐसा कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाये तथा भारत रक्षा नियम को किस प्रकार लागू किया जाये। मैं यह सूचना दे सकता हूं कि कितने मुकदमें चलाये गये और मैं अन्य सूचनाएं भी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप वचन मत दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट के अनुसार परिवर्ती मंहगाई भत्ते में जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर कई बार, जब से पंचाट दिया गया था और वर्तमान समय के बीच, वृद्धि की जानी थी और यदि हां तो क्या यह सच नहीं है कि इन बहुत सी कोयला खानों में, वस्तुत: अधिकांश ने मंहगाईभत्तेमें वृद्धि नहीं दी है जोकि दी जानी चाहिये थी। जैसा कि मैं समझता हूं इस समय हड़ताल का उद्देश्य यही है कि मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर, जो उनको देय है, दी जानी चाहिये और उनकी देय बकाया राशि का भी भुगतान किया जाना चाहिये।

कोयला खान मालिकों द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है या नहीं, इस बारे में समझौता अधिकारी के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना सरकार का इस संबंध में क्या विचार है ? क्या यह सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक परिवर्ती मंहगाई भत्ते का भुगतान करने का प्रश्न है, यह सच है कि इस सम्बन्ध में कई कोयला खान मालिक दोषी हैं। परन्तु सर्वप्रथम हिन्द मजदूर सभा ने नोटिस दिया था, तदुपरान्त हिन्द मजदूर सभा, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने संयुक्त-रूप से नोटिस दिया है। अब मुझे कहा गया है कि इसमें एक और यूनियन भी शामिल हो गई है। आरम्भ में जब तक उन्हें समझौता अधिकारी के पास न भेजा जाये कि वर्तमान समय में क्या सम्भव हो सकता है, मैं नहीं समझता कि हम मनमाने तौर पर कोई निर्णय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए जो वादविवाद का रूप ले लेता है। इसमें बहुत समय लगता है। एक प्रश्न ने 15 मिनट ले लिये हैं। अतएव संपूर्ण प्रश्न काल में केवल चार प्रश्न पूछे जायेंगे। अगला प्रश्न।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने इस प्रश्न को पहले कभी नहीं उठाया था। जब हम प्रश्नों को प्राथमिकता के आधार पर करते हैं तो इसका पालन नहीं किया जाता है। तारांकित सूची में आने वाला प्रश्न वह नहीं है, जिसको माननीय सदस्य ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा भी हो सकता है कि कभी वह प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया हो। यह एक कारण हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिनको स्वीकार नहीं किया जाता है, उनके बारे में हमें सूचना मिल जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक प्रश्न को, जिसे प्राथमिकता दी गई थी, अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिया गया है और माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न को कम प्राथमिकता दी है उसे तारांकित प्रश्नों की सूची में रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : हजारों प्रश्न प्राप्त होते हैं। कभी-कभी वे सचिव महोदय अथवा मेरी नजर में नहीं आते हैं। फिर भी मैं पुनः इस प्रक्रिया को देखूंगा।

Qureshi Committee Report re. Allocation of Steel to Traders

*983. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Qureshi Committee has submitted its report on allocation of steel to traders in July, 1971 ; and

(b) if so, the main recommendations thereof ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) व्यापारियों को इस्पात के वितरण के बारे में कुरैशी समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि व्यापारियों को समय-समय पर माल देने का इस्पात प्राथमिकता समिति की मात्रा निश्चित करने की उस समय की प्रवर्त्तमान प्रणाली को जारी रखा जाए।

जहां तक उत्पादकों की किताबों में व्यापारियों के बड़ी मात्रा में बकाया आर्डरों को खत्म करने का सम्बन्ध है, उन्होंने सिफारिश की थी कि पुराने आर्डरों को नए आर्डरों में बदलने के लिए प्रोत्साहन-हेतु व्यापारियों के पुराने और नए आर्डरों के लिए माल की मात्रा अलग-अलग निश्चित की जाए और यदि व्यापारी पुराने आर्डरों को रद्द कराकर कम मात्रा के लिए नए आर्डर बुक करायें तो उन्हें बिना बयाना दिए आर्डर बुक कराने की सुविधाएं दी जायं।

Shri M. C. Daga : May I know the criterion for its distribution among the producers other than this Government or they distribute it arbitrarily ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि ऐसे दो संगठन हैं जिन्हें इस्पात के वितरण के संबंध में स्थापित किया गया है। पहला संयुक्त संयंत्र समिति है जिनमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि हैं और दूसरा इस्पात प्राथमिकता समिति है जिसके अध्यक्ष इस्पात विभाग, भारत सरकार के सचिव हैं। यह प्रक्रिया अपनायी जाती है कि इस्पात के इच्छुक सभी व्यक्तियों को उत्पादकों को आर्डर देना पड़ता है और दूसरा, विभिन्न सरकारी तथा अर्ध-सरकारी प्राधिकारी इन आर्डरों को अनुमोदित करते हैं। संयुक्त संयंत्र समिति और इस्पात प्राथमिकता समिति राष्ट्रीय आधार पर आवश्यकताओं पर विचार करके प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी। इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जाती है और विस्तार से चर्चा करने के उपरान्त निर्णय किया जाता है कि हमारे देश के विभिन्न वर्गों के उद्योगों को कितना इस्पात वितरण किया जाना चाहिए।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि वर्तमान व्यवस्था, जिसमें विलंब होता है, के कारण वास्तविक उपभोक्ताओं और कभी-कभी अर्द्ध सरकारी संगठनों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस्पात प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : विनियमन की किसी भी व्यवस्था में विलंब होता है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें विलंब यथासंभव कम हो।

Delegation from G. D. R.

+

*985. **Shri Hari Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a team from German Democratic Republic came to New Delhi recently ; and

(b) if so, the main subjects discussed ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। जर्मन जनवादी गणतंत्रों से 2 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 26 से 27 अप्रैल, 1972 तक नई दिल्ली की यात्रा की।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संबद्ध आपसी हित के मामलों पर और विश्व की अन्य समस्याओं पर विचार विनिमय किया।

श्री हरी सिंह : क्या जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के दल ने अपनी चर्चा के दौरान भारत सरकार द्वारा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता दिये जाने के प्रश्न को रक्खा था और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार का क्या रवैया था ?

अध्यक्ष महोदय : मै जानता था कि इस प्रश्न के लिये ही मूल प्रश्न किया गया था।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस शिष्ट मण्डल के भारत आने का मुख्य प्रयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन में अपने प्रवेश के लिये भारत का समर्थन प्राप्त करना था परन्तु भारत सरकार के साथ उनकी वार्ता के दौरान मान्यता का प्रश्न भी उठा, जैसाकि परिस्थितियों में आवश्यक था और शिष्टमंडल को हमने वही उत्तर दिया जो हम समय-समय यहां पर देते रहे हैं।

श्री हरी सिंह : क्या भारत की जनता जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने के लिये लम्बे समय से मांग नहीं कर रही है। अनेक अवसरों पर अनेक मांगें रखी गई, फिर भी भारत सरकार जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता नहीं दे रही है। मेरा विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देना बहुत आवश्यक है। जर्मन जनवादी गणतन्त्र को मान्यता प्रदान करने के मामले में सरकार कौन सी शीघ्र कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की भावनाओं से हम भिज्ञ हैं। इस सभा में बहुत से इस प्रश्न पर चर्चा हुई है और सरकार द्वारा उत्तर दिया गया है। हमने यह कभी नहीं कहा है कि हम जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता नहीं देंगे। हमने केवल यही कहा है कि मामला सक्रियरूप से विचाराधीन है। इससे पहले कि निर्णय की घोषणा की जाये, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। मामले पर सक्रियरूप से बिचार किया जा रहा हैं।

Shri Ishwar Chaudhry : May I know whether the discussion also touched on Indo-Pak and Sino-Indian relations and the Bangla Desh and if so, the details thereof.

Shri Surendra Pal Singh : I have said that the main purpose of their coming was to canvass India's support for their admission to W. H. O. When they came here, other matters were also discussed with them. Talks about China, Pakistan were also held and other matters were also discussed.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, आप सहित हम सब जर्मन जनवादी गणतन्त्र का आतिथ्य सत्कार करते रहे हैं और यह ऐसा मामला है जिसे आपकी कृपा से हमें उठाना चाहिये। मैं जानता हूं कि यह कारण आपके हृदय के बहुत निकट है ......(**व्यवधान**) मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय अनुपूरक प्रश्नों के लिये अब और गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले हमें यह बताया गया था कि पूर्ण राजनयिक मान्यता देने का प्रश्न कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तो क्या उस समय सरकार के मस्तिष्क में यह बात थी कि पश्चिम जर्मनी द्वारा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ, पोलैंड और रूस के साथ की गई संधि की पश्चिम जर्मन संसद् ने संपुष्टि नहीं की थी और यदि हां, तो अब चूंकि वह संपुष्टि पूरी हो गई है, जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को पूर्ण मान्यता देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं नहीं समझता कि विदेश मन्त्री अथवा विदेश मन्त्रालय के किसी व्यक्ति ने कभी कोई आश्वासन दिया हो कि जब अमुक-अमुक बात हो जायेगी तो हम जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता दे देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे कभी कुछ नहीं कहते हैं। वह अलग बात है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जो बात हमने कही वह यह है कि हमने यह कभी नहीं कहा कि मान्यता नहीं दी जायेगी। जब कई बातों पर हम विचार कर लेंगे तब मान्यता दी जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे बातें क्या हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : वे उनसे सारी सहायता ले रहे हैं परन्तु उन्हें मान्यता नहीं देना चाहते।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जिन बातों पर विचार किया जायेगा वे ये हैं : (1) जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ हमारे बढ़ते सम्बन्ध...

श्री एस० एम० बनर्जी : सरदारजी यहां नहीं हैं, इसलिये आप ऐसा कहते हैं। अवसर मत खोइये।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (2) आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध। निर्णय लेने से पूर्व बहुत सी प्रारम्भिक बातें—यथा यूरोप में स्थिरता और शांति, हमारे राष्ट्रीय हित हैं जिन पर विचार किया जाना है। **(व्यवधान)** इस बारे में उचित समय पर घोषणा की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिना उन्हें मान्यता दिये वे सभी लाभ उठा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला क्षेत्र में तांबा, सीसा के खनन कार्य में प्रगति

*987. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला क्षेत्र में तांबे, सीसे के खनन के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस महत्वपूर्ण योजना की क्रियान्वित की गति बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अग्निगुंडला सीसा ताम्र निक्षेप में तीन खण्ड, अर्थात्, बण्डालापोट्टू, नल्लाकोण्डा और धुकौण्डा समाविष्ट हैं । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए समन्वेषी कार्य के आधार पर, इन निक्षेपों में औसतन लगभग 6% सीसा वाले सीसा अयस्क के लगभग 100 लाख टन और औसतन 1% से 1.5% ताम्र वाले ताम्र अयस्क के लगभग 50-70 लाख टन अन्तर्विष्ट होना अनुमानित है । निक्षेपों के विस्तृत प्रमाणीकरण के लिए बण्डालामोट्टू और नल्लाकोण्डा खण्डों में समन्वेषी कार्य आरम्भ किया गया है । सीसा अयस्क के प्रसंस्करण के लिए जो समन्वेषी खनन संक्रियाओं के दौरान उत्पादित होगा, बण्डालामोट्टू में 100 टन प्रति दिन की क्षमता वाली एक प्रायोगिक मिल भी स्थापित की जा रही है । मिल, जिससे 1973 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है, संचालनात्मक अवस्था के लिए वृहद् पैमाने के प्रक्रिया संयंत्रों के आयोजन हेतु आवश्यक डिजायन आधार-सामग्री भी जनित करेगी ।

बण्डालामोट्टू खान में, 31-3-72 तक, 1200 मी० के कुल कार्य की तुलना में खनन प्रविष्टियों के लिए 1000 मी० की संचित प्रगति अभिप्राप्त की गई है और अयस्क निकाय के विकास द्वारा लगभग 500 मी० की प्रगति अभिप्राप्त की गई । भूतल खान विकास और भूतल व्यधन का आगे का कार्य प्रारम्भ किया गया है । यह आशा की जाती है कि समन्वेषी खनन परियोजना का कार्य 1972 के अन्त तक सम्पूरित होगा ।

नल्लाकोण्डा खान में, 31-3-72 तक, ऊर्ध्वाधर कूपक का डुबाव सम्पूरित हुआ और 90 मी० के कुल कार्य की तुलना में प्रवृत कूपक की प्रगति 80 मी० थी । 100 एम० आर० एल० और 80 एम० आर० एल० पर दो स्तरों के विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया है । आशा की जाती है कि नल्लाकोण्डा में समन्वेषी खनन परियोजना जून 1972 तक सम्पूरित होगी ।

समन्वेषी खनन संक्रियाओं के परिणामों के आधार पर, इन दोनों निक्षेपों के वाणिज्यिक समुपयोजनार्थ विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : देश में अलौह धातुओं की कमी और आयात पर हमारी निर्भरता के संदर्भ में इस परियोजना के विशेष महत्व को देखते हुए तथा भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान द्वारा खुदाई पर पहले से ही लगाये गए काफी समय—जो लगभग अब तक दो वर्ष हो गया है—पर विचार करते हुए क्या कार्य की गति को तेज करने के लिये किसी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ताकि इन कमी वाले माल का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग किया जा सके ?

श्री शाहनवाज खां : भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के दल उस क्षेत्र में कार्य में व्यस्त हैं तथा माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्होंने अग्निगुंडला क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, जहां उन्होंने सीसे की लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन मात्रा को सिद्ध किया है तथा कार्य जारी

हैं। हम 100 मीट्रिक टन प्रति दिन वाला पायलट प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं और आगे की जांच के परिणामों पर निर्भर करते हुए हम आशा करते हैं कि भविष्य में बड़े संयंत्र की स्थापना के लिये यह संयंत्र एक नमूने के रूप में होगा।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : इस परियोजना के महत्व को देखते हुए आरम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि इस योजना को त्वरित गति प्रदान करने और उचित ढंग से चलाने के लिये एक स्वायत्त निगम की स्थापना की जायेगी। क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं है ?

श्री शाहनवाज खां : हम अन्वेषण पूरे हो जाने और पर्याप्त मात्रा में निक्षेपों के पता लग जाने के बाद ऐसी परियोजना स्थापित करेंगे।

निर्माण उद्योग में कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) योजना

*988. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण उद्योग के कर्मचारियों पर भी उपदान (ग्रेच्युटी) लाभ योजनाएं लागू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में फैडरेशन आफ आल इंडिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कस यूनियन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) प्रवर समिति द्वारा यथा-संशोधित उपदान भुगतान विधेयक, जो इस समय लोक सभा के सामने लम्बित पड़ा है, निर्माण उद्योग के कर्मचारियों के कुछ मामलों में लागू होगा। यदि इसके उपबन्धों को, अधिसूचना जारी करके निर्माण प्रतिष्ठानों में प्रसारित किया जाता है तो यह अन्य मामलों में लागू होगा।

(ख) जी हां।

(ग) विधेयक तैयार करते समय, संघ के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

श्री मान सिंह भौरा : किन-किन मामलों में उपदान लागू होगा ? आपने कहा है कि कुछ मामलों में, मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक हमारे विचाराधीन है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : क्या माननीय सदस्य निर्माण उद्योगों के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं ?

श्री मान सिंह भौरा : आपने कहा है कि कुछ मामलों में। इसलिए मैं वे मामले जानना चाहता हूं।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कहा गया है कि यह निर्माण उद्योग पर लागू होगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो उन्हें विस्तृत जानकारी दे दी जायेगी। खण्ड (क) तथा (ख) में प्रधान नियोक्ता के कर्मचारियों पर यह लागू होगा चाहे वे सीधे अथवा ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किये गए हों। उन्हें लाभ मिलेगा। दूसरे उन्हें लाभ तभी मिलेगा जब वे ठेकेदार के कर्मचारी हों तथा ठेकेदार का संस्थान ऐसा हो जो दुकान तथा संस्थान अधिनियम से सम्बद्ध राज्य के कानूनों के अंतर्गत हो। तीसरा मामला ठेकेदारों के उन कर्मचारियों का है जो दुकान तथा संस्थान से सम्बद्ध राज्य कानूनों के अन्तर्गत तो नहीं है परन्तु खंड (ग) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया हो।

श्री एस० एम० बनर्जी : हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन के श्रमिकों ने हाल ही में हड़ताल करने की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि वे 1-5-72 से हड़ताल करेंगे। मंत्री महोदय के हस्तक्षेप के कारण हड़ताल नहीं हुई। क्या हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन यूनिट तथा अन्य बड़े उद्योगों में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन श्रमिकों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने स्पष्ट कहा है, उनको इसके अन्तर्गत लाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री खाडिलकर, आपको दूसरा विभाग-हड़ताल रोकथाम मंत्री—भी अपने विभाग के साथ लेना चाहिये।

मई दिवस को श्रमिकों की छुट्टी

*989. **श्री निहार लास्कर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1972 में मई दिवस के अवसर पर श्रमिकों को छुट्टी दी गई थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : केन्द्रीय सरकार ने मई दिवस, 1972 को सवेतन छुट्टी घोषित नहीं की।

श्री निहार लास्कर : क्या सरकार पर क्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) के अन्तर्गत इस दिन को छुट्टी घोषित करने पर आगे विचार करेगी ? कुछ वाणिज्यिक श्रमिकों को पहले ही वेतन सहित इस छुट्टी का लाभ मिल रहा है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इस प्रकार का एक सुझाव प्राप्त हुआ था तथा यह प्रश्न उठा था कि क्या कर्मचारी अपनी छुट्टियों में से एक दिन की छुट्टी का त्याग कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि सभा को विदित है, अपने देश में हमें बहुत अधिक छुट्टियां मिलती हैं। तब ऐसा किया जा सकता था। परन्तु इसके लिये वे तैयार नहीं थे। अतः यह संभव नहीं हो सका। केरल, तमिलनाडु आदि जैसे कुछ राज्यों ने मई दिवस को अवकाश घोषित कर दिया।

श्री एस० एम० बनर्जी : पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल जैसे कुछ राज्यों ने इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। सभी संस्थान बन्द कर दिये गए। उन्हें पूरा वेतन तथा मजूरी सहित अवकाश मिला। केन्द्रीय सरकार ने अवकाश घोषित नहीं किया। यह बात उनके विवेक पर क्यों छोड़ी जाये कि मई दिवस के बदले अवकाश के किसी दिन को वे कार्य दिवस घोषित करने के लिये चुनें ? इस अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रूप में क्यों नहीं घोषित किया जाये। इसमें क्या

हिचकिचाहट है ? आखिर यदि अधिक अवकाश होंगे तो यह राज्यों के लिये भी है। केन्द्र निर्णय लेने में क्यों असमर्थ है जबकि, श्रीमन्, आप उस दिन संसद में अवकाश करने का निर्णय ले सके ?

श्री आर० के० खाडिलकर : सामान्य नीति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य इस मामले में निर्णय करने के लिये स्वतंत्र हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, बात यह है कि हमें बहुत अवकाश मिलते हैं और हम एक और अवकाश भी अधिक नहीं करना चाहते फिर भी हम तब तक एक अवकाश घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक कि कर्मचारी तथा श्रमिक भी किसी अन्य दिन काम करने के लिये सहमत न हो जायें क्योंकि हम उत्पादन तथा अन्य आर्थिक मामलों से अधिक सम्बद्ध हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय के कहने का यह तात्पर्य है कि राज्यों को उत्पादन से सम्बन्ध नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : सही बात तो यह है कि इस दिवस को प्राथमिकता देने के लिये सरकार को दृढ़ निश्चय करना चाहिये। क्या सरकार उन अवकाशों में से किसी एक अवकाश को समाप्त नहीं कर सकती जो सामन्त युग से चले आ रहे हैं और मई दिवस को प्राथमिकता देकर इसे अवकाश घोषित कर दे ? सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि यह अच्छा सुझाव है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह प्रश्न केवल मई दिवस के दिन अवकाश करने का ही प्रश्न नहीं है अपितु वास्तव में मई दिवस ऐसा दिवस है जो श्रमिकों की क्रांतिकारी भावना का प्रतीक है। इस दृष्टि से जब कि सरकार किसानों तथा श्रमिक वर्गों के प्रति समाजवादी ढंग के लिये वचनबद्ध है तो क्या वह समूचे देश में श्रमिकों के लिये इस दिवस को अवकाश घोषित नहीं कर सकती ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे भली भांति विदित है कि समूचे विश्व में मई दिवस उत्सव श्रमिक वर्गों के संघर्ष का द्योतक है परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के वर्तमान प्रसंग में मैं चाहता हूं कि उस दिन वे अधिक उत्पादन करें तथा इसे उत्पादन दिवस के रूप में मनायें।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार इसे अवकाश घोषित करे तथा हम अवकाश के दिन कार्य करेंगे और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम अधिक उत्पादन करेंगे।

निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा

*991. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण उद्योग के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या आल इण्डिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की ओर से सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) रेलों के निर्माण संगठन में 50 प्रतिशत पदों और रेलों के "ओपन लाइन" में 50 प्रतिशत स्थायी पदों को स्थायी बनाने का प्रश्न, ताकि वे 'निर्माण आरक्षण' के रूप में बरते जा सकें, रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचाराधीन हैं। इस 'आरक्षण' में 50 प्रतिशत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाया जायेगा।

निर्माण उद्योग में नियोजित श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, अनेक श्रम कानून, अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1926, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1923, ठेका श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और मजदूर संघ अधिनियम, 1926 पहले ही निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों पर लागू होते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/मिलिट्री इन्जीनियरी सेवा ठेकेदार श्रमिक विनियम यद्यपि सांविधिक नहीं है, लेकिन वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और मिलिट्री इन्जीनियरी सेवा प्रतिष्ठानों के निर्माण श्रमिकों पर भी लागू होते हैं। आकस्मिक श्रमिकों के लिए आदर्श स्थायी आदेश निर्मित किए गये हैं और सभी मन्त्रालयों/विभागों को सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनाने के लिए प्रेषित किये गये हैं।

(ख) जी हां। आल इण्डिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियनों के फेडरेशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ग) आल इण्डिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियनों के फेडरेशन को 1-10-1971 को एक उत्तर भेजा गया था, जिसमें उनके द्वारा उठाई गई कुछ मांगों की वर्तमान स्थिति दर्शाई गई थी। अन्य मांगों के सम्बन्ध में मामले की छानबीन की जा रही है।

श्री के० बालदण्डायुतम : क्योंकि सरकार केवल 50 प्रतिशत पदों को ही स्थायी पदों में बदलने के प्रश्न पर विचार कर रही है, तो क्या शेष 50 प्रतिशत को भी परिवर्तित कर लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : रेलवे ने हमें सूचित किया है कि इस समय केवल 50 प्रतिशत को बदलने पर विचार कर रही है, और बाद में यदि यह प्रणाली सफल सिद्ध हुई तो शेष 50 प्रतिशत पर भी विचार किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुख्य प्रश्न केवल रेलवे से ही नहीं प्रत्युत सामान्य रूप से निर्माण कर्मचारियों से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं कि मुख्य प्रश्न सामान्य रूप से निर्माण कर्मचारियों के बारे में है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : निर्माण कर्मचारी रेलवे विभाग में भी हैं और इसीलिये रेलवे विभाग ने हमें बताया है कि वह क्या कर रहे हैं। शेष के लिये हमने यहां ब्यौरा दिया है।

श्री के० बालदण्डायुतम् : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि रेलवे में स्वास्थ्य-परीक्षा के बहाने 50 प्रतिशत को भी उचित रूप से नहीं खपाया जाता ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान अपनी एक यूनिट को बन्द कर दिया था, और क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में उक्त यूनिट को पुनः खोलने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सर्वथा एक विभिन्न प्रश्न है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न उसी हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की सेवा की सुरक्षा से सम्बन्धित है और वह कम्पनी पहले ही बन्द हो चुकी है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री आर० के० खाडिलकर : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मेरे विचार से वह इससे सम्बन्धित नहीं है। वह अलग ही सूचना दे सकते हैं।

श्री आर० एन० शर्मा : यह प्रश्न भवन निर्माण श्रमिकों की सेवा की सुरक्षा से सम्बन्धित है। अपने उत्तर में मन्त्री महोदय ने सभी श्रमिक कानून का जिक्र किया है। क्या सरकार कोई आदर्श स्थायी आदेश तैयार करेगी और उन्हें स्थायी आदेश अधिनियम के अधीन समान रूप से सभी निर्माण कर्मचारियों पर लागू करेगी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न निर्माण कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा से सम्बन्धित है जिसका कुछ उद्योगों में अभाव है। यह प्रश्न भवन निर्माण कर्मचारियों की मजदूरी जोकि सबसे कम है, के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के बारे में भी है। उन्होंने 5 रुपये देने का वचन दिया था परन्तु कल भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि यह केवल 3 रुपये भी है। आल इंडिया हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन सहित विभिन्न संघों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदन को देखते हुए क्या इन लोगों को सेवा की सुरक्षा तथा अन्य सुविधायें दिलाने के लिए सारे मामले को मजूरी बोर्ड के सुपुर्द किया जायेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ही उनकी बात का बड़ा ख्याल रखते हैं।

सैगोन में बिना मुकदमा चलाये भारतीयों की नजरबन्दी

*993 **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अप्रैल, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सैगोन में तीन भारतीय व्यापारियों को मुक़दमा चलाए बिना नजरबन्द रखा गया ;

(ख) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने इस सम्बन्ध में सरकार को लिखा है कि वह इन भारतीयों की शीघ्र रिहाई के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस बारे में दक्षिण वियतनाम सरकार से लिखा-पढ़ी की है और यदि हां, तो इस पर दक्षिण वियतनाम सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । एक संसद् सदस्य ने हमें इस घटना के बारे में लिखा था ।

(ग) जी हां। दक्षिण वियतनाम की सरकार ने सैगोन स्थित हमारे प्रधान/कोंसलावास को सूचित किया था कि तीन भारतीय राष्ट्रिकों को दक्षिण वियतनाम के एक न्यायालय के आदेश के अधीन नजरबंद किया गया है, उन पर गैर-कानूनी वित्तीय लेन-देन करने का आरोप था । उन पर मुक़दमा चल रहा है ।

श्री एच० एम० पटेल : यह मुकदमा कैसा है, दीवानी अथवा विभागीय जांच है तथा क्या दक्षिण वियतनाम में हमारे प्रतिनिधि को तीन व्यक्तियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जबकि वे बन्दी थे ; और चूंकि उनको हिरासत की अवधि बहुत बढ़ा दी गई है तो क्या हमारे प्रतिनिधि ने उनकी ओर से अभ्यावेदन पेश किया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उन पर मुकदमा दीवानी है । बन्दी बनाये गये व्यक्तियों ने हमारे महावाणिज्य दूत से सम्पर्क किया था और उन्होंने इस मामले को स्थानीय अधिकारियों के सामने रखा था और इसे शीघ्र ही निपटाने का प्रयास किया था । अब हमें बताया गया है कि उन पर मुक़दमा वस्तुत: अप्रैल, 1971 में आरम्भ हुआ था अर्थात उनको बन्दी बनाने के 4 या 5 मास बाद ।

श्री एच० एम० पटेल : अप्रैल से अब तक तो काफी लम्बा समय हुआ । यदि किसी वित्तीय अनियमितता का मामला था तो मुकदमे में इतना लम्बा समय नहीं लगना चाहिए था । क्या हमारा प्रतिनिधि इस मामले पर जोर देता रहा है और क्यों उसने अपने को इससे संतुष्ट पाया कि यह मामला अपनी अपेक्षित गति से निपटाया जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : सायगोन में हमारा प्रतिनिधि मामले से पूरी तरह से परिचित है और वह परिस्थितियों के अनुरूप हर सम्भव प्रयास कर रहा है । अब क्योंकि मामला न्यायालय में है, मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना उचित नहीं है, हां, उनका मुकदमा न्यायोचित ढंग से चल रहा है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या इन व्यापारियों ने हमारे दूतावास से कोई कानूनी सहायता मांगी है और यदि हां तो क्या हम उन्हें यह सहायता दे रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उन्होंने हमसे कोई सहायता नहीं मांगी । उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से अनुरोध किया था कि उन्हें वकील करने की अनुमति तथा अन्य सुविधायें दी जायें और उन्हें वे चीजें मिली है ।

देश में अपूर्ण रोजगार

*994. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अपूर्ण रोजगार जो कम उत्पादकता, अपर्याप्त आय और निम्न जीवन स्तर में प्रतिबिम्बित हैं, की समस्या के हल के लिये कोई व्यापक अध्ययन किया गया है तथा इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). अभी तक कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है । तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1972-73) के 27वें दौर में सांख्यिकीय विभाग के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा एक नमूना सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार, बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार के संबंध में आंकड़े एकत्र करना है । सर्वेक्षण के दौरान जांच पड़ताल करके नमूना परिवारों के सभी सदस्यों के रोजगार स्तर की व्यापक जानकारी और उद्योग, कार्यकुशलता, मजदूरी-दरों, अन्य स्थानों पर काम करने की सहमति आदि के संबंध में ब्यौरे प्राप्त किए जायेंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम बनाते समय बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगार की समस्या को ध्यान में रखा गया है । इन कार्यक्रमों को अधिकाधिक रोजगार अवसर पैदा करने के लिए अभिमुख किया गया है । कमजोर वर्गों और क्षेत्रों की जहां कि यह समस्या बहुत ही जटिल है, विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अर्जन क्षमता बढ़ाना और अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा करना है । ये कार्यक्रम वर्ष 1970-71 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं । इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्कीमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

(एक) **सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (जो सामान्यतः ग्राम निर्माण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है)** :

चिर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए देश के 54 जिलों में ग्राम निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं : (एक) स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिलाना और (दो) कृषि उत्पादन

के लिए अधः निर्माण का सृजन । स्कीम जो कि शुरू में योजनेतर स्कीम थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में 70 करोड़ रुपये के परिव्यय से केन्द्रीय योजना स्कीम के अंश के रूप में सम्मिलित की गई है ।

(दो) **लघु कृषक विकास एजेंसियां**

इस योजना के अधीन लघु कृषक विकास एजेंसियों की स्थापना की जायेगी । इस तरह की प्रत्येक एजेंसी विकास क्षमता रखने वाले लगभग 50 हजार कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी । वह उन्हें आवश्यक ऋण सुविधा भी देगी और गहन कृषि विकास के लिए आवश्यक अन्य सुविधायें भी जुटायेगी । चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 67.5 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(तीन) **सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूर प्रायोजनाएं**

इस स्कीम के अधीन पशुपालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, मछली उद्योग आदि सहायक व्यवसायों और मन्दी के मौसम के दौरान सीमान्य कृषक व खेतिहर मजदूर की दशा सुधारने को मद्देनजर रखते हुए पर्याप्त विपणन व ऋण सुविधाएं और अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है । चौथी योजनावधि के दौरान इस स्कीम के अधीन 41 प्रायोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, प्रत्येक के अन्तर्गत 20,000 सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूर आते हैं तथा इन प्रायोजनाओं के लिए 47.50 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित रखी गई है । सभी 41 प्रायोजनाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं और विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इनका आवंटन कर दिया गया है ।

(चार) **क्षेत्रीय विकास योजना**

यह कार्यक्रम, जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, दस प्रमुख सिंचाई प्रायोजना के कमांड क्षेत्रों में आधार भूत सुविधाएं जैसे सड़क, बाजार आदि के विकास के लिए निर्दिष्ट है ।

(पांच) **अजल खेती का विकास**

इस कार्यक्रम द्वारा, जिसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है, नमूने के तौर पर बनाई 24 प्रायोजनायें 12 राज्यों में चलाने का विचार है । इन कार्यक्रमों को अजल खेती के उन्नत तकनीक के संबंध में अनुसंधान तथा इस तकनीक को अजल खेती वाले क्षेत्र में लागू करने की दो अनुपूरक दिशाओं में, आरम्भ किया जायेगा । 1970-71 के दौरान 9 प्रायोगिक प्रायोजनाएं कार्यान्वित करने का कार्य हाथ में लिया गया था । 1971-72 के दौरान ये प्रायोजनाएं जारी रखी जा रही हैं और इनके अलावा 15 और प्रायोगिक प्रायोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

(छ) **डेयरी विकास**

विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से आरम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य बम्बई, कलकत्ता मद्रास और दिल्ली में स्थापित सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में दूध एकत्र करने की क्षमता और दूध को अन्य रूप में सुरक्षित रखने के कार्यों का विस्तार करना है । इसके साथ ही इन संयंत्रों के लिए 10 राज्यों में स्थापित अन्य दूध एकत्र केन्द्रों का विस्तार करना है ।

(सात) **लघु उद्योगों का विकास**

इस कार्यक्रम के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों की विकास योजना, अनुषंगी उद्योगों की विकास योजना और लघु उद्योगों के लिए सुविधाएं सम्मिलित हैं।

(आठ) **ग्राम-रोजगार की क्रैश स्कीम**

इस स्कीम को, जिसका अभिप्राय प्रत्यक्षतः और व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार की समस्या का समाधान करना है, अप्रैल, 1971 से देश के सभी जिलों में शुरू किया गया है। इससे प्रत्येक जिले में लगभग 1,000 व्यक्तियों को वर्ष में 10 महीने रोजगार मिलने की आशा है। इस स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपये की वार्षिक दर से 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के तीन वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था अलग से की गई है। फरवरी, 1972 के अंत तक 47.07 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की स्कीमें कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई थीं।

Shri Krishna Chandra Pandey : Unemployment is mounting day by day in the country. May I know the steps being taken by the Government to tackle the problem of unemployment among the educated ?

Mr. Speaker : It has been stated several times in the House.

Shri Balgovind Verma : We have stated that in this House several times. As the hon. Members are aware quite a number of schemes have been worked out for the educated unemployed. An amount of Rs. 25 crores was sanctioned and jobs are being created for them with this amount. This Budget also provides for Rs. 125 crores with which many schemes are being run to give employment.

Shri Krishna Chandra Pandey : What is in fact the definition of educated unemployed and what people come under that category ? Are the educated engineers, MAs, MScs and BScs also included in it. I also want to know the number of the unemployed among them.

Shri Balgovind Verma : All the matriculates and post matriculates are included in this category.

Shri Shanker Dayal Singh : May I know whether the hon. Members also come under this category ?

Shri Balgovind Verma : The hon. Member has asked the figures of the unemployed. I would send the same to him if he so desires.

Shri Ishwar Chaudhary : None would deny that there is problem of educated unemployed in the country. All the industries contemplated in this connection need money. May I know whether there is any scheme to make available money to those who want to estabilish some industry but do not have money for that ?

Shri Balgovind Verma : Yes Sir. Under the self-employment scheme the Government try to get them money from the Nationalised Banks.

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : विवरण में यह कहा गया है कि योजना में लघु कृषक विकास

एजेंसियां स्थापित करने की व्यवस्था है, जिनमें से प्रत्येक एजेन्सी लगभग 50,000 विकास योग्य किसानों की आवश्यकता की पूर्ति करेगी और सघन कृषि-विकास के विकास के लिए आवश्यक ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कितनी एजेन्सियां देश में स्थापित की गई हैं और उनमें से कितनी महाराष्ट्र में स्थापित की गई हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह जानकारी देना बहुत मुश्किल है, परन्तु यह योजना महाराष्ट्र में भी लागू की गई है ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The Hon'ble Minister has stated that a provision of Rs. 25 crores has been made to provide employmcnt to the educated unemployed. May I know the arrangements made to provide work and loan to the graduates in arts.

अध्यक्ष महोदय : यह काफी व्यापक प्रश्न है । यह सदन में अनेक रूपों में आता रहा है। कभी-कभी यह प्रश्न इस प्रकार किया जाता है कि इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है ।

विशेष सेल द्वारा अधिक मूल्य के लाइसेंसों की जांच

*995. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक मूल्य के लाइसेंस और परमिट जारी करने से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिये बनाये गये विशेष सेल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या उक्त सेल के निष्कर्षों के आधार पर कोई विभागीय कार्यवाही आवश्यक है; और

(ग) निष्कर्षों में यदि किन्हीं व्यक्तियों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां । विशेष सेल ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे 1-5-1972 से बन्द कर दिया गया है ।

(ख) और (ग). सरकार निष्कर्षों की जांच कर रही है ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : प्रश्न के भाग (ग) में मैंने पूछा था, "उन व्यक्तियों के नाम, अगर कोई हों तो; क्या हैं, जिनके विरुद्ध निष्कर्षों में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ?"

क्या कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई है अथवा नहीं ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रश्न पर जोर न दें, क्योंकि निष्कर्ष आखिरकार विभागीय सैल के हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं । संभवत: यह अधिक बेहतर होगा कि सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाय, उसके बाद तथ्यों को जाहिर किया जाय ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मैं यह जानना चाहता हूं कि निष्कर्षों की जांच कब तक पूरी हो जायगी और उन पर कब तक कार्यवाही की जायगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : इस समय मन्त्री के रूप में निष्कर्ष वस्तुत: मेरे पास हैं। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में एक महीने के अन्दर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कर लिया जायगा।

बिहार में खनिज आधारित उद्योगों को बिहार सरकार को सौंपना

*996. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह खनिज आधारित उद्योगों को बिहार सरकार को सौंप दे; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is a fact that the financial condition of Bihar Government is very bad and whether it has requested for the transfer of various mineral industries from the Centre to the State Government so that it may supplement its revenues ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : बिहार की वित्तीय स्थिति के बारे में अगर वह बिहार सरकार से पूछें तो बेहतर होगा। खानें बिहार सरकार को सौंपने के बारे में हमने उनसे पूछताछ की है और उन्होंने हमें सूचित किया है कि खानें उन्हें हस्तान्तरित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उन्होंने हमें नहीं भेजा है।

श्री राम नारायण शर्मा : प्रश्न खानों के बारे में नहीं, बल्कि खनिज-आधारित उद्योगों के बारे में है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : उत्तर वस्तुत: खनिजों पर आधारित उद्योगों के बारे में ही है। बिहार सरकार से जो प्रश्न पूछा गया था वह भी खनिज-आधारित उद्योगों के बारे में है और बिहार सरकार से जो तार मुझे प्राप्त हुआ है उसमें यह लिखा है कि "खनिज-आधारित उद्योग बिहार सरकार को सौंपने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा गया है। (ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।"

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

*982. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि अधिकतम सीमा तक बढ़ गई है और उसकी वसूली के लिये कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राशि के जमा होने के क्या कारण हैं और 31 मार्च, 1972 को यह राशि कितनी थी; और

(ग) क्या सरकार जिसके सीधे नियंत्रण में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्य कर रहा है, संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारियों का एक वसूली सेल बनाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री(श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) .एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, सभा की मेज पर रख दिया है।

(ग) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो भी अधिनियम में दंड व्यवस्थाओं को और अधिक कठोर बनाने और क्षेत्रीय आयुक्तों को अभिवर्धित शक्ति प्रदान करने हेतु प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मार्च, 1972 के अन्त पर मालिकों द्वारा भविष्य निधि अंशदानों के बकाया की बाबत देय राशियों के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। तो भी, दिसम्बर, 1971 के अन्त पर छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर भविष्य निधि अंशदानों के कुल बकाया की बाबत 1861 लाख रुपये की राशि थी। बकाया राशियों में अभिवृद्धि का मुख्य कारण कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 में पर्याप्त प्रतिकारक दंड-व्यवस्थाओं का अभाव और उक्त अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय आयुक्तों को प्रदत्त शक्ति में कमी है। उन छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों, जो देय राशियों की अदायगी में चूक करते हैं, के विरुद्ध सामान्यतः निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन अभियोजन चलाया जाता है।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं।

(3) उपर्युक्त मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस/न्यायालयों में शिकायतें दायर की जाती हैं।

(4) अदायगी में चूकें कर्मचारियों और श्रमिकों के संगठनों के ध्यान में ला दी जाती हैं जिन में मजदूर संघ शामिल हैं।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अधीन दंड/हर्जाने लगाए जाते हैं।

(6) कुछ मामलों में, पर्याप्त गारंटी और जमानत आदि दिये जाने पर, प्रतिष्ठानों को उचित किस्तों में देय राशियां अदा करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

(7) जो कपड़ा मिलें समापन की अवस्था को पहुंच गई हैं, उनके बारे में पुनर्निर्माण संबंधी योजनाओं की गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि भविष्य निधि की बकाया राशि एक गम्भीर स्थिति में पहुंच चुकी है और यह प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है और मालिक जानबूझकर अदायगी करने में उपेक्षा कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने का है, जिससे कि इस राशि की वसूली की जा सके और जो व्यक्ति अदायगी न करें, उन पर जुर्माना ही न किया जाय, बल्कि उन्हें कैद की सजा भी दी जाये ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जी, हां। अंशदान अथवा प्रशासनिक और निरीक्षण व्यय की अदायगी में चूक करने के लिए छः माह तक के कारावास और 2000 रु० तक के जुर्माने का दण्ड देने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है, परन्तु प्रत्येक मामले में जुर्माने की राशि चूक की राशि की 5 प्रतिशत और अधिक से अधिक 2000 रु० हो सकती है। हम एक प्रतिरोधी व्यवस्था करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत दो कठिनाइयां हैं। पहली तो यह कि न्यायपालिका इस बारे में पूरा ध्यान नहीं देती और दूसरे, हम कार्यवाही करवाने के लिए राज्य सरकारों पर आश्रित हैं। हमारे क्षेत्रीय आयुक्तों को कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। तभी यह बकाया राशि की समस्या को किसी हद तक हल किया जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं यह जानना जाहता हूं कि यह विधेयक कब पेश किया जायगा। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं कि भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान किया जाय और जिन मालिकों ने आजादी के बाद आज तक कभी भी अदायगी नहीं की है, उन्हें कुछ दण्ड दिया जाय ? मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मालिक हैं जिन्होंने पिछले दस साल से अदायगी नहीं की है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हम संसद के अगले सत्र में विधेयक पेश करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे। मैं दायर किये गये मुकदमों की संख्या का वर्षवार ब्योरा दे सकता हूं। जून, 1971 तक कुल मिलाकर लगभग 43,000 मुकदमे दायर किये गये, 20484 मामलों में दण्ड दिया गया, लगभग 1000 को दोषमुक्त घोषित किया गया, 6,000 मामले वापस ले लिये गये और 590 को रद्द कर दिया गया, कुल संख्या 28,660 है। 30 सितम्बर, 1971 को समाप्त तिमाही के दौरान 929 मुकदमे दायर किये गये, 621 को दण्ड दिया गया, 53 को दोषमुक्त घोषित किया गया, 325 मामले वापस ले लिये गये, 2 को रद्द किया गया; कुल संख्या 1000 है।

श्री एस० एम० बनर्जी : दण्ड क्या है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने बताया, दण्ड जुर्माना है; यही मेरी कठिनाई है। न्यायपालिका ऐसे अपराधों को उतनी गम्भीरता से नहीं ले रही, जितनी गम्भीरता से हम चाहते हैं, वे इन अपराधों पर विचार करें। इसलिए, हम प्रतिरोधी दण्ड देने के लिए एक संशोधित विधेयक ला रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि में वृद्धि होती जा रही है, राज्य सरकार ने एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य

दिया है कि भारी बकाया राशि के मामलों में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय स्तर पर भी इस प्रकार का कोई कानून बनाया जायगा ताकि श्रमजीवी वर्ग की मलिकों से रक्षा की जा सके ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने पश्चिम बंगाल की सरकार का प्रस्तावित उपाय देखा है। हमने उसे अपनी स्वीकृति दे दी है। इसे सभी राज्यों में लागू करने के प्रश्न पर हम उचित समय पर विचार करेंगे।

श्री नवल किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत धनबाद और झरिया कोयला खान क्षेत्रों के बारे में मुकदमे दायर किये गये थे परन्तु मामलों का कोई उचित समाधान हुए बिना ही मामले बाद में वापस ले लिये गये थे।

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे यह पता है कि मुकदमे दायर किये गये थे, मगर वे क्यों वापस ले लिये गये थे, यह मैं इस समय बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की गई थी।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मुकदमे दायर किये गये, उनमें से कुछ मुकदमे किसी समझौते के कारण अथवा अदायगी होने के कारण वापस लिये गये अथवा उनके प्रति पक्षपात के कारण मुकदमे वापस ले लिये गये ?

श्री आर० के० खाडिलकर : कभी कभी कुछ अदायगी कर दी जाती है, कभी उनसे किश्तों में अदायगी करने को कहा जाता है और कुछ बैंक गारंटी दे दी जातो है। परन्तु उनके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि जिन कारखानों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाता है, उनके मामलों में भी भविष्य निधि की काफी बकाया राशि है और यदि हां, तो कम से कम इन मामलों में अदायगी करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, चाहे इन कारखानों का अधिग्रहण कपड़ा निगम ने किया हो अथवा भारतीय तेल निगम ने ?

श्री आर० के० खाडिलकर : सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात् प्राधिकृत नियन्त्रकों द्वारा संचालित संस्थानों की ओर लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। यह कठिनाई है। राशि वसूल करने के लिए प्रत्येक उपाय किया जाता है। परन्तु हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम अभी उन पर यह दबाव डालते हैं, तो कारखाने के फिर से बन्द हो जाने का पूरा खतरा है। इसलिए, कारखाना चालू रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले में अनुवर्ती कार्यवाही कर रहे हैं और साथ ही, हमारा इस बात पर भी ध्यान है कि कर्मचारियों को देय राशि का भी नुकसान न हो।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अधिकांश कर्मचारी इन कारखानों को छोड़ रहे हैं।

Shri Ishwar Chaudhary : Employee's Provident Fund arrears have mounted with the

Employers to the extent of their having been black listed and now they are running to avoid the payment. I would like to know whether Government is keeping a watch over such employers who do not want to pay and are trying to escape the law ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह स्थिति का सही चित्रण नहीं है, क्योंकि जहां तक कर्मचारियों की राशि का सम्बन्ध है, उनकी राशि वसूल करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है ।

Shri Ishwar Chaudhary : The persons are the same but the name of the firms have been changed. I would like to know whether the Government is making any such rules under which they could be prosecuted ?

Mr. Speaker : In reply to the previous supplementary, he has told many things. In this ıeply also he was stated that efforts are being made to prosecute them.

श्री राम नारायण शर्मा : बकाया राशि के भारी मात्रा में जमा हो जाने को ध्यान में रखते हुए, जब तक अधिनियम में संशोधन हो, क्या सरकार साथ ही साथ वसूली सैल स्थापित करने पर विचार करेगी, जो मालिकों को सहमत करने के लिए प्रयास करे और जो मालिक चूककर्त्ता हैं, उनके स्थान पर ट्रस्ट बोर्डों में अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी करे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : क्षेत्रीय स्तर अथवा केन्द्रीय स्तर पर वसूली सैल की स्थापना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सभी मामलों में राज्य के राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है । हमने उन्हें कुछ तहसीलदारों की सेवायें उपलब्ध करके राज्य के राजस्व प्राधिकारियों को सुदृढ़ किया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में इस्पात कारखाना लगाना

*984. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लौह-अयस्क के निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने वहां अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इन निक्षेपों पर आधारित वहां एक इस्पात कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग). भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने केरल में लौह अयस्क के निक्षेप का पता लगाने का काम अभी पूरा नहीं किया है । लौह अयस्क के प्रमाणित निक्षेपों तथा उनकी विशिष्टियों का पता चल जाने के पश्चात् ही पूंजी निवेश के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा कोयला खानों के लिए प्राप्त विदेशी तकनीकी सहायता

*986. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अपनी कोयला खानों के लिए विदेशों से तकनीकी सहायता प्राप्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). जी, हां । सरकार की पूर्व-अनुमति से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० ने सोफरे माइन्स (इण्डिया) लि० के साथ एक करार किया है जिसके अन्तर्गत उत्तरोक्त को झरिया में टिस्को की कोयला खानों के विस्तार कार्यक्रम के लिए परामर्श-इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किया गया है । सोफरे माइन्स (इण्डिया) लि० के फ्रांस के प्रतिनियोक्ता नामतः सोसियेटे फ्रांसेस डेटयूड मिनियम पेरिस, ने भारत में उपयुक्त प्रविधज्ञों को भेज कर तथा भारतीय प्रविधज्ञों के फ्रांस में प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वारा यथावश्यक तकनीकी सहायता देंगे ।

The Industrial Relations in Bhilai Steel Plant

*990. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there has been any improvement in the Industrial Relations in Bhilai Steel Plant ;

(b) if so, whether any permanent Joint Consultative Machinery has been set up ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri S. Mohan Kumaramangalam) : (a) the Industrial Relations situation in Bhilai Steel Plant has been and continues to be, by and large, normal.

(b) Joint Consultative Machinery has been set up in the Bhilai Steel Plant.

(c) Joint Consultative Committees have been set up in the areas of working conditions and amenities in the Steel plant, production, safety, and grievance handling, merit-rating and wage differentials, and amenities, and facilities in the steel township such as housing, medical and public health, education and sports and recreation.

These Committees are bipartite in nature having representatives of the manngement and the recognized Steel Workers Union on them. They are consultative and their role is essentially advisory.

While the departmental level Committees are functioning more or less satisfactorily, two important Committees namely, the Joint Committee and the Central Production Committee at the Plant level have been inactive for the last few years.

एलुमीनियम में आत्म-निर्भरता

*992. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश एलुमीनियम में कब तक आत्म-निर्भर होने की आशा कर सकता है ;

(ख) क्या हमारी विज्ञान प्रयोगशालाएं एलुमीनियम का कोई विकल्प खोजने का प्रयास कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) आशा है कि देश वर्ष 1974-75 तक ऐलूमिनियम में आत्म-निर्भर हो जाएगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नियन्त्रणाधीन कोयला खानों में उत्पादन

*997. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नियन्त्राणाधीन कोयला खानों की कुल उत्पादन क्षमता की तुलना में इस समय उनका वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या विपणन, लदान, वैगनों की उपलब्धता आदि से सम्बन्धित कोई समस्याएं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा संचालित कोयला खानों का 182.30 लाख टन की उत्पादन क्षमता की तुलना में 1971-72 के दौरान वास्तविक उत्पादन 143.70 लाख टन था ।

(ख) उत्पादन क्षमता तक उत्पादन न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) वैगनों की असंतोषप्रद उपलब्धता ; विशेषकर बोकारो और कारगली, करणपुरा, बिसरामपुर और बैकुंठपुर क्षेत्रों में ;

(ii) जुलाई, अगस्त 1971 के दौरान हुई अत्यधिक वर्षा जिसने दक्षिणी बालांदा, बिसरामपुर और उमरेर खानों के कार्य-करण को बहुत प्रभावित किया ;

(iii) अक्तूबर 1971 में करणपुरा क्षेत्र में हड़ताल और कोरबा और अन्य प्रायोजनाओं में औद्योगिक अशांति ;

(iv) स्वदेशीय और आयातित उपकरण और पुर्जों की आपूर्ति में देरी ;

(v) लौह और इस्पात सामग्री की आपूर्ति में कमी जिसने कोयला टबों और खान कारों के विनिर्माण को प्रभावित किया ।

(ग) बैगनों की कमी के प्रश्न पर रेलवे से सतत: विचार-विमर्श किया जा रहा है और उपलब्ध कराये गए वैगनों का अधिकतम प्रयोग किया गया ।

अत्यधिक वर्षा के दौरान पानी भर जाने की समस्या का खदान हौदियों के आकार और पम्प करने की क्षमता वर्धित करते हुए सामना किया जा रहा है ।

उपकरण और पुर्जों और लौह और इस्पात आपूर्ति विषयक समस्या का संयुक्त प्राधिकारियों के परामर्श से सामना किया जा रहा है और अपेक्षित आपूर्तियां प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

कलकत्ता स्थित भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के माइनिंग एण्ड ड्रिलिंग डिवीजन को फरीदाबाद के एक निगम को सौंप दिया जाना

*999. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के माइनिंग एण्ड ड्रिलिंग, डिवीजन, जिसका नागपुर, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ में क्षेत्रीय मुख्यालय है, फरीदाबाद के एक निगम को सौंपा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कलकत्ता स्थित भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के उक्त डिवीजन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य का क्या होगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). देश भर में खनिज समन्वेषण को तीव्रतर करने की दृष्टि से पब्लिक सेक्टर में एक खनिज समन्वेषण निगम की स्थापना की जा रही है । निगम को यह कृत्य सौंपा जा रहा है कि वह देश के खनिज उपलभ्य राशियों का, प्रारम्भिक समन्वेषण की अवस्था से लेकर निम्नतम सम्भाव्य समय में साध्यता रिपोर्ट तैयार करने तक, विस्तृत समन्वेषण और प्रतिपादन करे । यह सूत्रबद्ध और योजित किया गया है जिससे कि इसके निदेश की "उच्चतर आनुपातिक" अथवा "अर्ध-वाणिज्यिक" प्रकृति की अभिप्राप्ति हो सके ।

निगम की भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, भूरसायनिक, खनन और व्यधन एककें होंगी और यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से अन्तरित किए जाने वाले कर्मचारियों और उपस्करों से कृत्यारम्भ करेगा । यह प्रस्तावित किया गया है कि खनिज समन्वेषण निगम का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित होगा ।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से खनिज समन्वेषण निगम में कर्मचारियों को अन्तरित करते समय, लोक हित को दृष्टि में रखते हुए उनके हितों की सर्वोत्तमता से रक्षा की जाएगी ।

मजदूर संघों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता

*1000. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों अर्थात् इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर संघ के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय वार्ता असफल हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) हालांकि राष्ट्रीय श्रमिक संघ परिषद स्थापित करने हेतु तीन संगठनों के बीच एक समझौता हो गया है, फिर भी औद्योगिक संपर्कों से संबंधित कुछ मामलों पर उनमें मतभेदों का अभी हल किया जाना हैं ।

(ख) सरकार की गई विभिन्न गत बहसों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग केरल सर्किल एनेक्सी की इमारत

7364. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण केरल सर्किल एनेक्सी मुख्य इमारत से दूर एक असुविधा-जनक इमारत में स्थित है ;

(ख) क्या उक्त भवन का अधिक किराया दिये जाने तथा किराये के गलत निर्धारण और व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या मुख्य भवन के निकट उचित किराये पर बेहतर इमारतों के लिये कोई पेशकश की गई है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी पेशकशों को सर्किल कार्यालय द्वारा रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने सर्किल कार्यालय को एक स्थान पर उचित भवनों में अथवा कम से कम निकटवर्ती इमारतों में रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से एक पत्र प्राप्त हुआ था । तथापि उक्त भवन को, केन्द्रीय लोक कार्य विभाग से उचित भाटक प्रमाण पत्र की प्राप्ति के पश्चात् ही, किराए पर लिया गया था ।

(ग) और (घ). सितम्बर, 1971 में एक व्यक्ति ने तिरुवनन्तपुरम में मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपना भवन प्रस्थापित किया। इस भवन की जांच की गई और इसे अनुपयुक्त पाया गया क्योंकि इसमें जीपों के लिए गैरेज नहीं था और भवन के सुरागार तक, जिसे स्टोर के रूप में उपयोग में लाया जाना है, पहुंचने के लिए उपयुक्त मार्ग की भी कमी थी। इस कारण प्रस्थापना को स्वीकार नहीं किया गया।

(ङ) सर्किल कार्यालय को किसी एक वृहद् भवन में अथवा समीपवर्ती भवनों में आवासित करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और इन्हें जारी रखा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे उपयुक्त भवन प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। तथापि, केरल सरकार द्वारा स्थायी कार्यालय भवन और प्रयोगशाला के एक ही स्थान पर निर्माण के लिए भूमि के एक प्लाट की प्रस्थापना विचाराधीन है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में बोनस फार्मूला लागू करना

7365. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोषित किया गया बोनस फार्मूला बिहार और पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है ; और

(ख) क्या इसे सभी उद्योगों पर लागू किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). स्पष्टतः यह प्रश्न सितम्बर, 1971 में बम्बई में कुछ मामलों में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत न्यूनतम देय बोनस के क्रमबद्ध बढ़ाव के भुगतान हेतु उद्भूत किए गए तदर्थ सूत्र का निर्देश करता है। सूत्र में कोई सांविधिक शक्ति नहीं है। यह ज्ञात नहीं है कि क्या इसे बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी उद्योगों ने अपना लिया है।

बिहार में सिंहभूम, धनबाद और पालामऊ में खानों और कारखानों के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ न दिया जाना

7366. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सिंहभूम, धनबाद और पालामऊ जिले में स्थित बहुत सी खानों और कारखानों के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन खानों और कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। वह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Licence for digging out Sand from Earth for Building and Brick making Purposes in Bihar

7367. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a licence is required to be obtained from Government for digging out sand from the earth for building and brick making purposes in Bihar ;

(b) if so, whether sand is included in the category of mines ; and

(c) whether a common man has to face difficulties on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). Yes, Sir. Sand is a minor or major mineral under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 according to end use.

(c) No, Sir.

Supply of Steel to Indore Rolling Mills, Indore

7368. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the date on which Indore Rolling Mills, Indore was registered as an Industrial unit and the quantity of Steel and other raw materials supplied to it during the last three years ; and

(b) the production made during the last three years with the raw material supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिहार में चांदी के निक्षेप

7369. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालामऊ, हजारीबाग और सिंहभूम जिलों में चांदी के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चांदी के इन निक्षेपों को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बिहार के पलामू, हजारीबाग और सिंघभूम जिलों में चांदी के कोई निक्षेप नहीं पाए गए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

इन्दौर स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड यार्ड द्वारा मैसर्स पुरुषोत्तम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस्पात की सप्लाई

7370. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर स्थित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड यार्ड द्वारा गत तीन वर्षों में मैसर्स पुरुषोत्तम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड को कुल कितना इस्पात सप्लाई किया गया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में उपरोक्त फर्म को सप्लाई किए गए इस्पात से बनाई गई विभिन्न मदों का कुल कितना उत्पादन है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इण्डो-चीन के बारे में भारत-ब्रिटिश वार्ता

7371. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने भारत से कहा है कि वह वियतनाम के बारे में ठोस बातचीत करवाने और इण्डो-चीन पर जनेवा सम्मेलन की बैठक बुलवाने के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां । ब्रिटिश सरकार ने सुझाव दिया था कि भारत भी सोवियत संघ को उचित परामर्श देकर वियतनाम पर जनेवा जैसा सम्मेलन बुलाने में सहायता कर सकता है ।

हनोई (उत्तर वियतनाम) में भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा

7372. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोई में भारतीय कर्मचारी की सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई अप्रत्याशित घटना होने पर भारतीय कर्मचारियों को निकालने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां । इस प्रकार की सूचना समय समय पर सूचना माध्यम द्वारा भी प्रसारित की जाती है ।

(ख) और (ग). जब भी आवश्यक होगा, वियतनाम लोक गणराज्य सरकार, हनोई से राजनयिक मिशनों को खाली कराने की आपात योजनाओं पर अमल करेगी और उन्होंने इसके बारे में हमारे मिशनों को बता दिया है ।

पाकिस्तान के ठाकुरपुर जिले से आये शरणार्थी

7373. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के ठाकुरपुर जिले से आये 40,000 शरणार्थियों के पुनर्वास और उन्हें भारतीय नागरिकता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम पाकिस्तान से आये दिल्ली की कालोनियों में बसे लोगों को कृषि भूमि का आवंटन

7374. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान से आये दिल्ली की कालोनियों में बसे अनेकों लोगों के कृषि भूमि के आवंटन के दावों का अभी तक मुख्यरूप से इस कारण निबटारा नहीं हुआ है कि पुनर्वास विभाग के सम्बद्ध अधिकारी इस बारे में एक के बाद दूसरी तकनीकी अड़चन पैदा कर रहे हैं ;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उक्त लोगों को आवंटित की जाने वाली कृषि भूमि का बहुत बड़ा भाग अनधिकृत कब्जे में है ; और

(ग) उक्त भूमि पर से अनधिकृत कब्जे को समाप्त करने के लिए, सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जब किसी विस्थापित व्यक्ति को उसके दावे की पूर्ति में भूमि आवंटित की जाती है तो उसका कब्जा उसे उस भूमि के किसी अनधिकृत कब्जेदार/कब्जेदारों को बेदखल करने के बाद दिया जाता है ।

कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण

7375. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मई, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक गैर-सरकारी संकल्प स्वीकार किया है कि जिसमें केन्द्रीय सरकार से कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार वर्तमानतः अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण पर विचार नहीं कर रही है ।

नारियल रेशा की खरीद

7376. **श्री वयालार रवि :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1970-71 और 1971-72 में कितनी मात्रा में नारियल रेशा को खरीदा और किन फर्मों से नारियल रेशा खरीदा गया ;

(ख) क्या सरकार को नारियल रेशा की सप्लाई के बारे में केरल राज्य नारियल रेशा निगम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) 1970-71 और 1971-72 में खरीदी गई नारियल-रेशे की वस्तुओं का मूल्य तथा उन फर्मों के नाम जिनसे खरीद की गई थी, निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मूल्य	फर्मों का नाम
1. 1970-71	21,28,494.00 रु०	1. मैसर्स पी० सी० अप्पुकुट्टी, कडालुण्डी
		2. मैसर्स डान ट्रेडिंग सिंडिकेट, कडालुण्डी
		3. मैसर्स बी० मैनिक पीटर, कोचीन
		4. मैसर्स डी० मूसाजी जीवाजी, बम्बई
		5. मैसर्स रबड़ फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, केरल
		6. मैसर्स दाराग स्माइल एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, एलेप्पी ।
		7. मैसर्स हेस्टिंग्ज मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ।
2. 1971-72	20,02,645.00 रु०	1. मैसर्स डान ट्रेडिंग सिंडिकेट, कडालुण्डी
		2. मैसर्स केरल कोअर मेट्स एण्ड मैटिंग्स कापरेटिव सोसाइटी, एलेप्पी
		3. मैसर्स एस्पिनवाल एण्ड कम्पनी, एलेप्पी
		4. मैसर्स बी० मानिकपीटर, कोचीन
		5. मैसर्स बी० सी० अप्पुकुट्टी, कडालुण्डी

(ख) और (ग). नारियल-रेशे और नारियल-रेशों की वस्तुओं को केवल लघु उद्योग यूनिटों से ही खरीदे जाने के लिए आरक्षित कर दिया गया है। परन्तु 1970 में यह निर्णय किया गया था कि केरल राज्य कोअर कारपोरेशन से टेंडर मांगे जाएं। 1970-71 तथा 1971-72 में केरल राज्य कोअर कारपोरेशन को 19 टेंडर जारी किए गए थे। उन्होंने केवल कुछ टेंडरों के लिए ही भाव भेजे थे, लेकिन उनके प्रस्ताव मंजूर नहीं किये जा सके क्योंकि उन्हें बहुत ऊंचा पाया गया।

चीन के साथ व्यापार संबंध

7377. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री डी० के० पन्डा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत तथा चीन के बीच कितना तथा किस प्रकार का व्यापार और वाणिज्य हुआ ;

(ख) क्या हाल ही में कोई प्रयास किये गये हैं कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के संदर्भ में दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों में सुधार किये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई शुरुआत की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पिछले 3 वर्षों से भारत और चीन के बीच कोई व्यापार नहीं हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) हमने चीन को व्यापार का पुनरारंभ करने की सलाह दी है ; परन्तु, अभी तक चीन की ओर से इसका कोई उत्तर नहीं मिला है।

महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़ा उद्योग को बिजली की कमी और कोयलों के लिए वैगन सप्लाई न करने के कारण हानि

7378. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में महाराष्ट्र राज्य में कपड़ा तथा अन्य उद्योगों को कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या बिजली की कमी और कोयले के लिये वैगन सप्लाई न करने के कारण हानि हुई है ;

(ग) महाराष्ट्र के उद्योगों में कितनी जनदिवसों की हानि हुई है ; और

(घ) क्या सरकार पानी और कोयले की कमी से हुई बेरोजगारी के कारण श्रमिकों को हुई मजूरी की हानि का मुआवजा देगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है ।

Registered Unemployed in Meghalaya

7379. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons who got their names registered for employment in Meghalaya during 1971-72 ;

(b) the number of persons provided with employment through employment exchanges during the period ; and

(c) the steps proposed to be taken in future by Government to create more employment opportunities ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) 7,725.

(b) 481.

(c) Various development programmes included in the Fourth Five Year Plan and the special employment-oriented schemes initiated since the year 1970-71 are expected to create increasing number of employment opportunities for the unemployed persons in the country including Meghalaya. The Government had also made a special provision of Rs. 25 crores in the Central Budget for 1971-72 for schemes specially designed to provide relief to educated unemployed. In the Union Budget for 1972-73 a sum of Rs. 60 crores has been provided for special employment programmes. The schemes under the special provisions mentioned above will create more employment opportunities.

Registered Unemployed in Andaman and Nicobar Islands

7380. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons, who got their names registered for employment in Andaman and Nicobar Islands during 1971-72 ;

(b) the number of persons provided with employment through Employment Exchanges during this period ; and

(c) the steps proposed to be taken in future by Government to create more employment opportunities ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). No Employment Exchange was functioning in the Andaman and Nicobar Islands during 1971-72.

(c) Various development programmes included in the Fourth Five Year Plan and the special employment-oriented schemes initiated since the year 1970-71 are expected to create increasing number of employment opportunities for the unemployed persons including those in the Andaman and Nicobar Islands.

संयुक्त विज्ञप्ति पर चीन और अमरीका को विरोध-पत्र भेजा जाना

7381. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, चीन-अमरीका संयुक्त विज्ञप्ति में जम्मू तथा कश्मीर की जनता को आत्म निर्णय के अधिकार को समर्थन दिये जाने के लिए चीन और अमरीका की सरकारों को विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो विरोध पत्रों के क्या उत्तर मिले हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विरोध-पत्र न भेजने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). हमारे प्रधान मंत्रीं एवं विदेश मंत्री ने चीन-अमरीका संयुक्त विज्ञप्ति में जम्मू तथा कश्मीर के उल्लेख की सार्वजनिक रूप से आलोचना की और इसे भारत के घरेलू मामलों में भड़काने वाली दखलंदाजी कहा । 14 मार्च, 1972 को राज्य सभा में वक्तव्य देते हुए विदेश मंत्री ने कहा था :

> "जम्मू तथा कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है । हमने यह बात संयुक्त राष्ट्र तथा संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज के समक्ष स्पष्ट कर दी है । किसी भी देश द्वारा इस बात का विरोध करना हमारे अन्दरूनी मामले में दखल देना होगा । विज्ञप्ति में चीन का मत विशेष रूप से खेदजनक है । यह बात भी बहुत खेदजनक है कि विज्ञप्ति में जम्मू तथा कश्मीर में दिये गए प्रसंग को अमरीकी सरकार ने मौन स्वीकृति दी है ।"

इस संबंध में सरकार की गंभीर चिन्ता के बारे में अमरीकी सरकार को बतला दिया गया है । जहां तक चीन का संबंध है, चीन-भारत के वर्तमान संबंधों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अपनी स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किये जाने के बाद, उनका विरोध करना उचित नहीं समझा गया ।

भारतीय विद्यार्थियों का नई दिल्ली स्थित अमेरिकन इन्टरनेशनल स्कूल में दाखिला लेने में रोका जाना

7382. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में भारतीय विद्यार्थियों के अमरीकन इन्टरनेशनल स्कूल में जाने पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह). (क) जी हां । इस विषय में सरकार का निर्णय अमरीकी राजदूतावास के इस इरादे से सम्बद्ध है कि इस अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय

को राजदूतावास विद्यालय में बदल दिया जाय। लेकिन इस परिवर्तन का ठीक-ठीक तरीका क्या होगा यह अभी तय किया जाना है।

(ख) सरकार की यह नीति है कि भारतीय बच्चों को विदेशी दूतावास के विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति न दी जाय।

चक्रवात तथा बाढ़ से पीड़ित उड़ीसा के किसानों को केन्द्रीय सहायता

7383. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गत वर्ष के चक्रवात और बाढ़ से पीड़ित किसानों को राहत देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता देने की मांग की है ;

(ख) क्या उनकी आवश्यकताओं के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए उड़ीसा सरकार को कोई अतिरिक्त सहायता दी जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के तूफान प्रभावित क्षेत्र में कृषि संबंधी औजार इत्यादि खरीदने और कृषकों को तकावी ऋण देने के लिए कुल 10 करोड़ रुपए के ऋण की सहायता देने का अनुरोध किया था। कृषि सम्बन्धी औजारों इत्यादि पर खर्च करने के लिए राज्य सरकार को तीन करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया जा चुका है। पहले मंजूर किए गए ऋण के प्रयोग से हुई प्रगति के आधार पर जिसका विवरण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, और सहायता देने के संबंध में विचार किया जाएगा।

विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

7384. **श्री सी० टी० दंडपाणि :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम में रूसी सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या सरकार उन पांच यू० एस० आई० एस० केन्द्रों तथा एक फ्रांस के सांस्कृतिक केन्द्र को पुनः खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिन्हें पहले बन्द करने के आदेश दिये गये थे ; और

(ग) रूसी सांस्कृतिक केन्द्र अनुमानतः कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने इजाजत दे दी है। इस केन्द्र को चलाने का उत्तरदायित्व भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को सौंपा गया है।

(ख) सरकार के पास पांच अमरीकी सूचना सेवा केन्द्रों या फ्रांस सांस्कृतिक केन्द्र को जिन्हें बन्द करवा दिया गया था, पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) त्रिवेन्द्रम में सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र का उद्घाटन 18 अप्रैल 1972 को हुआ था।

स्वनियोजन योजना

7385. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने स्वनियोजन को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) देश में यह योजना आरम्भ किये जाने के पश्चात इसके अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ; और

(ग) अब तक किन-किन व्यवसायों में रोजगार दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). स्व-रोजगार में वृद्धि करने तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास करने के लिए राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समाज के निबल वर्गों, विशेषरूप से शिक्षित बेरोजगारों को उदारता से राशि देने के लिए योजनायें चलाई जा रही हैं। स्व-नियोजन की योजनाओं में बहुत से व्यवसाय सम्मिलित हैं जिनमें व्यक्तियों को काम पर लगाया जा सकता है। इनमें कृषि स्नातक जो व्यापार सेवा एकक, फुटकर दुकान, परामर्श सेवा आदि का काम आरम्भ करने में रुचि रखते हैं, योग्य व्यवसायी जो डाक्टर, इंजीनियर, वृत्तिक, अभिकल्पक आदि के रूप में अपना निजी व्यवसाय करने की क्षमता रखते हैं, बिजली मिस्त्री, नाई, धोबी, आदि जैसे वैयक्तिक सेवा अथवा उपयोगिता के कार्यों में लगे व्यक्ति ; व्यक्ति जो वैयक्तिक रूप से वाहन के मालिक हैं जैसे टैक्सी-चालक, आटो-रिक्शा चालक आदि ; सेवा उद्योगों या लघु उद्योगों आदि में लगे व्यक्ति सम्मिलित हैं। विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में दिसम्बर, 1971 के अन्त तक व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई पेशगियों के कुल खातों की संख्या 51,067 है।

2. जुलाई, 1970 में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित ठक्कर समिति ने विशेष ऋण परियोजनाओं के कार्य का पुनरीक्षण किया और चल रही योजनाओं के अभिनवीकरण के लिए सुझाव दिए हैं। ठक्कर समिति की रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शक नीति सुझाई है जिसमें बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को, स्व-नियोजित क्षेत्र को और ऋण देने के लिए उपयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने तथा नियुक्ति अवसर जुटाने वाली विशेष परियोजनाओं को तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, ऋण जमानत परियोजना आरम्भ की गई है जिसके अधीन निर्दिष्ट सीमाओं तक ऋणों के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अब भारतीय ऋण जमानत निगम लिमिटेड द्वारा बैंकों में होती है यद्यपि ऋण निर्दिष्ट अंतिम सीमाओं के भीतर है।

3. औद्योगिक विकास मंत्रालय ने स्व-नियोजन के लिए इंजीनियरी उद्यमकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस समय 29 प्रशिक्षण संस्थाओं में चल रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि-सेवा एककों की स्थापना के लिए उद्यमकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु 6 और संस्थाओं को स्थापित करने का निर्णय किया गया है। 1970-71 में 842 उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए चुने गए थे और 1971-72 में 1735 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बहुत से राज्यों में, प्रशिक्षण पूरा करने वाले इंजीनियरी उद्यमकर्ताओं को कारखाने के तैयार शेड और

सभी अन्य आवश्यक मूल-भूत सुविधायें प्रदान करने के लिए औद्योगिक जागीरों की विशेष रूप से स्थापना की जा रही है ।

4. शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के विशेष कार्यक्रमों के लिए 1971-72 के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था में से, 6.5 करोड़ रुपये शिक्षित बेरोजगारों, विशेषकर इंजीनियर और तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को, जो लघु औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करना चाहते हैं, सहायता देने की विशेष परियोजनाओं हेतु रखे गए थे ।

फेडरेशन आफ आल इण्डिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन से अभ्यावेदन

7386. **श्री सी० के० चन्दप्पन : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फेडरेशन आफ आलइण्डिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन से श्रमिकों की शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) निर्माण उद्योग के कार्य की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जिसके विशिष्ट दायित्व इसके गठन की तारीख के एक वर्ष के भीतर सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए मजदूरी के ढांचे को तैयार करना हो ।

(2) एक निगम या मंडल के द्वारा सभी ठेके वाली निर्माण फर्मों को सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया जाए ।

(3) निर्माण उद्योग कर्मचारियों की भविष्य निधि लाभ योजना के अन्तर्गत लाया जाए ।

(4) उपदान योजना लाभ निर्माण उद्योग श्रमिकों पर विस्तारित की जाए ।

(5) निर्माण उद्योग श्रमिकों को सेवा की सुरक्षा दी जाए ।

(6) निर्माण उद्योग कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधायें दी जाएं ।

(7) निर्माण उद्योग कर्मचारियों के लिए एक से सेवा-निगम निर्धारित किए जायें ।

(8) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में निर्माण उद्योग को इंजीनियरी उद्योग के समान माना जाये ।

(ग) संघ को पहले ही यह सूचित कर दिया गया है कि निर्माण उद्योग में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और बहुत से श्रम कानून, अर्थात् ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश),

अधिनियम, 1946, मजूरी भुगतान अधिनियम 1923 आदि पहले ही निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों पर लागू होते हैं ।

इसके अतिरिक्त, भवन एवं निर्माण के श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन विधि अधिनियम, 1952 लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है । उपदान के बारे में एक केन्द्रीय विधेयक, जो कि निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों पर लागू किया जा सके, भी लोक सभा में पेश किया गया है ।

अन्य मांगों की जांच की जा रही हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/मिलिट्री इंजीनियरी सेवा ठेकेदार श्रमिक विनियम यद्यपि सांविधिक नहीं हैं, लेकिन वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और मिलिट्री इंजीनियरी सेवा प्रतिष्ठानों के निर्माण श्रमिकों पर भी लागू होते हैं । आकस्मिक श्रमिकों के लिए आदर्श स्थायी आदेश निर्मित किए गये हैं और सभी मंत्रालयों/विभागों को सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनाने के लिए प्रेषित किए गये हैं ।

निर्माण उद्योग के बारे में आयोग

7387. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्माण उद्योग के कार्यकरण की जांच करने तथा विशेषकर उस उद्योग के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की मजूरी का ढांचा तैयार करने के लिए सरकार का एक आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जी, नहीं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, जिसमें श्रमिकों की मजदूरी-दरें निर्धारित/संशोधित करने की व्यवस्था है, निर्माण उद्योग के श्रमिकों पर पहले से ही लागू होता है । केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अपने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले भवन निर्माण और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए इस अधिनियम के अधीन मजदूरी-दरें अधिसूचित कर रखी हैं ।

Setting up of a Board for development of Mica Industry

7389. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Board for the development of mica industry; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) There is a proposal to set up a Development Board for Mica Industry.

(b) The proposal is still at an initial stage and the scope, functions, finance etc. of the Board have yet to be worked out.

पश्चिम बंगाल में झारिया और रानीगंज के समीप कोयला खानों में कोयला जमा हो जाना

7390. **श्री राम कंवर : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त संख्या में रेल माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल में झारियां और रानीगंज के समीप कोयला खानों के मुहानों पर भारी मात्रा में कोयला जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां से कुल कितना कोयला उठाया जाना है ; और

(ग) जमा कोयले को उठाने तथा उसे ढोने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, 1972 के अन्त में गर्त-मुख पर कोयले का स्टॉक निम्नलिखित रूपेण अनुमानित किया गया है :—

झरिया कोयला क्षेत्र	—	21.69 लाख टन
रानीगंज कोयला क्षेत्र	—	20.66 लाख टन

(ग) रेलवे, जो कि कोयले का प्रमुख वाहक है, वैगनों की उपलब्धता को सुधारने के लिए कदम उठा रही है । इसके अतिरिक्त कम दूरियों पर अवस्थित उपभोक्ताओं की मांग-पूर्ति के लिए, कोयले को सड़क-परिवहन द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

लाभप्रद निक्षेपों पर खनन कार्य के लिये मशीनें लगाना

7391. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लाभप्रद निक्षेपों पर खनन कार्य के लिये मशीनें लगाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या अयस्कों के वहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये भूमि परिवहन पद्धति में भी वृद्धि की जायेगी ;

(ग) क्या सरकार, क्रोम अयस्क, काइनाइट और मेंगनीज जैसे खनिज पदार्थों के लिये जिनसे अब तक पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है, विश्व में मंडियों का पता लगाने के लिये भी कोई कार्यवाही करने का विचार तथा प्रयत्न कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित लौह अयस्क, चूना-पत्थर, कोयला, ताम्र और जस्ता जैसे खनिजों के बारे में अनेक

बृद्ध यन्त्रीकृत खानें पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं, उन निक्षेपों के बारे में, जहां सम्भाव्य हो, इन यन्त्रीकृत खानों की स्थापना की जानी चालू रहेगी।

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

नागालैंड-बर्मा सीमा के सीमांकन के परिणामस्वरूप विस्थापित हुये व्यक्तियों का पुनर्वास

7392. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-बर्मा सीमा के सीमांकन के समय नागालैंड-बर्मा सीमा के कई गांव बर्मा को हस्तांतरित कर दिये गये थे ;

(ख) क्या इस कारण उन गांवों के बहुत से लोग विस्थापित हो गये हैं और राज्य सरकार को उनके पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को कोई सहायता दी है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कीटाणु हथियारों पर प्रतिबन्ध

7393. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन परमाणु शक्तियों अमरीका, रूस और ब्रिटेन ने लन्दन में 10 अप्रैल, 1972 को, कीटाणु हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान पर हस्ताक्षर किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। जीवाणु (जैविक) तथा जीव-विष हथियारों के विकास, उत्पादन तथा संचयन को रोकने तथा उन्हें ध्वंस करने पर हुए अभिसमय पर 10 अप्रैल, 1972 को हस्ताक्षर होने शुरू हुए थे और संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ तथा यूनाइटेड किंगडम ने जो कि इस अभिसमय की न्यासी सरकारें हैं, उसी दिन इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

(ख) इस अभिसमय का पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3049/72]**

Moulding Steel Units in Indore, Madhya Pradesh

7394. **Dr. Laxmi Narain Pandey :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of moulding steel units functioning in Indore, Madhya Pradesh ;

(b) whether one of the said moulding steel units is carrying on production continuously for the last one year even without a production licence ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c). It is presumed that the information sought is in respect of moulding units producing steel castings. According to the information available, there is only one licenced unit in Indore **viz.**, M/s. Binod Steel Ltd. who are manufacturing steel castings. Government are not aware of any other unit at Indore producing steel castings without a licence.

विभिन्न निगमों में कर्मचारियों के वेतनों में विषमता

7395. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन विभिन्न निगमों, बैंकों, एयरलाइन्स और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनों में भारी विषमताएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ये विषमताएं दूर करने और दक्षता एवं एकरूपता लाने के लिए एक राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड बनाने का विचार रखती है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) चूंकि, एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान की, और एक उद्योग से दूसरे उद्योग की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए विभिन्न निगमों के कर्मचारियों के वेतन एक समान नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

महाराष्ट्र में छोटे स्तर की पुनर्बेलन मिलों में बिलेट का आवंटन

7396. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की जिन छोटे स्तर की पुनर्बेलन कम्पनियों की मिलें बम्बई से बाहर हैं उनको 1971-72 में बिलेटों और/अथवा पुनर्बेलन योग्य कतरनों के कम नियतन से कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, उनके लिये नियतन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बिलेट और अन्य पुनर्बेलन योग्य सामग्री की कमी है। हो सकता है कि इसके कारण देश के दूसरे भागों में स्थित छोटे स्तर की पुनर्बेलन मिलों की भांति महाराष्ट्र में बम्बई से बाहर स्थित छोटे स्तर की पुनर्बेलन मिलों को भी कुछ कठिनाई हो रही हों।

(ख) इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के सतत् प्रयत्नों तथा बिलेट के आयात द्वारा कच्चे माल की उपलब्धि बढ़ाने हेतु सरकार ने कई उपाय किए हैं। स्क्रैप का उपयोग करने वाली पुनर्बेलन मिलों के लिए 'प्रयुक्त रेल की पटरियां' एक महत्वपूर्ण कच्चा माल थीं जो न्यायालय के

व्यादेश के कारण 2 वर्ष से भी अधिक समय के लिए वैसे ही पड़ी रही। परन्तु अब इस मामले का फैसला हो गया है और अब लगभग 2 लाख टन रेल की पटरी वितरण के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इससे स्कैप का उपयोग करने वाली पुनर्बेलन मिलों के लिए निकट भविष्य में कच्चे माल की उपलब्धि में काफी वृद्धि हो जाएगी।

गुजरात में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा खनन कार्य

7397. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वनसकंथा जिले की अम्बाली पहाड़ियों की खानों से अशोधित धातुओं को निकालने के अपने निर्णय से केन्द्र को सूचित किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को उस क्षेत्र से धातु निकालने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

Residential Quarters to Employees of Bokaro Steel Plant

7398. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of employees working in Bokaro Steel Plant who have been allotted residential quarters and the number of those for whom arrangements are being made for allotment of quarters ;

(b) whether the employees, who have not been provided with residential accommodation on behalf of the company, are not paid House Rent Allowance ; and

(c) if so, the reasons therefor and the propriety of such a discriminatory policy ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) 5997 employees of Bokaro Steel Limited have been provided residential accommodation till the end of April, 1972. 9928 additional houses are now under construction, most of which will be available for allotment to employees of Bokaro Steel Limited.

(b) and (c). In accordance with the Central Government orders regarding categorisation of cities for grant of house rent allowance on the basis of population, which are being followed by Bokaro Steel Ltd., Bokaro Steel City is not one of the specified localities for grant of house rent allowance. As such, the employees of Bokaro Steel Ltd. at the project site are not entitled to house rent allowance.

Expenditure incurred on Residential Quarters for Employees of Bokaro Steel Plant

7399. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of residential quarters constructed for the employees of Bokaro Steel Plant and the expenditure incurred on their construction ;

(b) whether air-conditioners have been installed in the offices and residences of the officers working there ; and

(c) if so, the number of such offices and residences and the total amount being spent by Government annually on the air-conditioning of these offices and residences ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) The total number of quarters constructed till the end of March, 1972 is 6761, and the total expenditure incurred thereon is Rs. 7.12 crores.

(b) and (c). Air-conditioners are being provided generally in the Office rooms of Officers of Bokaro Steel Ltd. in the grade of Rs. 1450—1750 and above. Air-conditioners have also been provided in residence of Officers of the rank of Heads of Department who ask for it, on payment of prescribed rent. 80 Room Air-conditioners are installed in Offices and 22 in residences of such Officers. The total amount being spent annually on depreciation and repairs and maintenance, excluding electricity charges, on air-conditioners in the Offices of the Officers is Rs. 90,500. No expenditure is incurred by Bokaro Steel Ltd. on the up keep of the air-conditioners installed in the residences of Officers as this is fully covered by the rent charged.

Transport Arrangements for Employees of Bokaro Steel Plant

7400. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make some transport arrangements for the employees of Bokaro Steel Plant on behalf of the company as are being done in other public sector establishments ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Bokaro Steel Ltd. themselves have not formulated any scheme for providing transport facilities for the employces of Bokaro Steel Plant. They have, however, arranged with the Bihar Rajya Transport Corporation for operating adequate number of buses in the Bokaro Steel City and surrounding areas.

(b) Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों पर व्यय

7401. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों पर खर्च होने वाली धनराशि कर्मचारी भविष्य निधि के खाता संख्या 4 से वहन की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उन पर बैठकवार, कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख)

वर्ष	केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों की संख्या	किये गये व्यय की लगभग धन-राशि (रु०)
1969	4—41 वीं बैठक	6,800
	42 वीं बैठक	10,500
	43 वीं बैठक	7,500
	44 वीं बैठक	8,200
1970	4—45 वीं बैठक	5,800
	46 वीं बैठक	11,700
	47 वीं बैठक	5,400
	48 वीं बैठक	11,200
1971	4—49 वीं बैठक	13,700
	50 वीं बैठक	15,300
	51 वीं बैठक	12,900
	52 वीं बैठक	4,900

Translation of Indian Books into Foreign Languages

7402. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the names of the literary books which have been got translated by the Indian Council for Cultural Relations, indicating the names of foreign languages in which these were translated and the number of books sent to foreign countries for purposes of translation and the total expenditure incurred so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal) Singh) : A statement giving details of the information is laid on the Table of the House.

Statement

S. No.	Title of Books got translated by the ICCR	Language in which published
1.	Shakuntala	Persian
2.	Persian—Sanskrit Grammar	Persian
3.	Bhagvat Gita	Persian
4.	Vikram Urvashi	Persian
5.	Matti-ka Putla	Persian
6.	Sri Harsha's Plays	English & Korean
7.	The Indian Heritage	Arabic
8.	Shakuntala	Arabic
9.	Chemmeen	Arabic
10.	Nala Damayanthi	Arabic
11.	Bhagwat Gita	Thai language
12.	Autobiography of Mahatma Gandhi	Turkish
13.	India Today and Tomorrow	Portuguese

All the books mentioned above were translated in India except for those at Sl. Nos. 11 and 12, which were translated in Thailand and Turkey respectively. Under the Cultural Exchange Agreement a manuscript of an Anthology of Indian Short Stories compiled by the ICCR has been sent to the Yugoslav Commission for Cultural Relations for translation and publication in Serbo—Croatvan.

An expenditure of Rs. 78,761.00 including expenditure on translation was incurred by the ICCR in publishing the books at Sl. Nos. 5 to 13. The remaining books were published nearly two decades ago and the data concerning the exact expenditure incurred on them are not available with the ICCR.

Uniform Labour Laws

7403. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state whether Government propose to enact uniform labour laws for the entire country ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The National Commission on Labour did not favour a uniform labour Code on the various labour laws. However, Government are considering the question of bringing forward comprehensive Industrial Relations law for the entire country.

Export of Minerals

7404. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of minerals and the value of the exported quantity thereof which are exported from the country at present ; and

(b) whether several minerals are exported for the reasons that they are not utilised in the

country for increasing the production capacity and whether a list showing the names of such minerals will be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). A list of minerals exported from India during 1969 and 1970 alongwith the quantity and value of exports is enclosed. There is no mineral which is exported at the cost of indigenous requirements. **[Placed in Library. See No. L.T.—3050/72].**

Expenditure in Vigilance Wing of Department of Supply

7405. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) the annual expenditure being incurred presently on the vigilance wing of Department of Supply and the number of gazetted officers employed ; and

(b) whether a total number of 47 vigilance cases were pending with the said wing on the Ist January, 1971 and if so, since when these casas have been pending ?

The Minister of Supply (Shri D. R. Chavan) :

(a) (i) Expenditure in 1971-72 Rs. 1,21,417/-

(ii) Four full time gazetted officers

(b) (i) Yes Sir.

(ii) A statement showing the dates from which these cases have been pending is laid on the Table of the House.

Statement

Statement showing the dates from which the 47 Vigilance cases are pending.

Sl. No.	Cases pending since	
1	2	
Gazetted Officers		
1.	19.3.66	Since disposed of
2.	24.1.67	
3.	4.5.68	
4.	4.5.68	Since disposed of
5.	18.8.68	—do—
6.	24.12.68	—do—
7.	20.3.69	—do—
8.	25.3.69	—do—
9.	26.5.69	—do—
10.	26.5.69	—do—
11.	26.5.69	
12.	26.5.69	
13.	17.7.69	Since disposed of
14.	23.9.69	

1	2	
Gazetted Officers		
15.	17.12.69	
16.	25.2.70	
17.	30.3.70	Since disposed of
18.	1.6.70	—do—
19.	28.8.70	
20.	14.9.70	
21.	6.11.70	Since disposed of
22.	19.11.70	
23.	19.11.70	
24.	14.12.70	Since disposed of
Non-Gazetted Officers		
1.	7.10.66	Since disposed of
2.	7.10.66	—do—
3.	4.11.67	
4.	4.5.68	Since disposed of
5.	4.5.68	
6.	4.5.68	
7.	16.12.68	Since disposed of
8.	28.3.69	
9.	19.4.69	Since disposed of
10.	17.5.69	—do—
11.	26.5.69	—do—
12.	4.6.69	
13.	23.9.69	
14.	23.9.69	
15.	25.2.70	
16.	12.3.70	
17.	22.5.70	Since disposed of
18.	1.6.70	
19.	14.9.70	
20.	19.11.70	
21.	19.11.70	
22.	24.11.70	
23.	14.12.70	Since disposed of

Fire in Transformers of Khetri Copper Project

7406. **Shri S. N. Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether five Transformers in the Khetri Copper Project caught fire during 1971 ;

(b) if so, the reasons therefor and the value of the said Transformers ; and

(c) the source of their procurement and the persons held responsible for this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawas Khan) : (a) to (c). Four Transformers failed in Service during 1971. The failures were investigated and it was found that 2 Transformers 2 MVA, 33/11 KV supplied by Government Electric Factory, Bangalore failed on account of manufacturing defects. In one Transformer 1.5 MVA, 33/11 KV supplied by M/s. NGEF, Bangalore, iron fillings were found inside the Transformer and its HT winding failed due to interturn shorting. One 200 KVA, 11 KV/500 V transformer supplied by M/s Hoogli Marin Co. was received as open delivery from Railways. The Transformer when received was without oil and certain accessories. It was showing low insulation. Payment to the party was withheld due to above reasons. Due to urgency of work, the Transformer was repaired in the Hindustan Copper Limited Electric Workshop and put in service but it failed after working for about 3 months.

2. The prices of the Transformers are as under :

GEF Order No. 2253 of 16.11.68	—	2 Nos.	Rs. 1,02,000
NGEF Order No. 96 of 13.1.69	—	1 No.	Rs. 60,000
Hoogli Marine, Order No. 1296 of 7.10.70	—	1 No.	Rs. 11,750

3. NGEF Transformer has already been repaired and installed. Procurement action for the spare limbs of GEF Transformer has been already taken. These are expected shortly. The Transformers will be repaired as soon as these are received.

4. The total cost of repair undertaken/to be undertaken, is estimated to be about Rs. 27,000.

5. Since the failures were due to manufacturing defects, which could not be detected earlier, the Project Officers could not be held responsible for the same.

Purchase of Core Cable in Khetri Copper Project

7407. **Shri S. N. Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether 20 drums of 3 core cable of 300 sq. m.m. were purchased in the Khetri Copper Project either at the end of 1971 or in the beginning of 1972 ;

(b) if so, the cost thereof as also the source from where they were purchased ;

(c) whether the said cable was found useless when put to use if so the amount of loss suffered by the project as a result thereof; and

(d) the action taken against the officer responsible for this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) 12 drums of 3 core cables of 300 sq. m. m. were ordered in August, 1971 against which 10 drums were received during March/April, 1972.

(b) The cost of 10 drums of cables received, is about Rs. 1,40,000. The cables in question were supplied by M/s. Fort Gloster, Calcutta.

(c) Out of the supplies received of the 3 core cable of 300 sq. m. m. 330 M. length of cables was put into use in the middle of April and these cables are giving satisfactory service. However, two pieces each of 6 metre length of the cable when put to use failed within 4 days. On detailed investigation it was observed that one core of the cable of a particular drum was dull in appearance as compared to other cores. Similar defect was found in two more drums. Matter was taken up with the supplier who is replacing the 3 defective drums. No loss has been suffered by the Project on this account as the cables are being replaced.

(d) Does not arise.

केरल में बाक्साइट और पारे के निक्षेप

7409. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बाक्साइट और पारे के निक्षेपों की मात्रा और किस्म का पता लगाने के बारे में केरल में भू-विज्ञान सर्वेक्षण का कार्य अब किस अवस्था में है ; और

(ख) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल में क्वीलोन और तिरुवनन्तपुरम जिलों के चितावत्तम, अदीयन्नाल्लूर, मंगलपुरम-चिलाम्पिल, सस्थावत्तम, अम्बालम और अत्तीपारा क्षेत्रों में जिनमें 1970-71 में व्यधन सम्पूरित हुआ था, बाक्साइट की कुल 16.84 लाख टन उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं। इन क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक कार्य प्रगति पर है। कन्नानौर जिले के कुम्बला क्षेत्र में, जहां व्यधन 1968 में संपूरित हुआ था, 40% ऐलूमिना वाले बाक्साइट की 18 लाख टन उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं। कन्नानौर जिले के खण्ड 1 में निलेश्वर क्षेत्र में, जहां व्यधन 1972 में सम्पूरित हुआ था, 40% ऐलूमिना वाले बाक्साइट की 15.90 लाख टन उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं। अन्य तीन निलेश्वर खंडों में वृहद् पैमाने पर मानचित्रण और व्यधन द्वारा विस्तृत अन्वेषण प्रगति पर है। कोजीकोडे जिले के बादागारा में पारे के लिए व्यधन जनवरी, 1972 में सम्पूरित किया गया है। विश्लेषनात्मक कार्य प्रगति पर है।

चालू वर्ष के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्षेत्र सत्र कार्यक्रम में कन्नानौर, कालीकट त्रिचूर, तिरुवनन्तपुरम, क्यूलौन और एलीप्पेई जिलों में बाक्साइट निक्षेपों का मूल्यांकन सम्मिलित है। इन अन्वेषणों के चतुर्थ योजनावधि के दौरान में जारी रहने की सम्भावना है।

S. C. and S. T. Educated Unemployed in U. P., Bihar and Rajasthan

7410. **Shri Hari Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of educated persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes who have got themselves registered with the Employment Exchanges in Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan during the last three years year-wise and State-wise ;

(b) the number of those out of them who were given employment ; and

(c) the schemes formulated by Government to provide immediate employment to the remaining perrons ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). The information is furnished in the attached statement.

(c) Various development programmes included in the Fourth Five Year Plan of the Centre and the States of U. P., Bihar and Rajasthan and the special employment oriented schemes initiated since the year 1970-71 are expected to create increasing number of employment opportunities for the unemployed persons. Earlier in 1968 the Government had also initiated certain special measures with a view to relieving unemployment among engineers which are being implemented by State Governments and Central Ministries. The Apprentices Act, 1961 is being amended with a view to extending its coverage to the engineering graduates and diploma holders. The Government had also made a special provision of Rs. 25 crores in the Central Budget for 1971-72 for schemes specially designed to provide relief to the educated unemployed. In the Union Budget for 1972-73, a sum of Rs. 60 crores has been provided for special employment programmes. The schemes under the special provision mentioned above will also benefit the educated unemployed.

Statement

Number of Registrations and Placements Effected by the Employment Exchanges in respect of Educated Job-Seekers (Matriculates and above) during the last three years 1969-71)

Year	Uttar Pradesh		Bihar		Rajasthan	
	Registrations	Placements	Registrations	Placements	Registrations	Placements
1	2	3	4	5	6	7
			Scheduled Castes			
1969	29,102	2,363	6,065	191	3,720	238
1970	36,438	3,062	6,709	229	3,844	376
1971	41,299	4,138	7,187	451	4,557	546
			Scheduled Tribes			
1969	105	10	4,177	312	1,162	70
1970	240	47	4,736	188	1,040	92
1971	169	37	4,757	271	1,555	148

Note : Placements effected during the last three years (1969-71) do not necessarily relate to the job-seekers registered during these years.

Closure of Factories in Delhi due to shortage of Hard Coke

7411. **Shri Hari Singh :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether many factories are closing down gradually due to shortage of hard coke in Delhi ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to supply more hard coke to Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). No, Sir. Many industrial units in Delhi have, however, complained regarding short and sporadic supply of coal, which was likely to result in closure of their factories. Only one unit—M/s Greyasham and Co., Roop Nagar, Delhi complained that they had to close down their ancillary foundry in Maya Puri.

In order to tide over the shortage of coal, the Ministry of Railways were recently approached by the Delhi Administration to move two special rakes of hard coke, which are expected to arrive shortly. Besides, one hard coke rake under non-sponsored category artrived at Delhi Tughlakabad siding recently. The same was requisitioned by the Delhi Administration and allotted to local industries. A quota of 200 wagons per month of hard coke has been given by the Railways to Delhi and it is expected that this will improve the availability of coke.

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को हुई हानि

7412. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को गत कितने ही वर्षों से भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। 31 मार्च, 1971 तक कम्पनी को कुल 8.89 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(ख) हानि के मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण ब्याज का भारी बोझ था जो इक्विटी तथा ऋण में अनुचित अनुपात होने का कारण था।

(ग) मैसूर सरकार के कहने पर भारत सरकार 1 अप्रैल, 1971 से कम्पनी को दिए गए 11.252 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष ऋणों को इक्विटी में बदलने के लिए राजी हो गई। इससे कम्पनी की चुकता पूंजी में भारत सरकार का योगदान लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है। (इक्विटी पूंजो का शेष 60 प्रतिशत मैसूर सरकार ने लगाया है)। ऋण तथा ईक्विटी का अनुपात 1 :1 करने तथा लगभग 75 लाख रुपये वार्षिक ब्याज से मुक्ति दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कम्पनी के कार्यकरण में सुधार हुआ है और बताया गया हैं कि 1971-72 में कम्पनी को 100 लाख रुपये का लाभ होने की सम्भावना है। साधारण इस्पात, विशेष इस्पात तथा

मिश्रित इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० ने अपने कास्ट आयरन स्पन पाइप प्लांट तथा प्लेट स्लीपर फाउण्ड्री को पुनः चालू कर दिया है। टोर स्टील के उत्पादन का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है। उत्पादन बढ़ाने तथा ऊपरी खर्चों को कम करने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्रीलंका में एक भारतीय व्यापारी की मृत्यु

7413. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में एक भारतीय व्यापारी की जो भारत वापस आ रहा था, हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या श्रीलंका सरकार ने इस मामले में की जा रही जांच बन्द कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने श्रीलंका सरकार से यह कहा है कि वह उन सोने की छड़ों को लौटा दें, जो उसे बड़ी मात्रा में हाथ लगी है ; और

(घ) यदि हां, तो श्रीलंका सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). इस मामले में श्रीलंका प्राधिकारियों द्वारा जांच शुरू की जा रही है ; अभी कोई और विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). यह सवाल तो जांच के परिणाम मिल जाने पर ही उठेगा।

निजी क्षेत्र में कोयला खानें

7414. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में कितनी कोयला खान निजी क्षेत्र में हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : प्राईवेट सेक्टर में पांच सौ अस्सी कोयला खानें कार्यशील हैं।

बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को लागू करने में अनियमिततायें

7415. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करने में बहुत सी अनियमितताएं हैं, यहां तक कि बहुत से अस्थायी कर्मचारियों को इस योजना का सदस्य नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या पूंजी निवेश नियमित रूप से नहीं किया जाता और काफी धन जमा नहीं कराया जाता ;

(ग) क्या कोई विस्तृत जांच कराई गई है, यदि हां, तो कब और भविष्य निधि निरीक्षकों ने क्या रिपोर्टें दी हैं ; और

(घ) क्या अनिवार्यतः बनाए गए उन सदस्यों सम्बन्धी एक्ट नं० 1 में पेंशन अंशदान जमा नहीं कराया गया है ; जिन्हें 1 मार्च, 1971 के बाद इस योजना में शामिल किया गया था जबकि बिहार सरकार के गया और हजारी बाग स्थित दोनों मुद्रणालयों, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आदि जैसे सभी मुक्त सरकारी एककों से अंशदान प्राप्त हो चुके हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना प्रादेशिक श्रम आयुक्त, बिहार से एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में "सिब्बन्दी" की परिभाषा

7416. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में "सिब्बन्दी" शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है जिससे विभिन्न क्षेत्रीय आयुक्त एक ही मामले पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार "सिब्बन्दी", "परिसर", "शैशव-काल की मजूरी" जैसे शब्दों को परिभाषित करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). "सिब्बन्दी" शब्द की परिभाषा कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं की गई है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचना भेजी है कि इस सम्बन्ध में उन्हें किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए, इस अभिव्यक्ति की परिभाषा करने का प्रश्न नहीं उठता। "परिसर" शब्द की परिभाषा करना भी आवश्यक नहीं है, शैशवकाल की मंजरी इस अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत विनियमित होती है ।

परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा निगम

7417. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लागू की गई परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना बहुत जल्दी में बनाया गया विधान है और इसलिए 1000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होने जैसे बहुत से मामलों का इसमें कोई उल्लेख नहीं है ;

(ख) क्या इस विधान में इन असम्मिलित कर्मचारियों को शामिल करने की परिकल्पना नहीं की गई है और काफी भ्रांति अभी भी फैली हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि, योजना के पैरा 3 के अनुसार योजना कर्मचारी भविष्य निधि/छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्यों पर ही लागू होती है, अतः असम्मिजित कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि/छूट प्राप्त भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस मामले में कोई उलझन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य निधि पर आयकर

7418. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि की जमा राशियों पर आयकर लिया जा सकता है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ;

(ख) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयोग ने विधि के इस दोहरे अर्थ को स्पष्ट किया है क्योंकि अधिकांश कार्यालयों को इनका ज्ञान नहीं है और उनका यही मत है कि भविष्य निधि में जमा राशियों पर आयकर नहीं लगाया जा सकता है ; और

(ग) क्या इन परिस्थितियों में केन्द्रीय भविष्य निधि आयोग विधि और वित्त मन्त्रालयों के परामर्श से एक विस्तृत परिपत्र तुरन्त जारी करेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार से सूचना भेजी है :–

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत निर्मित भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(38) के अर्थ के अन्तर्गत मान्य भविष्य निधि है।

आयकर अधिनियम में, किसी अंशदाता को देय अंशदान अवशेष के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार, छूट की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). प्रादेशिक कार्यालयों से कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव स्पष्टीकरण निकालने की आवश्यकता पैदा नहीं हुई।

इस्पात और खान मन्त्रालय में तदर्थ आधारों पर नियुक्ति

7419. **श्री ब्रजपाली पटनायक :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में इस्पात और खान मन्त्रालय में तदर्थ आधारों पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया ;

(ख) क्या कदाचार के किसी मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 51 ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आंध्र प्रदेश में स्वर्ण निक्षेपों की खोज

7420. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के चितूर जिले में बिसनायम के स्वर्ण निक्षेप क्षेत्रों में खोज करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उस क्षेत्र में खोज की जायेगी जहां स्वर्ण खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व गैर-सरकारी तौर पर खनन कार्य आरम्भ हो गया था ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1956-58 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बिसनाथम स्वर्ण निक्षेपों का विस्तृत अन्वेषण किया गया था । पब्लिक सेक्टर में की उपक्रम मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स, इस समय इस क्षेत्र को समन्वेषित कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रिहायशी मकानों के निर्माण के लिये इस्पात की उपलब्धता

7421. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महानगर, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी मकानों के निर्माण के लिये उचित मूल्यों पर इस्पात उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : आन्तरिक गृह निर्माण कार्यों के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित उत्पादकों के स्टाकयार्डों से विनियमित मूल्यों पर इस्पात उपलब्ध है । मकान बनाने वालों के लिए एक निश्चित प्रतिशत अलग रखा जाता है । फिर भी, दिल्ली में अक्तूबर, 1971 से मुख्य इस्पात उत्पादक समिति नामक एक समिति काम कर रही है वे तीनों उत्पादकों के स्टाकयार्डों में मकान बनाने वालों के लिये उपलब्ध इस्पात एकत्र कर लेते हैं और समन्वित ढंग से उसे मकान बनाने वालों में बांट देते हैं । इस्पात का कुछ प्रतिशत विशेष रूप से छोटे मकान बनाने वालों अर्थात् जिनके प्लाट का क्षेत्रफल 250 वर्ग गज से अधिक नहीं होता और जिनकी इस्पात की आवश्यकता 3 टन से अधिक नहीं होती के लिए आरक्षित रक्खा जाता है । इस योजना को दूसरे महानगरों में लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

बिहार में कोयले का उत्पादन तथा उसका उपयोग

7422. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के अखिल भारतीय उत्पादन में से बिहार में सभी किस्मों का कुल कितना कोयला उत्पादित होता है ; और

(ख) बिहार कितने प्रतिशत कोयले का उपयोग करता है तथा विभिन्न अन्य राज्य कितने प्रतिशत कोयले का उपयोग कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1970-71 के दौरान कोयले के कुल 726.80 लाख टन अखिल भारतीय उत्पादन में से बिहार राज्य में कोयले का उत्पादन 338 लाख टन था जो कुल उत्पादन के 46 प्रतिशत को दर्शित करता है।

(ख) प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख टन कोयला अथवा अखिल भारतीय उत्पादन का लगभग 14 प्रतिशत, बिहार राज्य में ही उपयोग में लाया जाता है। अतिशेष को रेलवे, इस्पात संयंत्रों, विद्युत ग्रहों और विभिन्न अन्य राज्यों में अवस्थित उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है।

निर्माण उद्योग के कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना

7423. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, उद्योग के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की, निर्माण उद्योग के कर्मचारियों पर व्याप्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र के श्रमिकों पर धमन भट्टी गैस का प्रभाव

7424. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धमन-भट्टी गैस से प्रभावित रूरकेला इस्पात संयंत्र के 38 श्रमिकों को अस्पताल में दाखिल किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) धमन-भट्टी नं० 3 के ब्लीडर स्टैक की छत के पायलट बर्नरों से गैस के निकट जो 38 व्यक्ति प्रभावित हुए थे उनमें से 5 को प्रथमोपचार के पश्चात छुट्टी दे दी गई थी शेष 33 व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था और उन्हें दो से तीन दिन कम अस्पताल में रखने के पश्चात छुट्टी दे दी गई थी ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है ।

भवन निर्माण मजदूरों के लिये समान सेवा नियम

7425. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण उद्योग में मजदूरों के लिये समान सेवा नियम निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी पर्यटकों को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति न देना

7426. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी पर्यटकों ने मई, 1972 के प्रथम सप्ताह में भारत-पाकिस्तान सीमा में स्थित बगहा में पाकिस्तान सरकार द्वारा उन्हें उस देश में प्रवेश करने की अनुमति न देने के रवैये के विरोध में अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल की थी ;

(ख) क्या यह मामला नई दिल्ली स्थित स्विट्जरलैंड के दूतावास के साथ उठाया गया था जो पाकिस्तान के हितों को देख रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) स्विट्जरलैंड के राजदूतावास से निवेदन किया गया था कि वह पाकिस्तान सरकार से यह कहे कि बागा में जो पर्यटक फंस गए हैं, उन्हें वह पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति दे दे और 7 मई को पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सीमा पार करने की अनुमति दे दी थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Violation of Mines Regulation Act by Coal Mines in Madhya Pradesh

7427. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether many coal mines in Madhya Pradesh violated the Mines Regulation Act during 1970-71 ;

(b) if so, the number and names of such mines, which violated the Mines Act ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, every coal mine was involved in some violation or other. However, most of these violations are of a minor character.

(b) The total number of working coal mines in Madhya Pradesh was 55 in 1970 and 59 in 1971. Since each one of them was involved in some form of violation, no separate list is being given.

(c) Action depends on the nature of the violation. In some cases, notices were issued requiring rectification within a specified time-limit or prohibiting employment of workers until safe conditions of mining were restored. In a few cases where serious violations were involved, prosecutions were launched against the managements.

Setting up of Lead Furnace in Madhya Pradesh

7428. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have submitted any proposal for setting up a lead furnace in that State ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No such proposal has been received from the Government of Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

Issue of a Licence for Expansion of Sponge Iron Plant in Madhya Pradesh

7429. **Shri G. C. Dixit** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation has made a demand for issue of a licence for expansion of the sponge iron plant in the State ; and

(b) if so, the reasons for not issuing the said licence in the public sector ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Criminal Cases Under E. P. F. Pending in Madhya Pradesh Courts

7430 **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether many criminal cases under the Employees' Provident Fund Act are pending in Madhya Pradesh Courts ;

(b) if so, their total number, the period since when they have been lying undisposed and the reasons for delay in their disposal ; and

(c) the action being taken by Government for their expeditious disposal ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) to (c). As on 30th April, 1972 there were 701 cases pending in various Courts of Madhya Pradesh. Out of these, 75 cases were pending for the last six months. 148 cases for more than 6 months but less than 1 year and 478 cases for more than 1 year. Generally, in most of these cases either summons were not served or the accused did not appear or sought adjournments. The Provident Fund Inspectors have been directed to oppose the adjournments. Prayers are also made to the Courts for early disposal. Sometimes, the Inspectors serve the summons on the accused persons in order to avoid delay.

कर्मचारी भविष्य निधि खातों के अन्तरण के लिए अनुरोध

7431. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि खातों के एक राज्य से दूसरे में अन्तरण के बारे में बहुत से अनुरोध विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो खातों के अन्तरण के बारे में क्षेत्रवार कितने अनुरोध विचाराधीन हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सांविधिक मजूरी बोर्ड

7432. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीछे बने मजूरी बोर्डों को सांविधिक अधिकार न होने के कारण ही इनको सिफारिशें लागू नहीं की जा सकी हैं ;

(ख) क्या सरकार भविष्य में बनाये जाने वाले मजूरी बोर्डों को सांविधिक अधिकार देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, इसका क्या परिणाम रहा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

राजस्थान में रॉक फास्फेटों के निक्षेप

7433. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह उदयपुर के निकट जानार खोतरा में पाये गये भारी मात्रा में रॉक फास्फेटों के निक्षेपों का प्रबन्ध उसे सौंप दे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार रॉक फास्फेटों की खान से सफलतापूर्वक फास्फेट निकालने में सक्षम है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और भारी पूंजी विनिधान और उसके समुपयोजन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिक विशेषज्ञता के लिए झामर कोत्रा में शैल फास्फेट निक्षेपों की महत्ता को दृष्टिगत करते हुए, निक्षेपों के विकास के लिए उचित समुपयोजन करने वाले अभिकरण के चयन का प्रश्न केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के विचाराधीन है । मामले में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

कोयम्बटूर की कपड़ा मिलों के लिए औद्योगिक सम्बन्ध आयोग

7434. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कपड़ा मिल मालिकों ने स्थायी औद्योगिक सम्बन्ध आयोग का गठन करने का निश्चय किया है जिसमें मिल मालिकों की एसोसियेशन और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि होंगे और जिसका अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों की कुछ रिपोर्टें देखी हैं ।

(ख) सरकार श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर बातचीत करने और औद्योगिक विवादों को सुलझाने हेतु सभी द्विपक्षीय प्रयत्नों का स्वागत करेगी ।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

7435. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों ने सरकार से इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा कितनी वृद्धि की मांग की गई है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० और हिन्दुस्तान स्टील लि० से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने इस्पात के मूल्यों में क्रमशः 113 रु० और 118 रुपये प्रति टन की औसत वृद्धि करने के सुझाव दिये हैं। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील लि० ने भी अपनी बढ़ी हुई लागत के बारे में अलग लिखा है ।

(ग) सरकार इन अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है ।

अमरीकी सी० आई० ए० द्वारा नागाओं को उकसाया जाना

7436. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नागाओं को उकसाने में अमरीका के सी० आई० ए० विभाग का बहुत बड़ा हाथ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच कराई थी और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण उद्योग के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

7437. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण उद्योग के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को फैडरेशन आफ आल इण्डिया हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन्स से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) फेडरेशन को उसके द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों के उत्तर भेज दिये गये हैं। शेष विचाराधीन हैं।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी

7438. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा निश्चित समय तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रतिवेदन को जल्द प्रस्तुत करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) समिति की अन्तिम रिपोर्ट, सरकार को निश्चित समय तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नये स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों के साथ सम्बन्ध

7439. **श्री पप्पन गौडा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सुदृढ़ करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया है और अब अफ्रीका के नवोदित प्राय: सभी देशों में भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व है। आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान बढ़ रहे हैं, और बहुत-से अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। अफ्रीकी छात्रों को भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और अफ्रीका के कई देशों में भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम चल रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में, विश्व शांति और सहयोग से सम्बद्ध बहुत-से अंतर्राष्ट्रीय मसलों में समान दृष्टिकोण विकसित हुआ है।

ड्यूटी पर मारे गये श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा

7441. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल उन्हीं ड्यूटी पर मारे गये कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को मुआवजा पाने का अधिकार है जिनके वेतन और भत्ते 500 रुपये प्रतिमास से कम हों ;

(ख) क्या सरकार वर्तमान परिस्थितियों में इस सीमा को अपर्याप्त समझती है ;

(ग) क्या इस सीमा को बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) : जी हां।

(ख) से (घ). कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, इन दोनों अधिनियमों के अधीन सुविधाओं की पात्रता के लिए मजदूरी-सीमा बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार की व्यवस्था करना

7442. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यह सर्वेक्षण किस तारीख को आरम्भ किया गया था ;

(ग) इसकी रिपोर्ट किस तारीख तक प्रस्तुत की जायेगी ; और

(घ) क्या इस सर्वेक्षण में रक्षा मंत्रालय के पुर्नवास महानिदेशालय की भी सलाह ली जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी, 1971।

(ग) और (घ). रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और यह रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय को, जिसके अनुरोध पर सर्वेक्षण किया गया था, उपलब्ध करा दी गई है।

'मरी' वार्ता के समाचार भेजने के लिए भारतीय संवाददाताओं पर प्रतिबन्ध

7443. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री एम० राजंगम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मरी' वार्ता के समाचार भेजने के लिये भारतीय संवाददाताओं की पाकिस्तान यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने 'मरी' वार्ता को प्रेस प्रचार की धूमधाम से दूर रखने की इच्छा व्यक्त की थी इसलिए यह निर्णय किया गया कि किसी भी भारतीय पत्रकार को इसकी खबर देने के लिए न भेजा जाय।

बंगला देश में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना

7444. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् के प्रेजीडेंट से अनुरोध किया था कि वह बंगला देश में पश्चिमी पाकिस्तानियों पर युद्ध अपराधियों के रूप में मुकदमा चलाये जाने को रोकने के लिये भारत के साथ बातचीत करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। 5 अप्रैल, 1972 को सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के नाम प्रेषित एक पत्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने यह आरोप लगाया है कि इस तरह मुकदमे चलाने से इस उपमहाद्वीप में तनाव निश्चय ही बढ़ेगा तथा पहले से बिगड़ी परिस्थिति अवश्य ही और जटिल हो जाएगी। सामान्य प्रथा के अनुसार इस पत्र को सुरक्षा परिषद् के प्रलेख के रूप में वितरित किया गया था।

बंगला देश सरकार के इस विचार का भारत सरकार पूर्ण सम्मान करती है कि बंगला देश में हुए युद्ध-अपराधों तथा नरसंहार और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में जब जैसी आवश्यकता होगी, भारत सरकार बंगला देश सरकार को सहयोग देगी।

अमेरिकन इन्टरनेशनल स्कूल

7445. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अमेरिकन इण्टरनेशनल स्कूल 'दूतावास स्कूल' बनता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अमरीकी राजदूतावास का इरादा अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल को राजदूतावास के स्कूल के रूप में परिवर्तित करने का है।

(ख) अमरीका से भर्ती किये गए शिक्षकों के आयकर की अदायगी में स्कूल को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। शिक्षकों को कर से छूट तभी मिल सकती है जब स्कूल राजदूतावास का हो और शिक्षक राजदूतावास के कर्मचारियों में से हों। अतः अमरीकी राजदूतावास ने भारत सरकार से इस स्कूल को, उन्होंने यह स्कूल मुख्य रूप से अमरीकी बच्चों को अमरीकी शिक्षा देने के लिए चला रखा है, राजदूतावास के स्कूल के रूप में बदलने की इजाजत के लिए निवेदन किया। भारत सरकार ने राजदूतावासों द्वारा अपने स्कूल चलाने का विरोध नहीं किया है। इसलिए हमने इस परिवर्तन को सिद्धान्तरूप से मान लिया है। यह कार्य कैसे होगा, यह अभी तय करना बाकी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता

7446. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों को अनुदेश जारी किये हैं कि रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक व्यवहार्य पाया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार की नीति सदा यह रही है कि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की वैध शिकायत

नहीं होनी चाहिए कि उन्हें अपने क्षेत्रों में स्थित ऐसे प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रोजगार अवसरों में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलता। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 500 रुपये से कम वेतन वाले पदों के लिए भरती रोजगार कार्यालयों द्वारा की जानी चाहिए, अन्य साधनों का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब रोजगार कार्यालय अप्राप्यता प्रमाण-पत्र जारी कर दे। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं किए गए हैं। तथापि, अखिल भारतीय नियोजक संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे मध्यस्ता द्वारा यह सुनिश्चित करें कि उनके संगठित एकक अपने प्रतिष्ठानों में यथासम्भव अधिकतम् सीमा तक स्थानीय लोगों को, उनकी योग्यतानुसार नियोजित करते हैं।

(ख) सरकार को सरकारी क्षेत्र में निर्देशों के पालन करने में हुई कठिनाई के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नियोजकों के अखिल भारतीय संगठन का 39वां अधिवेशन

7447. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों के अखिल भारतीय संगठन के 39वें अधिवेशन का उद्घाटन करते समय उन्होंने यह कहा था कि न्यास धारिता के बारे में महात्मा गांधी का विचार अवश्य ही साकार होगा ;

(ख) यदि हां, तो वह यह किस प्रकार समझते हैं कि न्यासधारिता के विचार को साकार रूप मिलेगा ; और

(ग) अब तक किन विभिन्न क्षेत्रों में यह साकार रूप धारण कर चुका है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). जी हां, जो बात कही गई थी, वह यह थी कि गांधी जी की न्यासित्व सम्बन्धी धारणा में सामाजिक उत्तरदायित्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है जिसका सक्रिय हो जाना आवश्यम्भावी हैं। यह एक सामान्य वक्तव्य था जिसका उद्देश्य इस विचार को समझाना था कि ऐसा सोचना भूल होगी कि पूंजी के स्वामित्व में यह बात कुछ स्वाभाविक है जो मालिकों को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्रदान करती है, जो अनतिक्रम्य हैं।

Procurement of Goods from States

7448. **Shri Bibhuti Mishra** Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) whether Central Government procure different goods from different States in the country ;

(b) whether Central Government do not invite quotations for the said goods from the industry departments of various States ;

(c) if so, whether under this system, such States are deprived of their dues ; and

(d) the arrangements being contemplated by Government to ensure procurement of goods from all the States ?

The Minister of Supply (Shri D. R. Chavan) : (a) The Central Purchase Organisation

procures goods for the various departments of the Government on the basis of the tender system, inviting quotations from suppliers all over the country irrespective of any preference to any particular State.

(b) Questions are not specifically called for from the industry departments of the various States. In order, however, to acquaint the Directors of Industries of the States of the Government's requirements, copies of advertised tender enquiries are endorsed to all Directors of Industries in the States which will enable them to create interest amongst the prospective suppliers to respond to these requirements.

(c) and (d). Do not arise.

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

7449. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णरूप से और आंशिकरूप से क्रियान्वित किया है ; और

(ख) किन किन कोयला खानों ने एक भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 31-3-1972 को जैसी स्थिति थी उसके अनुसार, 281 कोलियरियों ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों का पूर्णतः परिपालन किया था और 293 कोलियरियों ने ऐसा आंशिकरूप से किया था ।

(ख) चौहत्तर ।

श्रीलंका सरकार द्वारा सेथु समुद्रम परियोजना के निर्माण पर आपत्ति

7450. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीलंका के "डेली न्यूज" (27 अप्रैल के अंक) में छपे उस समाचार से अवगत है जिसमें श्रीलंका के नौवहन मन्त्री का हवाला देते हुए कहा गया है कि सम्भव है श्रीलंका सरकार सेथुसमुद्रम परियोजना के निर्माण पर आपत्ति कर सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने श्रीलंका से प्रकाशित 27 अप्रैल का "डेली न्यूज" देखा है। इस समाचार में जो एकमात्र उद्धरण छपा है और जिसे श्रीलंका के जहाजरानी मन्त्री का बताया जाता है, इस प्रकार है :

"हम इस विषय में अभी कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगे क्या होता है।"

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में उत्पादन

7451. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को वर्ष 1970-71 और 1971-72 में कितना शुद्ध लाभ हुआ ; और

(ख) चालू वर्ष में क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड की विभिन्न प्रायोजनाएं सन्निर्माणावस्था में हैं अतः 1970-71 और 1971-72 के दौरान हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा शुद्ध लाभ उपार्जित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ख) आशा है कि खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में ताम्र-धातु का उत्पादन 1973-74 के अन्तिम तिमाही से प्रारम्भ होगा । तथापि, खेतड़ी ताम्र प्रायोजना की खेतड़ी और कोलिहान खानों में से ताम्र अयस्क का परिसीमित मात्रा में उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। 1972-73 वर्ष के लिए ताम्र अयस्क का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 4,72,000 टन है ।

बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्ट्स तथा कामर्स स्नातकों में बेरोजगारी

7452. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में आर्ट्स तथा कामर्स स्नातकों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक बेरोजगारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बेरोजगारी के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस सम्बन्ध में जो सूचना उपलब्ध है, वह केवल रोजगार कार्यालयों में रोजगार सहायता के लिए पंजीकृत आर्ट्स तथा कामर्स के स्नातकों की संख्या के बारे में है । यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) केन्द्र और बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल विभिन्न विकास कार्यक्रमों और वर्ष 1970-71 से शुरू की गई विशेष रोजगारोन्मुख योजनाओं से बेरोजगार व्यक्तियों (आर्ट्स तथा कामर्स स्नातकों सहित) के लिए अधिकाधिक संख्या में रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे । सरकार ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों (आर्ट्स और कामर्स स्नातकों सहित) को सहायता देने हेतु विशेषरूप से बनाई गई योजनाओं के लिए 1971-72 के केन्द्रीय बजट में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । ऊपर निर्दिष्ट विशेष व्यवस्थाओं के अधीन योजनाओं से बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में बेरोजगार आर्ट्स तथा कामर्स स्नातकों को भी लाभ होगा ।

विवरण

31-12-1971 को चालू रजिस्टर में दर्ज आर्ट्स और कामर्स स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) की संख्या

राज्य/संघशासित क्षेत्र	31-12-1971 को चालू रजिस्टर में दर्ज आर्टस स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित)	31-12-1971 को चालू रजिस्टर में दर्ज कामर्स स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित)
आंध्र प्रदेश	6596	4330
असम	3118	410
बिहार	15320	1822
गुजरात	5707	3415
हरियाणा	3066	233
हिमाचल प्रदेश	1230	13
जम्मू व कश्मीर	840	68
केरल	7506	2282
मध्य प्रदेश	12425	3276
महाराष्ट्र	7059	5801
मैसूर	6628	1961
उड़ीसा	3681	512
पंजाब	5637	205
राजस्थान	5668	1532
तमिलनाडु	8177	1744
उत्तर प्रदेश	22611	3252
पश्चिम बंगाल	35416	21906
चंडीगढ़	745	28
दिल्ली	9530	1798
गोवा	267	32
लकादीव	19	2
मणिपुर	3397	156
पांडिचेरी	285	57
त्रिपुरा	902	244
अखिल भारतीय योग	165830	55079

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में अत्यावश्यक उपकरणों के खराब होने के कारण क्षमता का कम उपयोग

7453. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अत्यावश्यक उपकरणों का काफी समय से उचित रखरखाव न करने के कारण उपकरण अक्सर खराब हो जाते हैं जिससे क्षमता का कम उपयोग होता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के तीनों इस्पात कारखानों विशेषतया दुर्गापुर तथा राउरकेला में उचित रख-रखाव न होने के कारण यंत्रों के खराब हो जाने की वारदातें हुई हैं। यद्यपि मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने, प्रौद्योगिक त्रुटियां, परिचालन में रुकावटों आदि जैसी कुछ अन्य त्रुटियों के कारण भी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सका है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्राधिकारियों ने रख-रखाव तथा मरम्मतों के बकाया काम को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं तथा कर रहे हैं जिससे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निवारक रख-रखाव सुनिश्चित किया जा सके और फालतू पुर्जों के लिए पहले से योजना बनाई जा सके जिससे घिसे हुए पुर्जों को समय पर बदलने की सुविधा हो। सरकार भी ऐसे मामलों में कारखानों को पूरी सहायता देती है।

Non-Deposit of E. P. F. by Hira Mills (P) Ltd., Ujjain

7454. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2411 on the 17 June, 1971 regarding Employees' Provident Fund arrears outstanding against Hira Mills Company (P) Limited Ujjain and state :

(a) the action taken by Government to recover the arrears of Employees' Provident Fund so far ; and

(b) the steps proposed to be taken in future in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) and (b). Revenue recovery Certificates in respect of M/s. Hira Mills Company (P) Limited stand issued for the entire amount in arrears. Proposals for prosecuting the employers under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 are pending with the State Government for want of sanction. Complaints against the old management under section 406/409 I. P. C. have been filed in the Court. One complaint under section 406/409 I.P.C. has also been filed with the Police authorities against the Authorised Controller. The Company has deposited Employees' share of contribution for the period from August, 1971 to November, 1971. The Madhya Pradesh State Textile Corporation Limited Bhopal, who is the Authorised Controller of this Unit, has been apprised of the default and requested to issue necessary directions to the Unit for payment of provident fund dues.

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड के बारे में ज्ञापन

7455. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ आल इण्डिया हिन्दुस्तान कान्स्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन (सेन्ट्रल एडवाइजरी कन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के सदस्य) ने प्रधान मन्त्री तथा श्रम मन्त्री को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें निर्माण कन्स्ट्रक्शन) उद्योग के लिए एक वर्ष की निर्धारित अवधि में मजूरी ढांचा बनाने के लिए आयोग की नियुक्ति की मांग के साथ साथ अन्य मांगें भी की गई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण उद्योग सम्बन्धी रोजगार केन्द्रीय व राज्य क्षेत्राधिकार दोनों ही में आता है। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है, मजदूरी दरों को ऊपर ले जाने के लिए संशोधनार्थ मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिए गये हैं और तीन महीनों की अवधि के अन्तर्गत टिप्पणियों/आपत्तियों को मंगवाने की दृष्टि से इन्हें अधिसूचित किया जा रहा है। इन दरों को, इन टिप्पणियों पर जो कि प्राप्त होंगी, विचार करके और केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा। अन्य मांगों के सम्बन्ध में, संघ को कुछ के बारे में उत्तर भेज दिए गए हैं और शेष की जांच की जा रही है ।

खेतड़ी तांबा परियोजना के कार्मिक संघ के नेताओं को परेशान करना

7456. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतड़ी तांबा परियोजना के कार्मिक संघ के बहुत से नेताओं को परेशान किया गया है तथा संघ के मंत्रियों (सेक्रेटरी) को सेवा मुक्त कर दिया गया है और अन्य लोगों को निलम्बित कर दिया गया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : यह सत्य नहीं है कि खेतड़ी ताम्र प्रायोजना के श्रमिक-संघ के बहुत से नेताओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। प्रायोजना में केवल एक ही मान्यताप्राप्त संघ है और इस संघ के किसी भी पदाधिकारी के पर्यवसान या निलम्बन का कोई मामला नहीं है। तथापि, एक मजदूर की सेवाएं, जो परिवीक्षा पर था, परिवीक्षावधि के दौरान उसके असंतोषप्रद कार्य के कारण और उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, 1 दिसम्बर 1971 को पर्यवसित की गई। यह मजदूर एक अमान्यता-प्राप्त संघ का मन्त्री बताया जाता है। इसके अतिरिक्त, घोर दुर्व्यवहार के कारण दो मजदूर, अक्तूबर 1971 से, विस्तृत जांच के लम्बित रहने तक, निलम्बित किए गए हैं। कहा जाता है कि यह दो मजदूर भी अमान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के पदाधिकारी हैं।

इन दो मजदूरों के विरुद्ध, जिन्हें निलम्बित किया गया है, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित आरोप हैं :–

(1) प्रायोजनाध्यक्ष के साथ घोर दुर्व्यवहार ।

(2) प्रायोजना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभित्रास।

(3) अन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य ड्यूटी देने में शारीरिक बाधा ।

(4) हुल्लड़बाजी और अन्य मजदूरों को विधि-विरुद्ध कार्य-कलाप करने के लिए उत्तेजित करना ।

तांबा मजदूर संगठन, खेतड़ी तांबा परियोजना से ज्ञापन

7457. **श्री० डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबा संगठन, खेतड़ी तांबा परियोजना, ने प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के इस्पात मंत्री को कुछ समय पूर्व एक ज्ञापन दिया था जिसमें खेतड़ी परियोजना में नियुक्तियों में अनियमितताओं, ठेके देने में अनियमितताओं तथा खेतड़ी परियोजना के मुख्य इंजीनियर द्वारा दुर्विनियोग (सिविल) और परियोजना के मजदूर संघ नेताओं को परेशान करने की ओर ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या ज्ञापन में बताई गई अनेक प्रकार की अनियमितताओं की जांच कराई गई हैं और यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों के प्रकाश में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ज्ञापन में दिए गए आरोप मुख्यतः एन० पी० सी० सी० जो एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है, से संविदा लेकर एक प्राइवेट पार्टी मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को दिए जाने के सम्बन्ध में थे । स्थति यह है कि संकेन्द्रक और सम्बद्ध इमारतों (स्लैग व्यवहारक संयंत्र को सम्मिलित कर) के लिए सिविल निर्माण कार्यों के लिए संविदा, फरवरी 1969 में मैसर्स एन० पी० सी० सी० को दी गई थी । उनके द्वारा किए जा रहें कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं थी । खेतड़ी ताम्र प्रायोजना की कड़ी समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से, कार्य का कुछ भाग एन० पी० सी० सी० से ले लिया गया । स्लैग व्यवहारक संयंत्र भवन के निर्माण के लिए यह कार्य, हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा मैसर्स, तारापुर एण्ड कम्पनी को दिसम्बर 1971 में दिया गया था । यह सीमित निविदा पूछ-ताछ के आधार पर और कम्पनी के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से किया गया था । अतः, और जांच आवश्यक नहीं समझी गई है ।

टेण्डर मंगाये बिना खेतड़ी तांबा परियोजना के निर्माण कार्य का ठेका देना

7458. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना का निर्माण कार्य मैसर्स तारापुर कम्पनी नामक एक गैर सरकारी कम्पनी को बिना टेण्डर मंगाये तथा तुलनात्मक रूप से ऊंची दरों पर दिया गया है ;

(ख) क्या ठेका दिये जाने से पूर्व तारापुर कम्पनी के विरुद्ध पहले ही जांच की जा रही थी ;

(ग) जांच के परिणामों की प्रतीक्षा किये बिना तथा टेण्डर मंगाये बिना तथा ऊंची दरों पर ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की है ; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) संकेन्द्रक और सम्बद्ध इमारतों (स्लैग व्यवहारक संयंत्र को सम्मिलित कर) के लिए सिविल निर्माण कार्यों के लिए संविदा, फरवरी 1969 में मैसर्स एन० पी० सी० सी० को दी गई थी। उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं थी। खेतड़ी ताम्र प्रायोजना की कड़ी समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से, कार्य का कुछ भाग एन० पी० सी० सी० से ले लिया गया। स्लैग व्यवहारक संयंत्र भवन के निर्माण के लिए यह कार्य हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को दिसम्बर 1971 में दिया गया था। यह समिति निविदा पूछ-ताछ के आधार पर और कम्पनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया गया था। जिन दरों पर संविदा दी गई थी, वे कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा खेतड़ी ताम्र प्रायोजना में प्रद्रावक संयंत्र के लिए सिविल कार्यों के लिए मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को पहले दी गई संविदा की दरों पर आधारित थे जिसके लिए मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी की न्यूनतम बोली थी। इसके अतिरिक्त, जनवरी 1972 में प्रद्रावक संयंत्र के अनुभाग से संबंधित कतिपय समापन कार्य भी, जिन्हें एन० पी० सी० सी० ने स्वैच्छिकतः दिया था, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी को उन्हीं दरों के तुल्य दिए गए थे जिन पर स्लैग व्यवहारक संयंत्र से संबंधित पहला कार्य दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) मार्च, 1972 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने खेतड़ी ताम्र प्रायोजना की सिविल संविदाओं से संबंधित कुछ कागज मंगवाये थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Steel Stolen from Durgapur Steel Plant

7459. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether steel was stolen in a large quantity from the Alloy Steel Plant at Durgapur in December, 1971 ; and

(b) the estimated value of the steel so stolen and the action since taken to recover it ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) 22 pieces of billets of spring steel weighing about 4 tonnes were stolen from the Alloy Steels Plant, Durgapur, in the early hours of 23rd December, 1971.

(b) The estimate value of the stolen billets was about Rs. 44,770. Most of the billets along with the truck in which they were removed were recovered by the police the next day and these are in Police custody. The case is under investigation by the C. I. D.

Deposits of Copper, Nickel and Iron in Jhansi, Sabarkantha and Kozikode

7460. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether some copper, nickel and iron deposits have been located in Jhansi, Sabarkantha and Kozikode ;

(b) if so, the extent of these deposits, mineral-wise and place-wise and since when Government have been taking active steps to explore them ; and

(c) the nature of projects where these minerals would be utilised and whether it would effect the prices ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b). No workable deposits of copper and nickel ores have been located so far by the Geological Survey of India in Jhansi and Sabarkantha districts. A total reserve of 45.2 million tonnes of oxidised and unoxidized iron ore with total iron content varying from 29 to 40 percent have been estimated in the four deposits of Cheruppa, Eleyettimala, Nanminda and Naduvallur in Kozhikode district. Investigation in Alampara area of Kozhikode district is in progress.

Preliminary investigations of Kozhikode iron ore deposits were commenced in 1965-66 while intensive investigations were taken up in 1968. Government of U. P. have been engaged in exploration of copper mineralisation in Sonarai area in Jhansi since 1967-68, but the results so far reported are discouraging. The Geological Survey of India have explored copper-nickel mineralisation in Dadhalia area of Sabarkantha between 1967 to 1971.

(c) The question of utilisation of ores in Sabarkantha and Jhansi districts does not arise. Regarding iron ore deposits in Kozhikode district, a definite view can be taken on any investment proposal only after the geological investigations have been completed in all the five areas and the report thereon is received by the Government.

राउरकेला इस्पात संयंत्र के उष्मसह ईंट विभाग द्वारा ऊष्मसह ईंटों की खरीद

7461. **श्री गजाधर माझी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भन्डार की और अधिक सुविधाओं के न होने के कारण उष्मसह ईंट का भारी भण्डार जमा हो गया है और राउरकेला इस्पात संयंत्र अभी भी उष्मसह ईंटों की खरीद के लिए इन्डेन्ट दे रहा है ; और

(ख) यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर दी जायेगी ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के अफसरों के पुत्रों द्वारा दुकान खोलना

7462. **श्री गजाधर माझी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र के कुछ अफसरों ने अपने पुत्रों के नाम में कुछ दुकानें खोली हुई हैं और इस प्रकार अपनी ऊंची स्थिति तथा प्रभाव के कारण रूरकेला इस्पात संयंत्र से क्रयादेश ले रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में यूनियनों का विरोध

7463. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन ट्रेड यूनियनें अर्थात् इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर संघ केवल इस आधार पर हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने की बात का विरोध कर रही है कि सरकार किसी विशेष सेवा को 'अत्यावश्यक' घोषित कर देती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). आवश्यक सेवाओं/उद्योगों को सूचीबद्ध करने के प्रश्न पर तीन संगठनों के बीच कुछ मतभेद है। तथापि, सरकार मामले पर विचार कर रही है।

ब्रिटेन में आव्रजकों का प्रवेश

7464. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने 3 मई, 1972 को भारतीय आव्रजकों के लिये वार्षिक प्रवेश वाउचर का कोटा बढ़ा दिया था तथा इस सम्बन्ध में राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के नागरिकों की संख्या में कमी कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार की है तथा ऐसा किस सीमा तक किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने 3 मई, 1972 को हाउस आफ कामन्स में जो बयान दिया था उसका सम्बन्ध यूनाइटेड किंगडम में भारतीय आप्रवासियों से नहीं था बल्कि पूर्व अफ्रीका से आने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्टधारियों से था जो अब भारत में रह रहे हैं; अपनी नई नीति के अनुसार यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में बसने के लिए ब्रिटिश पासपोर्टधारियों के लिए विशेष वाउचरों के सार्वदेशिक वार्षिक आवंटन की संख्या 3000 से बढ़ाकर 3500 कर दी है। ऐसा उसने विशेष रूप से इस उद्देश्य से किया है कि इस समय पूर्व अफ्रीका में जो ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं उन्हें, जैसे भी हो, अपने यहां रखा जा सके। इसके साथ ही, यूनाइटेड किंगडम में रोजगार के लिए आने वाले राष्ट्रमंडल के राष्ट्रिकों की संख्या उन्होंने 450 प्रति वर्ष के हिसाब से कम कर दी है।

खान अधिनियम में संशोधन

7465. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खान अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) ये संशोधन विधेयक में, जो कि 22 मई, 1972 को सभा में पेश किया गया, शामिल हैं।

दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी

7466. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों में जनवरी, 1969 से अब तक वर्षवार कितने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) विभिन्न विभागों से कितने पदों के लिये मांग प्राप्त हुई थी और जनवरी, 1969 के पश्चात् (वर्ष-वार) कितने पद अधिसूचित किये गये थे;

(ग) इन विभागों द्वारा कितने उम्मीदवारों के नाम भेजे गये थे और जनवरी, 1969 के पश्चात् दर्ज हुए कितने उम्मीदवारों की वस्तुतः नियुक्तियां की गई थीं; और

(घ) क्या गत 3 वर्षों से बेरोजगारी की खराब स्थिति को देखते हुए इंजीनियरों की भर्ती के लिये आयु सीमा में वृद्धि की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी हां। उन पदों (रक्षा सेनाओं में पदों को छोड़कर) के लिए, जिनके लिए निर्धारित योग्यता इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा है, वर्तमान अधिकतम् आयु-सीमा में 2 वर्षों के लिए 5 वर्ष की वृद्धि की जा रही है।

विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान पंजीकृतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	वर्ष के दौरान अधिसूचित पदों की संख्या	वर्ष के दौरान सम्प्रेषित* उम्मीदवारों की संख्या	वर्ष के दौरान *नियुक्त कराये गए उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1969	905	44	110	662	28
1970	873	51	88	586	54
1971	814	53	121	1029	56

* तीन वर्षों (1969-71) के दौरान जिन उम्मीदवारों को सम्प्रेषित किया गया तथा नियुक्त कराया गया वे आवश्यक रूप से इन वर्षों के दौरान ही पंजीकृत नहीं हुए होंगे। इनके संबंध में जानकारी अलग रूप से उपलब्ध नहीं है।

गैर सरकारी क्षेत्र में रोलिंग मिलों द्वारा बिलेट तथा अन्य इस्पात उत्पादों की सप्लाई

7467. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**
मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में रोलिंग मिलों द्वारा लोहा तथा इस्पात के व्यापारियों को बिलेट तथा इस्पात के अन्य उत्पादों की सप्लाई करने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि व्यापारियों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में रोलिंग तथा रिरोलिंग मिलों में उत्पादित बिलेट तथा अन्य उत्पादों का आवंटन करने हेतु बिलेट रोलिंग समिति के लिए कोई "मार्गदर्शी" सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं तो वह क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). व्यापारियों को बिलेटों का आवंटन नहीं किया जाता है। बिलेट पुनर्बेलक समिति पंजीकृत बिलेट पुनर्बेलकों को बिलेटों तथा उनसे बने उत्पादों के वितरण का विनियमन करती है। पुनर्बेलकों को बिलेटों का आवंटन मुख्यत: उनकी निर्धारित क्षमता के आधार पर किया जाता है। पंजीकृत बिलेट पुनर्बेलकों द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत उत्पाद सरकारी प्राथमिक क्षेत्रों के थोक उपभोक्ताओं को आवंटित किये जाते हैं तथा शेष 25 प्रतिशत को सारे देश में विभिन्न स्थानों में स्थित उत्पादकों के स्टाकयार्डों के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से वितरित कर दिया जाता है :—

(1) लगभग 40 प्रतिशत वास्तविक प्राइवेट नागरिकों तथा संस्थाओं को मकान बनाने के लिए आरक्षित कर दिया जाता है।

(2) लगभग 20 प्रतिशत बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों/सरकारी विभागों तथा प्रायोजनाओं को उनकी थोड़ी तथा अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेचा जाता है।

(3) लगभग 40 प्रतिशत बारी बारी से उन वास्तविक व्यापारियों को बेच दिया जाता है जिनके नाम स्टाकयार्डों में रखी सूची में लिखे होते हैं।

औद्योगिक एककों द्वारा एल्यूमिनियम के (फायल) पन्नी बनाना

7468. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में एल्यूमिनियम के (फायल) पन्नी बनाने वाले औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थापित हैं और उनकी क्षमता कितनी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में जारी की गयी हाल ही की सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसरण में किन एककों ने अतिरिक्त क्षमता के लिये आवेदन किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्राइवेट सेक्टर में तीन एकक हैं जो इस समय देश में ऐलूमिनियम पर्णियों का निर्माण कर रहे हैं। इन एककों का नाम इनकी अवस्थिति और क्षमता निम्न प्रकार है :—

एकक का नाम	संयंत्र की अवस्थिति	वार्षिक क्षमता (टनों में)
1. मैसर्स इण्डिया फोइल्स लिमिटेड, कलकत्ता	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	3,000
2. मैसर्स इण्डियन ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	कलवा (महाराष्ट्र)	2,500
3. मैसर्स ऐलूमिनियम कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	जेके नगर, आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	500

(ख) अभी तक केवल एक एकक अर्थात् मैसर्स इण्डियन ऐलूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने ऐलूमिनियम पर्णियों के विनिर्माण के लिए अपनी विद्यमान क्षमता के विस्तारण हेतु औद्योगिक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए आवेदित किया है।

Accord Between Central Labour Unions and Employees

7469. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the representatives of the Central Labour Organisations and Employees have reached a limited agreement as reported in the Nav Bharat Times dated the 5th May, 1972 ; and

(b) if so, the main terms thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b). At their meetings held on March 13-15, 1972 the INTUC, the AITUC and the HMS did reach some limited understanding but on account of disagreement on some of the issues the AITUC/HMS reported at the meeting held on May 6, 1972 that they were not a party even to the limited understanding. At a meeting held on 21st May 1972, however, the three Central Trade Unions have agreed to establish a National Council to promote inter-unions cooperation and, **inter-alia**, to step up the development of the national economy.

Appointment of agents for sale of goods from godown of Hindustan Steel Ltd., Kota

7470. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether a godown of the Hindustan Steel Limited has been constructed at Kota in Rajasthan ;

(b) whether certain traders have been appointed as agents to sell the goods from the said godown ;

(c) if so, the names of the agents, together with their terms and conditions, who have been given licences for selling the goods ; and

(d) whether any agents who do not fulfil the prescribed conditions, have been given licences ; if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes, Sir. A Branch Sales Office-cum-Stockyard has been opened by Hindustan Steel Ltd. at Kota.

(b) No, Sir. As in all other Stockyards, only a list of recognised traders has been prepared.

(c) and (d). Do not arise.

मैसर्स हिन्दालको द्वारा तीसरी 'प्रोपरजी' मशीन चलाने के लिए अनुमति मांगना

7471. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री मैसर्स हिन्दालको द्वारा तीसरी 'प्रोपरजी' मशीन चलाने के लिये अनुमति मांगने के बारे में 4 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 691 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गत दो वर्षों में ई० सी० ग्रेड प्रोपरजी शलाकाओं के बारे में डी० जी० टी० डी० को जो मासिक विवरणी प्रस्तुत की गई है वह केवल दो प्रोपरजी मशीनों, जिनके लिए लाइसेंस लिया गया है, की उत्पादन क्षमता के बारे में है ;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कम्पनी ने वास्तव में गैर लाइसेंसशुदा तीसरी मशीन लगाई हुई है जिसका उत्पादन मासिक विवरणी में नहीं दिखाया गया है परन्तु जिसको अनधिकृत रूप से खरीदने वाले को बेचा जाता है और जिसके परिणामस्वरूप सरकार को उत्पादन शुल्क की हानि हुई है ; और

(ग) क्या ऐसी शिकायतों की जांच की गई है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हिन्दुस्तान एलूमिनियम निगम द्वारा तकनीकी विकास महानिदेशालय को दी गई उत्पादन की मासिक विवरणी में कम्पनी ने यह प्रतिवेदित किया है कि उनके पास दो प्रोपर्जी मशीनें हैं। इन विवरिणियों में दर्शित मासिक उत्पादन, इन दो मशीनों पर आधारित उत्पादन को भी उपदर्शित करता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बंगलादेश का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल

7472. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने प्रतिनिधि मडलों ने अब तक बंगला देश का दौरा किया है;

(ख) क्या सरकार की नीति भारत और बंगला देश के बीच मित्रता तथा सद्भावना बढ़ाने के लिये ऐसे प्रतिनिधिमंडलों को भेजने और प्रोत्साहन देने की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय संसद् की ओर से एक सद्‌भावना प्रतिनिधिमंडल भी निकट भविष्य में वहां भेजा जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सुलभ सूचना के अनुसार, भारत से 17 गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडलों ने बंगला देश की यात्रा की है ।

(ख) सरकार सच्चे मन से यह चाहती है कि भारत और बंगला देश के बीच मित्रता और सहयोग बढ़े । लेकिन, इस समय बंगला देश की सरकार और जनता पुनर्वास, पुनर्निर्माण और लोगों को फिर से बसाने के ज्यादा जरूरी कामों में लगी है । सरकार का मत है कि उनके इस कार्य में हस्तक्षेप न करने के लिए यह जरूरी है कि बंगला देश में बहुत अधिक प्रतिनिधिमंडल न भेजे जाएं ।

(ग) ऐसे किसी भी सुझाव पर सावधानी से विचार किया जाएगा ।

कोलगेट पामोलिव कम्पनी, बम्बई में स्वचलन

7473. **श्री के० लकप्पा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव कम्पनी के बम्बई मुख्य कार्यालय में आई० बी० एम० की मशीनों तथा संगणकों के लगने के कारण, कम्पनी में कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ; और

(ग) जिन कर्मचारियों की इस प्रकार छंटनी की गई है उनको क्या सहायता दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मैसर्स कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने सूचित किया है कि बम्बई स्थित मुख्यालय में आई० बी० एम० यंत्र और कम्प्यूटर लगाए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्रम न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन पड़े पंजाब नेशनल बैंक के मामले

7474. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निर्णय के लिये श्रम न्यायाधिकरण के सामने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ मामले विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले हैं ; प्रत्येक मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; तिथि, जब से मामले विचाराधीन पड़े हैं और विवाद किस प्रकार के हैं ;

(ग) इन विवादों पर निर्णय करने के लिये श्रम न्यायाधिकरण सामान्यत: कितना समय ले रहा है ; और

(घ) ऐसे मामलों में निर्णय करने के लिये श्रम न्यायाधिकरण अनुमानतः कितना समय लेगा जो छः महीनों से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) एक सारिणी संलग्न है।

(ग) और (घ). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 15 के अन्तर्गत, अधिकरण, अपनी कार्यवाहियां शीघ्र ही आरम्भ कर देंगे और जहां तक व्यवहार्य होगा उनकी समाप्ति पर अपने पंचाट उचित सरकार को यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे। अधिकरण की कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां मानी जाती हैं और सरकार द्वारा पंचाट प्रस्तुत करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्रमांक	**विवाद का स्वरूप**	**निर्देश की तारीख**
1.	श्री रामजग पांडे, सशस्त्र रक्षक की लिपिक की प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थिति के सम्बन्ध में।	16-5-1968
2.	12 श्रमिकों की पदोन्नति एवं पदावनति के सम्बन्ध में।	16-6-1969
3.	श्री सी० के० पटेल की पर्यवेक्षक से लिपिक एवं कोषाध्यक्ष के रूप में पदावनति।	18-5-1970
4.	श्री बी० के० गुप्ता की सेवाओं की समाप्ति के सम्बन्ध में।	29-8-1970
5.	श्री सी० डी० शाह को सेवा से मुक्त करने के सम्बन्ध में।	5-9-1970
6.	श्री आर० एल० कपूर की सही जन्म तिथि के सम्बन्ध में।	22-2-1971
7.	श्री के० एल० गौव को विशेष सहायक के पद पर कथित स्थानापन्न के अवसर देने से इनकार करने के सम्बन्ध में।	23-6-1971
8.	श्री एस० आर० सचदेव को मकान किराया भत्ते या कार्यालय किराया भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में।	23-9-1971

इस्पात तथा खान मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां

7475. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान मंत्रालय में काम कर रहे कर्मचारियों की कोई कल्याणकारी गतिविधियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इस्पात विभाग में एक समाज-कल्याण क्लब है जिसकी गतिविधियों में भीतरी और बाहरी खेलों की सुविधाओं की व्यवस्था, अन्तर्मंत्रालय खेलों में भाग लेना और एक सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी आदि सम्मिलित हैं। सरकार द्वारा क्लब को कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है। एक बचत तथा उधार सहकारी समिति भी है और एक कल्याण निधि है जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से चन्दा देते हैं।

खान विभाग में कर्मचारियों ने कर्मचारी वर्ग के उन सदस्यों को जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है वित्तीय सहायता देने के लिए एक कल्याण निधि खोल रखी है जिसमें कर्मचारी स्वेच्छा से चन्दा देते हैं। इस विभाग में दो क्लब हैं जिन्हें सांस्कृतिक मनोरंजन, खेल कूद और सैर सपाटे के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। कर्मचारियों ने शास्त्री भवन में एक कैन्टीन चलाने के लिए एक सहकारी समिति भी बनाई है। कैन्टीन को सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काकीनाडा और मछलीपटनम बन्दरगाहों के विकास के लिए इस्पात देना

7476. **श्री के० कोंडंडा रामी रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा और मछलीपटनम बन्दरगाहों के विकास के लिये हाल ही में 200 मीट्रिक टन इस्पात दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त दो बन्दरगाहों के लिये 600 मीट्रिक टन इस्पात की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में स्पंज लोहे का कारखाना स्थापित करना

7477. **श्री के० कोंडंडा रामी रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में बलदुरथी के निकट स्पंज लोहे का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश की सरकार अथवा गैर-सरकारी संगठनों से कोई सुझाव अथवा अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आन्ध्र प्रदेश के कुरनूल

जिले में बलदुरथी के निकट स्पंज लोहे का कारखाना स्थापित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार अथवा किसी गैर-सरकारी संगठन से औद्योगिक लाइसेन्स हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यार्पण के मामले

7478. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रमण्डल के देशों और अन्य देशों से कितने अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिये भारत ने कार्यवाही की ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं और सम्बन्धित मामलों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) इसी प्रकार पिछले दो वर्षों में किन-किन देशों को कितने भारतीयों का प्रत्यर्पण किया गया ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है, और उपलब्ध होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

समझौता वार्ता में सफलता

7479. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालिकों और कर्मचारियों के विवाद में समझौता वार्ता के कारण कितने प्रतिशत सफलता मिली है ;

(ख) क्या समझौता अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है ; और यदि हां, तो इन अधिकारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच सीधी समझौता वार्ता कराने का प्रयत्न किया जायेगा और यदि ऐसा प्रयत्न किया गया है तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1971 वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में समझौता कार्यवाहियों में सफलता की प्रतिशतता 49.4 थी।

(ख) इस वर्ष के दौरान समझौता अधिकारियों में अभिवृद्धि की प्रतिशतता लगभग 11 थी।

(ग) मालिक और मजदूरों के प्रतिनिधि आपस में भी समझौता-वार्ता करते हैं तथा समझौतों पर पहुंचते हैं। वर्ष 1971 के दौरान ऐसे 687 समझौते हुए थे।

लौह अयस्क के लिए मध्य प्रदेश को दी गई रायल्टी के बारे में दिनांक 11 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5818 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to USQ No. 5818 Dated 11.5.72 re. Royalty for Iron ore paid to Madhya Pradesh

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अतारांकित प्रश्न संख्या 5818 के भाग (ख) के उत्तर में, जो 11-5-1972 को दिया गया था, यह कहा गया था कि 1971-72 के दौरान मध्य प्रदेश को संदत्त राजस्व की राशि 5,16,889 रुपये थी। यह राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित थी। अब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सही आंकड़े 51,68,889 रुपए है। अतः पहले दिए गए आंकड़ों को तदनुसार संशोधित किया जाए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रूस द्वारा तैयार किये गये भारत के गलत मानचित्रों के पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर परिचालन की सम्भावनाओं के समाचार

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : श्रीमान, मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"रूस द्वारा तैयार किये गये भारत के गलत मानचित्रों के, जिनमें भारतीय राज्य क्षेत्र के नेफा और अक्साई चिन के बहुत बड़े भाग को चीन का भाग दिखाया गया है पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर परिचालन की सम्भावनाओं के समाचार।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार ने वृहद् सोवियत विश्वकोष का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित करने के बारे में एक अमरीकी वाणिज्यिक फर्म और सोवियत संघ की सरकार के बीच हुए वाणिज्यिक सौदे से संबंधित अखबारी खबर देखी है। हमारे संबंधित मिशनों को इस मामले के बारे में पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है।

अखबार में छपी खबर नवम्बर 1969 में मुद्रित वृहद् सोवियत विश्वकोष के खंड 1 के बारे में है जिसके पृष्ठ 280 के नक्शे में भारत की बाह्य सीमाओं को गलत दिखाया गया है। जब इस नक्शे की जानकारी सरकार को मिली तो हमने सोवियत विदेश कार्यालय में यह प्रश्न उठाया था। सोवियत अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यह मामला तकनीकी था जिस पर उनके नक्शानवीशों और विशेषज्ञों ने विचार किया था इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे नक्शों में सीमा गलत दिखाया जाना भारतीय सीमाओं के प्रति सोवियत सरकार के मत या सम्मान को किसी भी प्रकार प्रभावित या प्रतिबिम्बित नहीं करता।

छपी खबर के अनुसार एक अमरीकी फर्म के साथ हुए वाणिज्यिक सौदे से वृहद् सोवियत विश्वकोष का वाणिज्यिक आधार पर काफी प्रचार होगा परन्तु इससे सोवियत स्थिति में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है।

श्री बी० के० दासचौधरी : श्रीमान, जहां तक मुझे याद है, यह मामला 1968 से कई बार सभा में उठाया जा चुका है और मन्त्री महोदय ने बार बार यही उत्तर दिया है कि रूस को इस सम्बन्ध में विरोध पत्र भेज दिया गया है और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। रूसी लोग कहते हैं कि यह मानचित्र तकनीकी त्रुटि के कारण गलत छप गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस आश्वासन को हम किस रूप में लें। यह सच है कि रूस हमारा मित्र देश है, उसके साथ हमने शांति, मित्रता एवं आर्थिक विकास की संधि कर रखी है। फिर भी वह अपनी इस गलती को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। आज न सही, किन्तु दस-बीस वर्ष बाद इस नक्शे को राजनीतिक महत्व भी दिया जा सकता है। चीन की मानचित्रों में गलत दिखाई गई सीमा के बारे में बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ था। कच्छ न्यायाधिकरण में गलत मानचित्रों के कारण जो हुआ, वह भी हम जानते हैं। इन गलत मानचित्रों से कुछ देश अनुचित लाभ उठाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कैसे मान लिया कि भविष्य में इन गलत मानचित्रों के साथ राजनीतिक महत्व नहीं जोड़ दिया जायेगा। किन्तु सरकार तो रूस के इस वक्तव्य से ही प्रसन्न हो गई है कि इस मानचित्र से रूस की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता।

दूसरे, सरकार ने वक्तव्य में बताया है कि रूस स्थित अपने मिशन को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देने को कहा गया है। क्या सभा में ऐसे प्रश्न उठाये जाने अथवा समाचार पत्रों में छप जाने पर ही सरकार ऐसे मामलों में कार्यवाही करती है, स्वतः नहीं। वर्ष 1970 में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था और सरकार ने कहा था कि भारत सरकार रूस को अपने द्वारा तैयार किये गये मानचित्र भेजेगी और रूसी अधिकारी इस गलती को दूर कर लेंगे। इस बात को तीन वर्ष हो गये हैं। इस मामले में क्या हुआ ? एक ओर रूस से हमारी मित्रता घनिष्ट होती जा रही है, दूसरी ओर वहां से बड़े पैमाने पर ऐसे मानचित्र छापे जा रहे हैं जिनमें भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा गलत दिखाई गई है। यह स्थिति मेरी समझ में नहीं आती। सरकार इस मामले में ऐसी क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे रूस के बारे में हमारी गलत धारणा न बने। हमारे राज्य-क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सरकार रूस से ऐसा आश्वासन कब तक ले लेगी कि गलत मानचित्रों को रद्द कर दिया जायेगा। क्या इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उठाना सम्भव नहीं है, ताकि सब देश भारत की ठीक सीमा से परिचित हो जायें।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं, यह तो मेरी समझ में नहीं आया। हां, उन्होंने जो कुछ कहा है, उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि उन मानचित्रों के अस्तित्व में बने रहने से हमारे राष्ट्रीय हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि हम रूस से गलती ठीक करने के लिए कहते चले आ रहे हैं। रूसी भाषा में छपे विश्वकोष को अन्य भाषा में छापे जाने की अनुमति देने से रूस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां तक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की बात है, इस सम्बन्ध में हम रूस से कई बार बातचीत कर चुके हैं और उनसे गलत नक्शों को ठीक करने के लिए कहते रहेंगे। हां, माननीय सदस्य के इस सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाये, क्योंकि ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा।

श्री एच० एम० पटेल (ढुंढका) : 'ग्रेट सोवियत एटलस' तथा 'विश्वकोष' कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। उनमें छपे गलत नक्शों के बारे में हमारी नीति दृढ नहीं रही और हम रूसी

सरकार के इस आश्वासन से ही संतुष्ट हो गये कि उनसे रूसी सरकार के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आया है। रूसी अधिकारी कहते हैं कि यह गलती तकनीकी है और इन मानचित्रों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। चाहे गलती तकनीकी हो अथवा अन्य प्रकार की, वह ठीक की जानी चाहिए। दूसरे, दूसरी भाषाओं में उन्हें छापे जाने की अनुमति देते समय रूस सरकार को उक्त गलती को शुद्ध करने के निदेश देने चाहिए थे। यह समझ में नहीं आता कि भारत का मित्र होते हुए भी रूस उक्त गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार क्यों नहीं करता और उक्त गलती को शुद्ध क्यों नहीं कराता। क्या सरकार रूस सरकार के इस कथन मात्र से संतुष्ट है कि एक नया मानचित्र जारी कर दिया जायेगा। उक्त शुद्धि करने में कितना समय लगेगा? क्या यह मानचित्र 20 वर्ष बाद ठीक किया जायेगा? यहां एक प्रश्न और उठता है। रूस के साथ हुई संधि में यह व्यवस्था है कि देश पर आक्रमण के समय रूस हमारी सहायता करेगा। किन्तु रूस आक्रमण मानने के लिए कौन सी सीमा को ठीक मानेगा—उस सीमा को जो उनके मानचित्रों में दिखाई गई है अथवा जिसे हम ठीक मानते हैं?

हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि रूसी नक्शों में भारत की उत्तरी सीमा को गलत दिखाया जाना भारत के हित में नहीं है। अतः मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत और रूस के बीच बढ़ती हुई घनिष्टता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को रूस से पूछना चाहिए कि गलती ठीक करने से उन्हें कौन रोक रहा है अथवा रूस से लिखित में यह आश्वासन लेना चाहिए कि इस गलती को शीघ्रातिशीघ्र ठीक किया जायेगा।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह स्वीकार करता हूं कि मानचित्र में भारतीय सीमाओं को गलत अंकित करना देश के हित में नहीं है। रूसी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इन मानचित्रों से रूसी दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आया है वे भारत की ठीक सीमा को स्वीकार करते हैं। हम आशा करते हैं कि नये मानचित्रों में उनका यह दृष्टिकोण कार्यरूप में परिणित होगा। जहां तक आक्रमण के समय सीमा को मानने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मानचित्रों के अस्तित्व से कोई अन्तर नहीं पड़ता। क्योंकि नियंत्रण-रेखा और वास्तविक स्थिति में बल प्रयोग से कोई परिवर्तन आते ही आक्रमण माना जाता है।

जब भी सीमाओं पर भारत के मन्तव्यों को चुनौती दी जाती है हर समय रूस भारत का साथ देता है।

माननीय सदस्य का यह कहना कि मैं रूस के मत को स्वीकार करता हूं, सही नहीं है। मैं जहां निष्ठापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि मैं रूसी अधिकारियों को नोटिस दे रहा हूं कि हम उनमें इस आश्वासन, कि गलत नक्शों से भारत की स्थिति में अन्तर नहीं पड़ता, को आधार मानकर चल रहे हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : संधि पर हस्ताक्षर करने का क्या लाभ है जबकि हम उनसे इस मामले में स्पष्ट शुद्धि भी नहीं करवा सकते?

श्री स्वर्ण सिंह : संधि मानचित्रों से बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य की किसी न किसी बहाने रूस की निन्दा करने की नीति अच्छी बात नहीं है।

श्री पीलू मोदी : वह संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसकी प्रशंसा करते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : जब संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तब उनके नेता ने भी उसकी प्रशंसा की थी।

इन मानचित्रों को हम भूल मानते हैं। हम समझते हैं कि ये मानचित्र गलत हैं और इनको ठीक किया जाना चाहिए।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल): रूस और अमरीका के एक प्रकाशक के बीच रूसी विश्वकोष के मामले में करार एक गम्भीर समस्या है। इस प्रकार के गलत मानचित्र वाले विश्वकोष भारत के प्रति आक्रमक कार्यवाही है। तीन वर्ष पूर्व जब इस मामले को रूस के साथ उठाया गया था तो उन्होंने इसे शुद्ध करना स्वीकार कर लिया था।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उक्त पुस्तक प्रकाशित हो गई है और यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है। क्या विभिन्न देशों में हमारे प्रतिनिधि मण्डलों को इन मानचित्रों से होने वाले गलत प्रभावों को निरर्थक करने के आदेश दिये गये हैं तथा क्या मित्र देशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इसका परिचालन रोक दें। यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला।

श्री स्वर्ण सिंह : विश्वकोष रूसी में प्रकाशित दस्तावेज है। सभी विदेशी दूतावासों के पास ऐसे भाषा विशेषज्ञ हैं जो दूसरी भाषाओं के दस्तावेजों को समझ लेते हैं। अंग्रेजी में इसके प्रकाशन से अंग्रेजी जानने वाली जनता उसे पढ़ेगी परन्तु इससे हमारे हितों का आघात नहीं पहुंचेगा। हमें पता है कि हमारी सीमाएं कहां पर हैं।

उनका प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। इसके अनुवाद से पूर्व, रूसी भाषा में प्रकाशन से भी पहले हम विभिन्न देशों की राजधानियों को इस मामले पर भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराते रहे हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : जितना इनका प्रकाशन अधिक होगा उतना ही इसे अन्यथा समझा जाने की सम्भावना रहेगी।

श्री स्वर्ण सिंह : विश्वकोष के साथ मेरे भाषण की एक एक प्रति रहेगी। जब मूल विश्वकोष पर प्रतिबन्ध नहीं है तब अनुवादों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये हम कैसे कह सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 54वें प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी वक्तव्य

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) स्कीम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक

30 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5596 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) वैयक्तिक क्षति (आपात) विनिमय, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5597 में प्रकाशित हुए थे ।
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3044/72]

(2) जेनेवा में जून, 1970 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 54वें अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों और सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3045/72]**

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली और माईनिंग एंड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन दुर्गापुर की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(क) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3046/72]

(ख) (एक) माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 3047/72]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी संशोधित अनुमान और वर्ष 1972-73 के बजट अनुमान

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी संशोधित अनुमानों और वर्ष 1972-73 सम्बन्धी बजट अनुमानों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3048/72]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :-

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 18 मई, 1972 को पास किये गये वित्त विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 17 मई, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से कि 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक सभा की लोक लेखा समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य सभा के 7 सदस्य नाम-निर्दिष्ट किये जायें, सहमत हुई और राज्य सभा ने उक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी बताये :—

(1) श्री गोलप बारबोरा

(2) श्री श्यामलाल यादव

(3) श्री सवाइसिंह सिसोदिया

(4) श्री एम० आनन्दम्

(5) श्री विपिनपाल दास

(6) श्री पी० एस० पाटिल

(7) श्री कल्याण राय

(तीन) कि राज्य सभा 17 मई, 1972 को अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से कि 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में सम्मिलित होने के लिये राज्य सभा के 5 सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जायें, सहमत हुई और राज्य सभा ने उक्त संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी बताये :—

(1) चौधरी ए० मोहम्मद

(2) श्री डी० टी० सिंह

(3) श्री यू० एन० महिदा

(4) श्री एम० कमलनाथन

(5) श्री लाल के० अडवानी

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से जो 24 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से जो 24 मई, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में
RE. HUNGER STRIKE BY GOVERNMENT EMPLOYEES IN CHANDIGARH

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की नगर प्रति-कर भत्ते के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह भत्ता उन्हें मिल रहा था और बाद में वापस ले लिया गया । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय आश्वासन दें कि इस मामले में उपेक्षा नहीं बरती जायेगी ।

आकाशवाणी की विदेश सेवाओं में इन्डोनेशिया की भाषाएं जानने वाले बहुत से भारतीय हैं । अचानक दो व्यक्तियों को सेवानिवृति कर उनके स्थान पर उस देश के नागरिकों को वहां पर नियुक्त किया गया है । इस कार्य के लिये सक्षम भारतीयों के होते हुए ऐसा क्यों किया गया है ।

इस मामले को सूचना और प्रसारण मंत्री के पास भेज दिया जाये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जैसा कि 17 मई के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, मामला अभी भी विचाराधीन है ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha): The students of Aligarh Muslim University are demonstrating here for early introdution of Bill pertaining to that University.

Kindly stress on the Government to bring this Bill in the current session.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर(क्विलोन) : क्या मैं केरल की बाढ़ की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : डा० के० एल० राव के पास बाढ़ की स्थिति का पूरा विवरण प्राप्त हो गया है । वह इस पर कल वक्तव्य देंगे ।

नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 388

खान (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में नियम 74 के परन्तुक का निलम्बन

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का जहां तक वह खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का जहां तक वह खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खान (संशोधन) विधेयक

MINES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 3 में श्री सोमनाथ चटर्जी के नाम के स्थान पर श्री दीनेन भट्टाचार्य का नाम रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, 30 सदस्य इस सभा से अर्थात् :—

(1) श्री भागीरथ भंवर

(2) श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य

(3) श्री दीनेन भट्टाचार्य

(4) श्री खेमचन्दभाई चावड़ा

(5) श्री मूल चन्द डागा

(6) श्री आनन्दी चरण दास
(7) श्री के० जी० देशमुख
(8) श्री सी० डी० गौतम
(9) श्री भोगेन्द्र झा
(10) श्रीमती शीला कौल
(11) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(12) श्री बक्सी नायक
(13) श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
(14) श्री दामोदर पाण्डेय
(15) श्री प्रभुदास पटेल
(16) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
(17) श्री रामजी राम
(18) चौधरी राम प्रकाश
(19) श्री भोला राउत
(20) श्री पी० एंथनी रेड्डी
(21) चौधरी साधु राम
(22) श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
(23) श्री आर० एन० शर्मा
(24) श्री टी० सोहन लाल
(25) सरदार स्वर्ण सिंह सोखी
(26) श्री आर० पी० उलगनम्बी
(27) श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा वीरबसप्पा
(28) श्री बालगोविन्द वर्मा
(29) श्री जी० पी० यादव
(30) श्री आर० के० खाडिलकर

और 15 सदस्य राज्य सभा से ;

एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी ;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों के सम्बन्ध में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष महोदय करें ; और

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खान अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को 45 सदस्यों की, 30 सदस्य इस सभा से अर्थात् :—

(1) श्री भागीरथ भंवर
(2) श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य
(3) श्री दीनेन भट्टाचार्य
(4) श्री खेमचन्दभाई चावड़ा
(5) श्री मूल चन्द डागा
(6) श्री आनन्दी चरण दास
(7) श्री के० जी० देशमुख
(8) श्री सी० डी० गौतम
(9) श्री भोगेन्द्र झा
(10) श्रीमती शीला कौल
(11) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(12) श्री बक्सी नायक
(13) श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली
(14) श्री दामोदर पाण्डेय
(15) श्री प्रभुदास पटेल
(16) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
(17) श्री रामजी राम
(18) चौधरी राम प्रकाश
(19) श्री भोला राउत
(20) श्री पी० एंथनी रेड्डी
(21) चौधरी साधु राम
(22) श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
(23) श्री आर० एन० शर्मा
(24) श्री टी० सोहनलाल

(25) सरदार स्वर्ण सिंह सोखी

(26) श्री आर० पी० उलगनम्बी

(27) श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा बीरबसप्पा

(28) श्री बालगोविन्द वर्मा

(29) श्री जी० पी० यादव

(30) श्री आर० के० खाडिलकर

और 15 सदस्य राज्य सभा से ;

एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी ;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों के सम्बन्ध में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष महोदय करें ; और

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्ति किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

पर्याप्त समय से हम देख रहे हैं कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बन्द होने से उत्पादन में पर्याप्त कमी हुई है तथा बेरोजगारी बढ़ी है।

उद्योग (विकास और विनियमन) विधेयक के उपबन्ध सहसा बन्द होने वाले उद्योगों को रोकने में असमर्थ हैं। कई त्रिदलीय सम्मेलनों में विचार करने के पश्चात् निश्चय किया गया कि उद्योगों को बन्द करने के पहले कर्मचारियों तथा सरकार को तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिये।

इस समय इनके बंद होने से न केवल उत्पादन में हानि होगी, अपितु बेरोजगारी की समस्या भी जटिल होगी। इसके लिए विधायी कार्यवाही करने की आवश्यकता है यथा कारखानों को बंद करने से पूर्व (एक) पहले नोटिस देना पड़ेगा (दो) नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व इन्हें बंद नहीं किया जायेगा, इस नोटिस की अवधि का उपयोग सरकार इनको बंद होने से रोकने के लिए करेगी।

भारतीय श्रम सम्मेलन ने गत अक्तूबर में अपनी बैठक में केन्द्रीय विधान के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया था कि नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है अपितु सरकार को बंद होने वाले अथवा बंद हुए कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए।

चर्चा के दौरान यह कहा गया था कि नोटिस की लम्बी अवधि से हमारा मनोवांछित उद्देश्य विफल हो जाता है, इससे वित्तीय संस्थाएं कम्पनी को ऋण देना बंद कर सकती हैं, उन्हें कच्चे माल की सप्लाई बंद हो सकती है, इसलिए विधेयक के खंड 2 में नोटिस की अवधि 2 महीने रखने का प्रावधान रखा गया है।

खंड 3 में बिना नोटिस दिये कारखाने को बंद करने से दंड देने की व्यवस्था की गई है, यह दंड 6 महीने का कारावास हो सकता है अथवा 5000 रुपये का अर्थदंड हो सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं। यदि यह दंड अपर्याप्त समझा जायेगा तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। हमें आशा थी कि इस संबंध में एक व्यापक संशोधन लाया जायेगा जिसके लिए संपूर्ण देश में श्रमिक काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए निलम्बन अथवा अन्य आरोपों के मामलों की जांच करने के पुराने तरीके के सम्बन्ध में संशोधन लाये जाने की आशा की गई थी। पुराने तरीके के अनुसार प्रबन्धक वर्ग ही सारी जांच कार्यवाही करता है और उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है। इस सभा में अनेक बार यह मांग की गई है कि जांच कार्यवाही में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी भी श्रमिक को एक निश्चित अवधि तक ही निलम्बित रखा जा सकता है, पश्चिम बंगाल और केरल में इस प्रकार का कानून है कि निलम्बित श्रमिक को निर्वाह-भत्ता मिलता है। इस प्रकार का कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा न बनाये जाने के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विवाद अधिनियम में नियोक्ता को समझौते के लिए बुलाने की व्यवस्था नहीं है, वे आने के लिए मना कर सकते हैं। दूसरा, इसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी नियोक्ता को बाध्य करने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने कार्मिक संघों को मान्यता देने तथा अन्य कतिपय मामलों के सम्बन्ध में इंटक, एच० एम० एस० तथा एटक के प्रतिनिधियों के एक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए ऐसा तरीका अपनाया है जो अद्भुत है। एक ऐसी सरकार, जो

समाजवादी तरीके अपनाने का दावा करती है, को इस प्रकार का दाव पेंच नहीं अपनाना चाहिए। सरकार केवल झूठे आश्वासन ही दे रही है।

यह संशोधन केवल एक स्टंट है। सरकार बड़े नियोक्ताओं को किसी भी कारखाने को बंद करने का अवसर दे रही है। यदि नोटिस के दो महीने की अवधि में यह पता चलता है कि बंद करने के नोटिस में कोई औचित्य नहीं है तो भी कारखाने को बंद होने से रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

डालडा का उत्पादन करने वाली कुसुम प्रोडेक्ट ने हुगली जिले में अपने तीन कारखाने केवल 3 दिन का नोटिस देकर बन्द कर दिये थे। ऐसा अधिनियम के विरुद्ध किया गया था, परन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि बंद होने की परिभाषा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी। नियोक्ता कारखाने में तालाबंदी करने के स्थान पर इसे बंद करना अधिक ठीक समझते हैं क्योंकि ऐसा करने से वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। श्रम मंत्री ने राज्य सभा में अपने वक्तव्य में कहा था कि अधिकांश मामलों में नियोक्ताओं ने श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने अथवा अपने भ्रष्ट कारनामों पर पर्दा डालने के लिए कारखानों को बंद किया है, अतएव श्रमिक इसके लिए दोषी नहीं हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि कारखाने को बंद करना नियोक्ता का मूलभूत अधिकार है। विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि दो महीने के अंदर कारखाने को बंद होने से रोकने के लिए कार्यवाही की जायेगी ताकि किसी नियोक्ता के हितों के लिए कारखाने को बंद न करना पड़े।

इस विधेयक के अंतर्गत वे कारखाने नहीं आयेंगे जहां 50 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में पूंजी लगाकर तथा 50 से कम श्रमिकों को रखकर बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। इस विधेयक में उन कारखानों को क्यों नहीं लाया गया है जो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठेका पद्धति को समाप्त नहीं किया गया है। आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि अच्छे इरादे से या बुरे इरादे से कारखाने को बंद करने का क्या तात्पर्य है।

किसी भी नियोक्ता के लिए 5000 रुपये का अर्थ-दंड देना कठिन नहीं है। इसलिए हमने पश्चिम बंगाल सलाहकार समिति में यह मांग की थी कि दोषी नियोक्ताओं को अवश्य ही कारावास दिया जाना चाहिए अन्यथा सरकार अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगी। मेरे संशोधन में यह व्यवस्था है कि नियोक्ता को सरकार तथा कर्मचारियों को इस बात के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा कि कारखाने को बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करें क्योंकि कारखानों के बंद होने का वास्तविक कारण प्रबन्धक वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार है, इन शब्दों के साथ यह अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : In the industrial sphere, the closure or the strike hampers the march of a nation. Experience has shown that strikes or closures have resulted in the diminution of production and national income. The Government have now realised that employers are also responsible for the labour disputes. The amending Bill is not sufficient to cope with the industrial disputes. Hence a comprehensive Bill is needed.

The Bill envisages that the employer will have to serve notice of sixty days before closing the unit. But we should not accept closure on this basis. Many new units utilize concessions from the Government and earn good profits. After some years when the concessions are withdrawn they close the units. If the employer closes his unit then he should not be allowed to open new one. Because in this way he will earn profits, from the new unit. So the closure should only be accepted when there is no alternative left.

It has been stated that units having less than 50 workers will not come under the purview of this Bill. Today construction work is going on everywhere. Big industrialists like Tatas, Birlas, have set up construction units. If the workers raise their demands and claims, the employers close that unit and shift to some other place. Probably that unit has less than 50 workers but in All India complex the number is more. So it should be made compulsory for the employer to absorb the workers of closed unit in the other unit. Unless this is done, it will be easy for them to close the unit and open new one.

Regarding the question of punishment I want to say that the employers having influence and money can change the decision of courts. They are let off after paying negligible fine. So it is my submission that clause relating to fine should not be there and instead of clause regarding minimum punishment should be incorporated. May I know whether there is any provision to deal with those employers who close down their units? Unless such provision is incorporated, nothing positive result will come out of it. The Bill should have provision to give punishment to those who close down their units without valid reasons.

Now a days employers have concerns having different names. We should see that if a unit is closed down, its workers should be absorbed in another unit.

With these words I hope that the Government will bring a comprehensive Bill shortly.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : यह विधेयक भारतीय श्रम सम्मेलन के उस संकल्प की क्रियान्विति की दिशा में एक कदम है जो उद्योगों को बंद होने से रोकने के लिए पारित किया गया था। यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि उद्योगों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। केवल कानून बना देने से ही किसी उद्योग को बंद होने से नहीं रोका जा सकता है। अतएव भारतीय श्रम सम्मेलन में यह कहा गया कि यदि उद्योग का बंद होना निश्चित हो जाता है तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने हेतु विधेयक में पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

इस प्रसंग में औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम में एक संशोधन लाया गया था जिसके अंतर्गत यदि कोई सक्षम उद्योग कुप्रबंध के कारण बंद होता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यदि उद्योग तीन महीने से अधिक समय से बंद है तथा कोई उद्योग महत्वपूर्ण है तो भी सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है।

सरकार ने विधेयक द्वारा तीन महीने के नोटिस के स्थान पर दो महीने का नोटिस रखा है। अतएव सरकार पर यह दायित्व आ जाता है कि वह इसी अवधि में तत्काल यह निर्णय करे कि उद्योग को अपने नियंत्रण में लेकर उसे चलाना ठीक रहेगा या नहीं। नोटिस के प्राप्त होने पर औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत जांच कार्यवाही करनी पड़ेगी कि क्या उद्योग का अपने नियंत्रण में लेना ठीक रहेगा अथवा इसको बंद होने दिया जाये। इसी उद्देश्य को लेकर यह संशोधन

प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी सक्षम उद्योग को कुप्रबन्ध के कारण बंद करना पड़ रहा है तो सरकार उसे अपने नियंत्रण में लेकर चला सकती है। अतएव मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

इस संशोधन का स्वागत मैं इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसके पीछे सभी कार्मिक संघों की सहमति है। यह उनके निर्णय की ईमानदारी की भावना के साथ की गई क्रियान्विति है।

यद्यपि मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी मेरा पूछना है कि क्या श्रमिकों को भी नोटिस देना अपेक्षित नहीं है। सरकार को गुप्त रूप से नोटिस भेज दिया जाता है क्योंकि तर्क यह दिया गया है कि इसके प्रकट हो जाने से वित्त संस्थाएं ऋण देना रोक सकती हैं। संशोधन के अनुसार श्रमिकों को कोई नोटिस देने की व्यवस्था नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका कोई समाधान निकल सकता है। यदि श्रमिक को पता चलता है कि बिना उसको मजूरी दिये या अन्य प्रकार की देय राशि का भुगतान किये बिना उद्योग को बंद किया जा रहा है तो वह इस मामले को दो महीने के अंदर उठा सकता है अथवा इसके लिए लड़ सकता है। इस प्रकार के नोटिस का प्रावधान विधेयक में नहीं रखा गया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि धारा 30 क की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुभव यह है कि न्यायालयों में निर्णय नियोक्ताओं के पक्ष में दिये जाते हैं। अस्पृश्यता संशोधन विधेयक इसका जीता-जागता उदाहरण है क्योंकि कमजोर व्यक्ति के लिए न्याय नहीं है। इसलिए मेरा कहना हैं कि धारा 30 क की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अनुभव बताता है कि कारावास का दंड देने का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह त्रिपक्षीय सम्मेलन में किये गये संकल्प की ईमानदारी से क्रियान्वित करने की दिशा में एक प्रयास है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा इस विधेयक को समर्थन सशर्त्त है। प्रश्न यह है कि क्या विधेयक उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा अथवा नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में उद्योग बंद पड़े हैं और इसका कारण श्रमिक अशांति बताया गया है। मंत्री महोदय ने राज्यसभा में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए यह स्वीकार किया है कि केवल 30 प्रतिशत उद्योग श्रमिक अशांति के कारण बंद हुए हैं और 70 प्रतिशत उद्योगों के बंद होने का कारण इनका कुप्रबन्ध है।

हमें आशा थी कि इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा ताकि विभिन्न खंडों को पूर्णतया परिवर्तित किया जा सके। राज्य सभा में मंत्री महोदय ने कहा था कि शीघ्र ही वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन करने वाला एक व्यापक विधेयक इस सभा में लाया जायेगा परन्तु अभी तक कोई व्यापक विधेयक नहीं लाया गया है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे प्रस्तुत संशोधन पर विचार करें। मेरे विचार में कतिपय संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने राज्य सभा में स्वीकार किया है कि उद्योगों का संचालन इस रीति से किया जाता है जो श्रमिकों और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकर है। जब उद्योग की क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं तब उसे अनाथ बच्चे की तरह छोड़ दिया जाता है। इसी कुप्रबन्ध के कारण बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने भारी लाभ कमाया है। अब वे चाहते हैं कि सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले। पश्चिम बंगाल

में 286 उद्योग बंद पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन्हें अपने नियंत्रण में लेने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त स्थिति यह बन गई है कि यदि उद्योग किसी गलत उद्देश्य से बंद किया जाता है तो श्रमिक इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकता है। न्यायालय को इस बारे में निर्णय देने का अधिकार नहीं है कि उद्योग किसी बुरे उद्देश्य अथवा अच्छे उद्देश्य से बंद किया गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बारे में विचार किया जाये कि किस प्रकार विधेयक में सुधार लाया जा सकता है।

इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में उन उद्योगों को नहीं लाया गया है जहां 50 से अधिक श्रमिक कार्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें निर्माण कार्य करने वाले एककों को भी नहीं लाया गया है। निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ठेकेदार अपना ठेका समाप्त करके सैकड़ों श्रमिकों को बेरोजगार कर सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाये। यह देखा गया है कि श्रम कानून से बचने के लिए नियोक्ता 30 या 10 श्रमिक काम पर रखते हैं। इस प्रकार वे छोटे-छोटे एकक बनाकर एक स्थान पर वस्तु का पूर्ण निर्माण करते हैं। इस प्रकार वे श्रम कानून की परिधि में आने से बच जाते हैं और विभिन्न प्रकार से लाभ कमाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस आशय का उपबन्ध हटाया जाये। अन्यथा यह उन लोगों के लिए सक्षम साधन बन जाएगा जो अवैधरूप से श्रमिकों की सेवाओं को समाप्त करना चाहते हैं।

यदि भविष्य निधि तथा अन्य योजनाएं 10 या 20 व्यक्तियों वाले उद्यम पर लागू हो सकती हैं तो निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों को इस विधेयक की परिधि से बाहर क्यों रखा गया है। यदि यह विधेयक नियोक्ता के लिए सहायक है तो इसको वापिस ले लिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को चाहिए कि वे इस संबंध में प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार करें। यदि राज्य सभा में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ है तो यह हमें यहां संशोधन प्रस्तुत करने से रोक नहीं सकता है।

बंबई में सकसेरिया मिल बंद पड़ी है परन्तु इसे सरकार ने अपने नियंत्रण में नहीं लिया है। इसी प्रकार सहारनपुर में लार्ड कृष्ण टेक्साइल मिल बिना किसी नोटिस के बन्द पड़ी है। श्रमिकों को फरवरी 1972 से मजूरी नहीं मिली हैं। लक्ष्मी रतन काटन मिल पहले बन्द थी और इसे सरकार को अपने नियंत्रण में लेना था परन्तु राज्य सरकार ने इसकी सहायता की और यह पुनः खुल गई है।

इसलिए, यह फिर बन्द हो जायेगी। वहां स्थिति बहुत खराब है। मेरा यह अनुरोध है कि इस मिल का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उक्त परन्तुक वापस लिया जाय।

* **श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक के अनुसार यदि कोई मालिक अपने कारखाने को बन्द करना चाहता है, तो उसे सरकार को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में अनेक खामियां हैं और सरकार को उन्हें शीघ्रातिशीघ्र दूर

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

करना चाहिए। कर्मचारियों के हितों के पूरे संरक्षण के लिए सरकार को व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि इमारतों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों और अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न कम्पनियों को 60 दिन का नोटिस देने से छूट दी गई है। बांधों अथवा अन्य परियोजनाओं के निर्माण में 5 अथवा 10 वर्ष लगते हैं और ठेकेदार हजारों मजदूरों को नियुक्त करते हैं। क्या ऐसे ठेकेदारों द्वारा 60 दिन का नोटिस देना असम्भव है ? सरकार ऐसी कम्पनियों का अधिग्रहण भले ही न करे, परन्तु उन मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने में तो मदद कर ही सकती है। इसलिए इस परन्तुक को इस विधेयक से हटा दिया जाना चाहिए।

जिस काम को 50 व्यक्ति करते थे, बिजली के कारण अब उसी काम को 5 व्यक्ति कर सकते हैं। क्या उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ? 20 कर्मचारियों वाले संस्थानों में भविष्य निधि, उपदान, बीमा जैसी कई सुविधायें अन्य कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, फिर 50 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को इस विधेयक में क्यों छूट दी गई है ? मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

अगर कोई मालिक इस विधेयक के उपबन्धों का पालन नहीं करता, तो उसे छः माह के कारावास का दण्ड दिया जायगा, परन्तु बन्द पड़े कारखानों को पुनः खोलने में केन्द्रीय सरकार विलम्ब करे, तो सरकार के खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ? मालिकों की गलती के साथ साथ सरकार की गलती के लिए भी जिम्मेवारी का निर्धारण किया जाना चाहिए।

श्री स्टीफन ने कहा कि सरकार चालू कारखाने का प्रबन्ध भी अपने हाथ में ले सकती है। औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम के अन्तर्गत, अगर कोई आवश्यक उद्योग बन्द हो जाय तो उसका प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले सकती है। चालू कारखाने का प्रबन्ध सरकार तभी संभाल सकती है, जब वह उसका राष्ट्रीयकरण करे।

सरकार को कर्मचारियों के कल्याण के लिए व्यापक विधेयक लाना चाहिए, छोटे छोटे विधेयक लाने से कोई लाभ नहीं। फिर भी कर्मचारियों के कल्याणार्थ पेश किये गये इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : विभिन्न संस्थानों के मालिकों और प्रबन्धकों द्वारा कुछ संयम बरतने के बारे में श्रम मन्त्री द्वारा पेश किये गये इस नये विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

जहां एक ओर हम कर्मचारियों से राष्ट्र के निर्माण कार्य में जुट जाने के लिए आग्रह करते हैं, तो हमें दूसरी ओर प्रबन्धकों और मालिकों से उद्योग से लाभ प्राप्त करने में भी संयम बरतने के लिए अनुरोध करना होगा। श्रम और पूंजी दोनों में सहमति करके पूंजी से प्राप्त लाभांश को पुनः उद्योग में लगाने का हमें प्रयास करना होगा, ताकि उद्योग का विकास हो सके और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किये जा सकें।

हमारी कुल आबादी के लगभग 2 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 लाख कर्मचारी संगठित श्रम क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। ये कर्मचारी दबाव डालकर सुविधायें प्राप्त कर लेते हैं,

परन्तु हमारी जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत भाग असंगठित श्रम क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिन्हें पेंशन, उपदान आदि कोई सुविधायें प्राप्त नहीं हो पातीं। खेतिहर मजदूरों को क्या संरक्षण प्राप्त है ? इनकी सहायता के लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत किसी कारखाने के बन्द हो जाने के दो महीने बाद उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। मेरे विचार में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसी संकटग्रस्त उद्योग का अधिग्रहण उसके बन्द होने की तारीख से ही कर लिया जाय जिससे कर्मचारियों को कठिनाई न हो। मैसूर में कुछ उद्योग दो साल से बन्द पड़े हैं—जैसे कर्नाटक को-आपरेटिव टेक्सटाइल मिल्स, हुबली आदि। पचास से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को भी वर्त्तमान विधेयक के अन्तर्गत संरक्षण मिलना चाहिए। इस विधेयक के अन्तर्गत छः माह के कारावास का दण्ड पर्याप्त है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : देश के संगठित श्रम क्षेत्र और मजदूर संघों ने जब यह देखा कि 30-40 वर्षों से चालू और 2,000, 4,000 अथवा 8000, कर्मचारियों वाले कारखाने बन्द हो रहे हैं, तो उन्होंने सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया। यह विधेयक उन्हीं प्रभावी उपायों में से एक है।

विधेयक के उद्देश्य काफी सीमित हैं। विधेयक में कारखाने के बन्द होने की स्थिति का समाधान नहीं है और न कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान ही है। विधेयक का उद्देश्य कारखाने को बन्द करने से पहले 60 दिन की पूर्व-सूचना देना है। विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मालिक 60 दिन का नोटिस देने के बदले 60 दिन के वेतन का भुगतान कर दे। 60 दिन का नोटिस देने से सरकार, कर्मचारी, मालिक और जनता सभी कारखाना बन्द होने के कारण से परिचित हो सकते हैं।

कोई कारखाना बन्द हो जाने के बाद मजदूर संघ अथवा कोई कर्मचारी औद्योगिक विवाद नहीं उठा सकता; परन्तु अब मालिक को अपने नोटिस में—कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, बाजार के मूल्यों में उतार-चढ़ाव अथवा श्रमिक विवाद आदि कारणों का—स्पष्टरूप से उल्लेख करना होगा। कारणों का स्पष्ट उल्लेख होने पर सरकार और मजदूर संघ उन्हें दूर करने में सहायता कर सकेंगे। यह विधेयक पहले से बन्द पड़े कारखानों के कर्मचारियों की कोई सहायता नहीं कर सकता, परन्तु भविष्य में बन्द होने वाले कारखानों के लिए यह एक प्रतिरोधी उपाय है।

पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री ने कहा है कि सभी बन्द कारखानों का अधिग्रहण किया जा रहा है। बन्द पड़े कारखानों का अधिग्रहण न करने के लिए सरकार की आलोचना की जा सकती है, परन्तु वर्त्तमान विधेयक का उद्देश्य कारखाना बन्द होने से पूर्व सरकार और कर्मचारियों को 60 दिन का समय देना है, ताकि स्थिति में सुधार किया जा सके और कारखाने को बन्द होने से बचाया जा सके।

Shri R. V. Bade (Khargone) : The trade unions demanded that there should be some effective measures to check sudden closure of a factory. The Government should have brought forward a comprehensive Bill instead of the present Bill with a limited purpose. After two or three months, either Government or the Joint Management Council of the labour should take over the industry.

The proviso regarding its exemption of the factories employing less than 50 employees should be withdrawn, otherwise employers would evade the law. Contract labour should also be brought within the purview of this bill.

In punishment clause it is stated that not withstanding anything contained in sub-section (1), the appropriate Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the undertaking or death of the employer or the like.." What is this "or the like". Or the like words is a lacuna in the present bill. Similarly, it has been further stated that he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine." It should have been six months and with fine. By taking fine, Government purchases crime.

This bill is incomplete in the sense that it has no provision for follow-up action. I support this bill, because something is better than nothing.

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : मैं इस चिर-प्रतीक्षित और वांछनीय विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु यह पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा कारखाना बन्द होने से रोकने के लिए दो महीने का समय दिया गया है । हमें कारखानें का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए उपाय करने होंगे । कारखाना बन्द करने और कारखाने में अनिश्चित काल के लिए उत्पादन बन्द करने में अन्तर है और इस अन्तर से मालिकों के बच निकलने को रोकने के लिए विधेयक में अनिश्चित समय तक के लिए उत्पादन बन्द करने का भी उल्लेख होना चाहिए ।

पचास से कम कर्मचारियों वाले उपक्रमों के कर्मचारियों को इस विधेयक के अन्तर्गत दिये गये संरक्षण से क्यों वंचित किया जा रहा है ? आजकल पूंजी का महत्व होने से कम कर्मचारियों की मदद से कारखाने को चलाया जा सकता हैं । कारखाने को बन्द करने से पहले दो महीने का नोटिस देने से मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें कितने ही कर्मचारी क्यों न हों । इसलिए इस परन्तुक को हटाया जाना चाहिए । "अथवा इसी प्रकार की" शब्द भी खण्ड में रहने चाहिए, क्योंकि उसमें मालिक की मृत्यु आदि का तो उदाहरण दिया गया है।

दण्ड के बारे में कहा गया है कि कारावास छ: माह तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है । छ: मास के कारावास की सजा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । किसी अदालत ने छ: दिन के कारावास का दण्ड भी आज तक किसी मालिक को नहीं दिया है । इसके अलावा अथवा जुर्माना जो बढ़ाकर 5000 रु० तक किया जा सकता है के स्थान पर 'तथा जुर्माना जो 5000 रु० होगा' होना चाहिए ।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है परन्तु जिन्होंने इसकी आलोचना की है, मेरे विचार से उन्हें कुछ गलतफहमी है । उन्हें याद होगा कि गत वर्ष औद्योगिक क्षेत्र में लगातार तालाबन्दियां होती रहीं । कर्मचारी संघों के नेता विभिन्न प्रकार की मांगें करते रहे और सरकार भी इस बारे में चिन्तित रही कि किस प्रकार इन तालाबन्दियों को रोका जाये जिनके कारण उत्पादन की हानि के साथ-साथ कर्मचारियों के बेकार हो जाने की समस्या भी उत्पन्न होती जा रही थी । नियोक्ता लोग अकस्मात ही बिना किसी पूर्व सूचना अथवा सरकार को सूचना दिये इन उपक्रमों को बन्द कर देते थे। इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के प्रावधान पर्याप्त नहीं थे क्योंकि इस अधिनियम के अनुकरण में अधिकाधिक यह हो सकता था कि किसी कम्पनी के बन्द किये जाने से पूर्व इसके मामलों की जांच की जा सके । अत: यह विचार करना अनिवार्य हो गया कि कोई ऐसा

कानून बनाया जाय कि किसी उपक्रम को बन्द करने से पूर्व ऐसा करने की इच्छा बताते हुए नियोक्ताओं द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिए तथा नोटिस में निर्धारित तिथि से पूर्व उपक्रम को बंद नहीं किया जाना चाहिए। एक कानून औद्योगिक विकास तथा विनियमन के अधीन बना जिसमें अधिग्रहीत करने तथा बन्द करने से पूर्व 60 दिन का नोटिस देने का प्रावधान रखा गया। यह केवल निरोधक कानून है। दूसरा कानून उपक्रम के बन्द होने के पश्चात् लागू होता है। यहां उद्देश्य यही था कि उपक्रम के बन्द होने के पश्चात् उसके बन्द होने आदि के कारणों की जांच करने की बजाय उसके बन्द होने से पहले ही उस उद्योग की स्थिति की जांच करके उसे बन्द होने से रोकने का प्रयास किया जाये। इस प्रकार यह एक निरोधक कानून है।

प्रायः सभी सदस्यों ने पूछा है कि इस कानून के अधीन कितने दण्ड की व्यवस्था है। इसके पश्चात् 50 कर्मचारियों का लाभ उठाकर उद्योग को खण्डों में विभाजित करने का लाभ उठाने संबंधी कदाचारों के बारे में भी यह प्रश्न पूछे गये हैं। मैं जानता हूं कि कई स्थानों पर इस प्रावधान का लाभ उठाकर नियोक्ता फैक्ट्री कानूनों अथवा अन्य कानूनों के चंगुल से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसका भी ध्यान रखा है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि जहां तक सम्भव हो उद्योग को बन्द न होने दिया जाये, चाहे यह कुप्रबन्ध अथवा कच्चे माल की कमी, वित्त की कमी अथवा श्रमिक विवाद के कारण अर्थात् किसी भी अन्य कारण से बन्द क्यों न किया जा रहा हो। वस्तुतः इस प्रकार की स्थिति पश्चिम बंगाल में राजनैतिक परिस्थितियों के कारण पैदा हुई थी जहां अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक तालाबन्दी हुई थी। अतः माननीय सदस्य समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कानून बनाना बड़ा अनिवार्य था ताकि देश में उत्पादन तथा बेरोजगारी सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में सहायता मिले।

जहां दण्ड का प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम क्षेत्रों में न्यायालय कानूनों को बड़ी नरमाई से लागू करते हैं। अतः शायद अब समय आ गया है कि अपनी न्यायिक व्यवस्था जो कि इस समय समाज के एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की ओर अधिक झुकाव रखती है को पिछले अनुभवों के प्रकाश से नई दिशा देने की आवश्यकता है। इस विधान के अधीन दण्ड की सीमा छ मास की कैद अथवा जुर्माना दोनों है। परन्तु अनुभव यह कहता है कि यह सजा कम है और निश्चय ही हम इस संदर्भ में विचार करेंगे।

परन्तु आज मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी उद्योगपति नहीं बल्कि कुछ ही लोग अपने उद्योगों को चलाने के प्रति उदासीन होते हैं।

वस्तुतः तो हमें इन तालाबन्दियों को रोकने के लिए सामाजिक वातावरण तैयार करना है। केवल-कम अथवा कड़े दण्ड व्यवस्था से ही ये स्थिति ठीक नहीं की जा सकती।

श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा की गई आलोचना प्रस्तुत किये गये संशोधन के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि तीनों केन्द्रीय व्यापार संघ स्वतः ही परस्पर निकट आये हैं और हम इस संशोधन की भावना का स्वागत करते हैं कि कर्मचारी तथा प्रबन्धक मिलकर उद्योग की अच्छाइयों तथा बुराइयों पर विचार करें परन्तु फिर भी व्यापार संघों का आन्दोलन कुछ इस प्रकार बिखरा हुआ है कि वे उत्पादन तथा उचित प्रबन्ध की दिशा में कुछ उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने में समर्थ दिखाई नहीं देते। हालांकि हम चाहते हैं कि दायित्व ग्रहण करने की स्थिति में आयें। यदि ऐसा हो जाये तो निश्चय उद्योगों में से तालाबन्दियों की घटनाओं को रोका जा सकता है।

सकसेरिया मिल्स जोकि बम्बई के सर्वोत्तम मिलों में से एक है वह भी बन्द हो गया और नये नियमों के गठन के बाद भी इसे पुनः खोलना बड़ा कठिन है क्योंकि इसके संचालकगण न्यायालयों के आश्रय में चले जाते हैं। अतः यह विधान भी पूर्णतया त्रुटिहीन नहीं है। हमारा तो प्रयास यह है कि किसी प्रकार भी औद्योगिक वातावरण को सुधारा जाये तथा उत्पादन की गति, निरन्तर बनाये रखने के साथ बेरोजगारी को बढ़ने से रोका जाये। यही सीमित उद्देश्य इस विधेयक का है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य अपने संशोधनों में निहित राजनैतिक उद्देश्यों को बदल कर लायें तो उत्तम हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

Clause 2

श्री सोमनाथ चैटर्जी (बर्दवान) : मैं संशोधन संख्या 2,3,4, तथा 6 पेश करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संशोधन संख्या 1 तथा 5 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उपरोक्त संशोधन अब सभा के समक्ष विचारार्थ रखे गये हैं।

श्री सोमनाथ चैटर्जी (बर्दवान) : अपने संशोधन संख्या 2 के संदर्भ में मेरा विचार है कि विधेयक का मसौदा तैयार करते समय इस विभाग से अनजाने में ऐसी भूल हो गई जिससे कि इसका समूचा उद्देश्य ही समाप्त हो गया। विचारार्थ उपबन्ध में कहा गया है कि यह परन्तुक उन उपक्रमों पर लागू नहीं होगी जिनमें 50 से अधिक कर्मचारी काम नहीं करते हैं। वस्तुतः यह भाषा नकारात्मक है जबकि अन्य पूर्ववर्ती किसी भी विधान में ऐसी भाषा नहीं रही क्योंकि इसका अर्थ तो यह होता है कि वर्ष के 365 दिन में यदि एक दिन भी कर्मचारियों की संख्या 50 से कम रही तो भी यह विधेयक इस पर लागू नहीं होगा। इससे समूचे विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

इसी प्रकार धारा 25क (1) में कहा गया है कि धारा 25 (सी) से 25 (ई) दोनों सहित किसी ऐसे औद्योगिक संस्थान पर लागू नहीं होंगी जिनमें गत कैलेन्डर मास में औसतन प्रतिदिन 50 से कम कर्मचारी रहे हों। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यदि पहली जनवरी को 50 कर्मचारी हों तथा फिर 2 जनवरी से 31 दिसम्बर तक 200 कर्मचारी रहे हों तो भी उक्त संस्थान इस विधेयक की धाराओं से बच जायेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाये। यह तो बड़ी गम्भीर बात है कि कोई औसत निर्धारित किये बिना ही वर्ष भर में यदि किसी भी दिन कर्मचारियों की संख्या 50 से कम हो तो इस एकक पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

अपने संशोधन संख्या 3 तथा 4 के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने अनेक सदस्यों द्वारा इसका उल्लेख किये जाने पर भी यह नहीं बताया कि निर्माण कर्मचारियों अथवा भवनों, पुलों के निर्माण-कार्यों में स्थापित उपक्रमों को इस विधेयक की सोमा से बाहर रखने के क्या कारण हैं ? यदि इन संस्थानों को इस लिये छोड़ दिया गया कि ये किसी विशिष्ट परियोजना को पूरा करने के पश्चात् बन्द कर दिये जायेंगे, तब तो ठीक था। इसीलिये मैंने अपने संशोधनों में सुझाव दिया है कि चिर "अस्थायी" शब्द जोड़कर ऐसे संस्थानों की परिभाषा स्पष्ट की जाये ; अन्यथा अधिकांश संस्थान स्थायी रूप से निर्माण कार्य करते हैं और उन्हें इस अधिनियम के अधीन लाया जाना चाहिए।

मेरे अन्तिम संशोधन में खण्ड 2 के उपखण्ड (2) को समाप्त कर देने का अनुरोध किया गया है। यदि इस खण्ड का उद्देश्य संकटग्रस्त मिलों की समस्या को हल करना है तो यह एक बात है। परन्तु मार्गदर्शी अनुदेशों के अभाव में सरकार को विशिष्ट अधिकार क्यों दिये जा रहे हैं कि किसी दुर्घटना अथवा मृत्यु के मामले में उसे बन्द करने की अनुमति दी जा सकती है ? क्या उक्त उपक्रम 60 दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता ? सरकार किसी विशिष्ट उपक्रम को नोटिस देने की शर्त से मुक्त क्यों रखना चाहती है ? अतः यदि यह छट देने वाला खण्ड रखा गया तो इससे भी अधिनियम के उद्देश्यों को हानि पहुंचती है।

जहां तक किसी की मृत्यु हो जाने का प्रश्न है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके स्थान पर 60 दिन तक कार्य चला सकता है और इसलिये उक्त उपक्रम बन्द किये जाने से पूर्व 60 दिन का नोटिस दिया जा सकता है। अतः मन्त्री महोदय इन परिस्थितियों को समझें। सरकार को इस प्रकार के अनावश्यक शक्तियां देना न्यायोचित नहीं हैं क्योंकि हम चाहते तो यही है कि कोई भी उपक्रम बन्द न हो।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अपने संशोधन स्वीकार कर लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मेरे संशोधन संख्या 5 की न्यायोचित्य को मन्त्री महोदय ने भी स्वीकार किया है कि फिर भी मैं नहीं समझता कि वह इसे स्वीकार करने में क्यों संकोच करते हैं। वस्तुतः दो मास का नोटिस प्राप्त करने के पश्चात सरकार इस अवधि में क्या करेगी ? यही तो पता लगायेगी कि अमुक उद्योग क्यों बन्द हुआ ; परन्तु यदि यह सिद्ध हो जाये कि बन्द करने का कोई उचित कारण नहीं है तो ऐसा उपाय किया जाना चाहिए कि नोटिस को लागू न माना जाये। ऐसी गारन्टी होनी चाहिए और कुछ इस प्रकार का न्यायोचित रवैया अपनाया जाना चाहिए कोई जानबूझकर बुरी भावना से किसी उद्योग को बन्द न करे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

दूसरे संशोधन में मैंने कर्मचारियों की संख्या को 50 से घटाकर 20 करने का अनुरोध किया है। क्योंकि 20 कर्मचारियों वाले उद्योग को तो एक कारखाना माना जाता है। इतने कर्मचारियों के होने पर भी इस अधिनियम के प्रावधान लागू होने चाहिए।

श्री आर० के० खाडिलकर : 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले उपक्रमों से सम्बन्धित खण्ड (2) तथा उप-खण्ड (2) को भी पश्चिम बंगाल अधिनियम में से निकाल लिया गया था। अब प्रश्न यह है कि निर्माण कर्मचारियों को क्यों इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया। हर विधान में कहीं

न कहीं कोई अपवाद होता ही है । यह विधान मूलतः औद्योगिक उपक्रमों के लिए है । मैं अनुभव करता हूं कि निर्माण कर्मचारियों को भी इस अधिनियम का लाभ मिलना चाहिए परन्तु वह दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है । आप देखिए कि यदि कोई उद्योग बन्द हो रहा हो तो हम उसकी वित्तीय सहायता कर सकते हैं, उसे कच्चा माल दे सकते हैं । परन्तु दूसरी ओर यदि कोई भवन निर्मित होने के समीप हो तब हम वित्तीय सहायता कैसे दे सकते हैं ?

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मंत्रीमहोदय ने श्री सोमनाथ चैटर्जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । उन्होंने केवल इतना कहा कि खण्ड (2) को पश्चिम बंगाल अधिनियम से हटा लिया गया है । यह तो उचित स्पष्टीकरण नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री महोदय के बोलने से पहले बोलना चाहिये था बाद में नहीं फिर भी वह सन्दिग्धार्थकता क्या थी ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मेरे विचार से कोई सन्दिग्धार्थकता नहीं है । वैसे मैं यह बता भी नहीं सकता कि उससे किस प्रकार की सन्दिग्धार्थकता है ...(**व्यवधान**) उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिससे एक प्रकार का सन्देह पैदा होता है परन्तु मैं एक दम से उससे सहमत नहीं हूं । मैं तो यह भी नहीं जानता कि आया कि यह प्रश्न न्यायोचित भी है या नहीं । अतः मैं इसे इसी प्रकार बनाये रखना चाहूंगा ।

श्री सेझियान : मंत्री महोदय स्वयं कहते हैं कि इस खण्ड की पेचीदगियों को स्वयं नहीं जानते तथा वह मानते हैं कि इस पर कानूनी सलाह ली जानी चाहिये । अतः मेरा सुझाव है कि नियम 109 के अधीन इस खण्ड पर विचार स्थगित कर दिया जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम सब इस संबंध में सन्देह प्रकट कर चुके हैं । सम्भव है कल को कोई उच्चतम या उच्च न्यायालय में लाये और यह अधिनियम अवैध घोषित हो जाये । मंत्री महोदय कल इसमें संशोधन पेश कर दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर चर्चा स्थगित करने के लिये कुछ कारण होने चाहिये । यहां मन्त्री महोदय ने भी कुछ सन्देह की बात स्वीकार की है । अतः इन विशिष्ट परिस्थितियों में मुझे स्थगित करने के प्रस्ताव को पेश किये जाने की अनुमति देनी चाहिये । वह इस नियम के अधीन चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं ।

श्री सेझियान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रसूति सुविधा (संशोधन) विधेयक

MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रसूति सुविधा विधेयक, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

वर्ष 1961 में यह विधेयक देश भर में कतिपय उद्योगों की महिला कर्मचारियों को समान रूप से प्रसूति सुविधायें देने के लिये बनाया गया था परन्तु इस अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के अनुसार ये सुविधायें उन महिला कर्मचारियों को नहीं मिलेंगी जिन्हें ऐसी ही सुविधायें कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अधीन मिल रही हैं।

गुजरात सरकार ने इस अधिनियम को 1 मार्च, 1964 से अपने राज्य के कारखानों में लागू किया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अहमदाबाद में 4 अक्तूबर, 1964 से लागू हुई थी। फलतः कुछ नियोक्ताओं ने अहमदाबाद में इस अधिनियम के अधीन प्रसूति सुविधाओं की पात्र महिला कर्मचारियों को इस आधार पर 4-10-1964 से ये सुविधायें देना बन्द कर दिया कि वे इस अधिनियम की धारा 2 (2) के अधीन उक्त सुविधायें देने को बाध्य नहीं थे। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये गुजरात सरकार ने प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 में संशोधन कर दिया।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये इस विधेयक के माध्यम से इस अधिनियम में यह व्यवस्था करने का उद्देश्य है कि इस अधिनियम के अधीन प्रसूति सुविधाओं की पात्र महिला कर्मचारियों को तब तक ये सुविधायें मिलती रहेंगी जब तक कि वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन इसी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने की पात्र नहीं हो जातीं।

मैं इस विधेयक पर विचार करने का सभा से अनुरोध करता हूं।

Shri R. V. Bade (Khargone) : It is a very good Bill and I support it. It is almost the copy of the amendment made by the Gujrat Government quite a long time back. So, while Commending the move I would point out that it should have been brought much earlier.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लेचेरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु आश्चर्य इस बात का है कि सरकार ने ऐसा संशोधन भी इतने विलम्ब से क्यों पेश किया। साथ ही मैं यह भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन का लाभ प्रत्येक पात्र कर्मचारी को उपलब्ध कराने के लिये अच्छी व्यवस्था का गठन करे क्योंकि कोयला खानों आदि में प्रबंधक गण प्रायः ही हजारों महिलाओं को इन सुविधाओं से वंचित कर देते हैं। अतः इस विधेयक की क्रियान्विति कुशलता से की जाये।

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस विधेयक को एक सीमित उद्देश्य से लाया गया है और वह यह कि यदि किसी स्थान पर प्रसूति सुविधा अधिनियम के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू किया जाता है तो उस परिवर्तन से कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी पैदा न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसूति सुविधा विधेयक, 1961 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डवार विचारार्थ में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया । अतः प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2, 3, 1 the enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

औषधि और प्रसाधन (संशोधन) विधेयक

DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

इस विधान का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य पर औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम लागू करना है । कुछ संवैधानिक कारणों से इस विधान को जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं किया जा सका । अब वर्तमान विधेयक इसे देश के इस भाग विशेष पर लागू करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । मुझे आशा है कि यह विधान सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

Shri R. V. Bade (Khargone) : The only object of presenting this legislation is to extend Drugs and Cosmetics Act to the State of Jammu and Kashmir. In this connection my submission

is that article 370 is the only bone of contention. In case this article is abrogated from the Constitution, there will be no necessity for bringing forward similar legislations. The Government should give a thought to it and do away with this article.

In this connection I also want to submit that this legislation is not being properly implemented. The prices of drugs and medicines are shooting up. The Government should look into it and put a curb on the prices of medicines. With these words, I support the legislation.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस सम्बन्ध में मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि हमें नकली दवाइयों की बिक्री को रोकने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। नकली दवाइयों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

मेरे मित्र श्री बड़े ने जीवन बचाने वाली औषधियों का उल्लेख किया है। हमारे देश में ऋषिकेश, पिम्परी आदि अन्य स्थानों पर इन दवाइयों का भी उत्पादन होता है, उसके अनुसार इनकी कीमत क्या होती है ? इन औषधियों की उत्पादन लागत क्या होती है ? एम० बी० गोलियों की उत्पादन लागत बड़ी मुश्किल से 16 पैसे होती हैं परन्तु फिर भी यह औषधि गांव आदि में उपलब्ध नहीं होती है। मंत्री महोदय को हमें यह आश्वासन देना चाहिये कि जीवनदायक औषधियों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जायेगा।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्न विधेयक से सम्बद्ध नहीं हैं क्योंकि वर्तमान विधेयक का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। इसका उद्देश्य तो केवल वर्तमान उपबन्धों को जम्मू और कश्मीर पर लागू करना है। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि औषधियों के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सम्बद्ध एजेंसी अथवा तन्त्र की ओर सुदृढ़ बनाया गया है तथा और भी सुदृढ़ बना दिया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औषधि और प्रसाधन अधिनियमन, 1940 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्यसभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्ड वार विचार किया जायेगा। मैं सभी खण्ड सभा के मतदान के लिए एक साथ प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, और विधयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये जायें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।"

Clauses 2 to 5, clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली के एक वैज्ञानिक डा० बी० एच० शाह द्वारा आत्म-हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: STATEMENT ON SUICIDE BY DR. V. H. SHAH, A SCIENTIST OF I. A. R. I., NEW DELHI

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move :

"That this House do consider the statement laid on the Table by the Minister of Agriculture on the 9th May, 1972 regarding suicide by Dr. V. H. Shah, a scientist of the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi."

The Hon. Minister has expressed his condolence on the suicide of Dr. Shah. Twelve years ago a scientist Dr. Joseph committed suicide and a similar statement was made in the House by the then Agriculture Minister. Since then an era has ended.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

In the meantime several changes have taken place but the chain of suicides by scientists has not ended. After the death of Dr. Joseph, an enquiry was ordered but this House was not taken into confidence about the decisions of the enquiry Committee. On 28th March, 1970 Dr. S. S. Batra, a senior scientist of Bangalore Dairy Research Institute, also committed suicide. But no enquiry was made in his death and that went un-noticed. One Dr. Parthsarthy of I.V.R.I. a research officer also ended his life for similar reasons. In this case also no enquiry was held.

The suicide by Dr. Vinod Shah is the latest incident of this chain. Dr. Shah was 39 years old. He was a competent and foreign qualified scientist. There was something very serious which compelled him to commit suicide.

It is not correct to say that he committed suicide simply because he was not promoted as professor. Before committing suicide he wrote a letter addressed to Dr. Swaminathan. It is evident from the perusal of the letter that it was written with a balanced and dispassionate mind. He has cleanly written that it had become impossible for him to bear the happenings around him

in the past. Giving a verdict against the present setup, he worte that time had come again for a scientist to sacrifice his life so that other scientists may get proper treatment.

I want to stress that Dr. Shah did not sacrifice his life for any material gain or for promotion or for status but for getting justice for others who were placed in similar circumstances. Therefore, it was not a suicide but a murder. The present setup and the present order of things was responsible for taking away his life.

A number of allegations of corruption and nepotism were made against I. C. A. R. This body was reorganised in 1966. I. A. R. I. and similar other organisations were put under this body. In doing so neither the House was taken into confidence nor the employees were consulted. The experience showed that the very purpose of reorganisation was defeated. Serious irregularities were committed in the matter of selection and appointments of scientists...

श्री एन० श्रीकान्त नायर (क्विलोन) : मैं नियम 553 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने "हत्या" का उल्लेख किया है और अब भाई भतीजावाद और पक्षपात की बात कर रहे हैं। संसदीय प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत वह बिना मंत्री को पूर्व सूचना दिये इस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा सकते ...

सभापति महोदय : उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। अत: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एन० श्रीकान्त नायर : सभा की गरिमा को भी बनाये रखना है।

सभापति महोदय : अभी तक कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I was saying that since the reorganisation complaints have been made continuously against the irregularities committed in the matter of appointments, promotions and selection to other posts of scientists. Dr. Shah clearly mentioned about irregularities in his last letter.

Ad hoc appointments are made in a number of cases for the favoured people. They are allowed to work there. Later they are regularised in preference to senior and more qualified persons. I would like to know from the hon. Minister the rules regarding the practice of making ad hoc appointments and how this practice can be stopped. Is it not true that Dr. Shah was neglected and Dr. Dey was made Professor. I am told that Dr. Shah was not allowed to use room cooler and office telephone. If this charge is true, it is very serious charge.

In this discussion the name of Dr. Prasad has also been mentioned. The hon. Minister has stated in Rajya Sabha while replying to a question that when the question of Professor came up Dr. Prasad was deemed fit. Dr. Shah was superseded by Dr. Ray and Dr. Ray was there in the Selection Committee. This might have been felt by Dr. Shah that injustice had been committed to him.

The hon. Minister is aware of the present set-up which is unsatisfactory and the rules can be changed.

Dr. Shah in his letter had mentioned the names of some of the scientists who had been neglected and insulted. The charges levelled by Dr. Shah should not be ignored merely by saying that they are baseless. These charges should be properly investigated so that such scandals do not occur in future.

The credit for making the Green Revolution a success in the country should not go only to a few persons at the top. The Green Revolution is the result of the concerted efforts of all sections of society. Arrangements should be made for making proper assessment in the field of agricultural research because many times fantastic and completely wrong claims are made by the agricultural scientists.

A claim was made that a new variety of wheat viz. Sharbati Sonora contained more protein than the imported Sonora but that claim was proved false.

Now a claim is made in regard to a variety of rice.

The I. A. R. I. made a claim in regard to a variety of Bajra that it could increase the yield by about five times more.

Similarly, a claim has also been made that the income of Rs. 15,000 is possible from one acre of land. Neither this claim was refuted nor confirmed.

It not only involves the scientists of the I. C. A. R. but it involves the employees too. It has not yet been decided as to what is the status and nature of the I. C. A. R. and whether it is a registered society or an Autonomous Body or a Government Department. Whenever employees went to courts in regard to their cases, different courts gave different verdicts. But the interests of 16 thousand employees working in various institutions should be safeguarded.

The Government should appoint a high powered inquiry Committee consisting of scientists and Members of Parliament. This Committee should look into the entire working of the Indian Agricultural Research Institute and the Indian Council of Agricultural Research with special reference to the rules regarding appointments and promotions.

Mr. Chairman: Does Mr. Vajpayee want to move his substituted motions No. 1 and 2.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I want to move Motion No. 2.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलबेरिया) : श्री शाह की मृत्यु से सरकार की आंखें खुल जानी चाहिये। अनुसंधान विभाग की सफलताएं सर्वमान्य हैं। निःसंदेह वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है परन्तु यदि अनुसन्धान विभाग के किसी वैज्ञानिक को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है तो सरकार के लिये यह एक चुनौती हो जाती है। डा० शाह ने लिखा है कि उनकी मृत्यु के पश्चात् ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिये कि वैज्ञानिकों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाये और उनका भविष्य अन्धकारमय न बना रहे। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। सरकार को ऐसी प्रणाली बनानी चाहिये जिससे प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता अपने अनुसन्धान कार्य में पूरी शक्ति लगा सके ताकि उसके अनुसन्धान कार्य से देश को लाभ पहुंच सके। यदि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती तो इसका अर्थ यह है कि हम प्रशासन चलाने के अयोग्य हैं। अनुसन्धान-कर्ता के मन में यह विश्वास बना रहना चाहिये कि प्रशासन की किसी कार्यवाही से उसके भविष्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : हमारे देश के लिये यह चिन्ता का विषय है कि एक ओर हम वैज्ञानिक प्रगति के लिये प्रयत्नशील हैं परन्तु दूसरी ओर यह स्थिति है कि एक वैज्ञानिक को निराश होकर आत्महत्या करनी पड़ी है। वैज्ञानिकों की आत्महत्या की यह चौथी घटना है। इससे स्पष्ट है कि हमारी प्रणाली में कोई मूल त्रुटि है। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। मैं किसी एक मामले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु हमें प्रशासन में सुधार करना चाहिये। वैज्ञानिक को विश्वास होना चाहिये कि वह अधिक से अधिक अनुसन्धान करने में स्वतन्त्र है और अधिकतम वेतन-मान प्राप्त कर सकता है। कोई भी वैज्ञानिक अपने अनुसन्धान कार्य में हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिये किसी ऐसी प्रणाली का विकास किया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत अनवरत वेतन संवर्ग की व्यवस्था हो। अनवरत वेतन संवर्ग की व्यवस्था में वैज्ञानिक की पदोन्नति होना आवश्यक नहीं होगा। वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा। वैज्ञानिक के मन में यह भावना नहीं होनी चाहिये कि जब तक उसकी पदोन्नति नहीं होगी उसको अधिक वेतनमान नहीं मिल सकता। उसके मन में विभागाध्यक्ष बनने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिये बल्कि उसके मन में कार्य करने की लगन होनी चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि विभाग के अन्तर्गत बजट का परियोजना-वार उप-विभाजन किया जाना चाहिये जिससे किसी अन्य सेवा के किसी अध्यक्ष या अनुसन्धान कार्य पर अथवा किसी अनुसन्धान-कर्ता के लिये बजट बनाने पर कोई नियंत्रण न हो। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि सभी वरिष्ठ और प्रशासनिक पदों की अवधि निर्धारित होनी चाहिये। यदि कोई वैज्ञानिक उस अवधि में अपने अनु-सन्धान कार्य का परिणाम बता देता है तो वह उस पद पर बना रहेगा। यदि वह किसी परिणाम पर नहीं पहुंचता तो उसे वह पद छोड़ना होगा। किसी पद पर स्थायी रूप से बने रहने की भावना नहीं होनी चाहिये। यदि कोई वैज्ञानिक अधिक अनुभवी है तो वह निजी रूप से अनुसन्धान कार्य कर सकता है। इनको पुन: नियुक्त करने की पद्धति समाप्त कर देनी चाहिये अन्यथा युवक वैज्ञानिकों को अनुसन्धान कार्य करने का उचित अवसर नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में हमें अधिक प्रचार नहीं करना चाहिये। वैज्ञानिक कार्य को उसके गुणदोष के आधार पर आंका जाना चाहिये और विज्ञान के संसार में मान्यता दी जानी चाहिये। कई बार देखा गया है कि अनुसन्धान का झूठा प्रचार किया जाता है। यह उचित नहीं है इससे वैज्ञानिक हतोत्साह हो जायेगा। हमें अपने वैज्ञानिक पर गर्व है और हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : विज्ञान के क्षेत्र में हुई इस घटना पर मुझे अत्यधिक दुख है। हमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद पर गर्व होना चाहिये। हमारे वैज्ञानिक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। हमें यह यहीं कहना चाहिये। हमारे किसी वैज्ञानिक ने किसी अविष्कार के बारे में झूठा दावा किया है। संसद सदस्य देश के सेवक हैं, मालिक नहीं। हमें वैज्ञानिकों की अंधाधुंध आलोचना नहीं करनी चाहिये। डा० स्वामीनाथन् और डा० मेनन की भी, जिनके कारण देश में 'कृषि क्रान्ति' हुई है, आलोचना की गई है।

श्री समरगुह (कन्टाई) : कृषि क्रान्ति का कारण मेक्सिकन किस्म का गेहूं है। इस कार्य में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के वैज्ञानिकों का बहुत कम योगदान है।

श्री के० मनोहरन : हमारे देश का यही दुर्भाग्य है कि जो लोग विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते वही लोग विज्ञान पर अपने विचार प्रकट करते हैं। वास्तव में हमें अब इस बात पर विचार करना चाहिये कि वैज्ञानिकों की स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इन वैज्ञानिकों को हर दो या तीन वर्ष के बाद एक चयन समिति के सामने पेश होना पड़ता है। मेरा विचार यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह भारतीय कृषि अनुसन्धान सेवा संवर्ग बनाया जाना चाहिये और इस संवर्ग सेवा से इन वैज्ञानिकों का चयन किया जाना चाहिये। एक बार चयन के बाद उनकी पदोन्नति अपने आप होती रहेगी और फिर अयोगा के समक्ष पेश होने का प्रश्न भी नहीं रहेगा। भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया पर विचार करते हुए सरकार को अन्य क्षेत्रों की स्थिति पर भी विचार करना चाहिये। मंत्री महोदय को एक समिति बनानी चाहिये जो डा० शाह द्वारा उठाये गये मामलों पर गम्भीरतापूर्भक विचार करे। इस समिति में वैज्ञानिकों के प्रतिनिधियों को ही नहीं अपितु वैज्ञानिक संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये जो इस बात को सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस प्रकार की दुःखद घटनाएं न हों।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह बड़े दुख की बात है कि आये दिन एक न एक वैज्ञानिक आत्महत्या कर लेता है। आज तक हमें यह नहीं पता चला कि इतनी बड़ी संस्था स्वायत्तशासी है या नहीं। फिर स्वायत्तशासी संस्थाओं को दी जाने वाली स्वायत्तता भी दिखावामात्र होती है। सरकार उनके प्रशासन सम्बन्धी दैनिक कार्य में हस्तक्षेप करती रहती है। एक ओर यह बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था है जो हर प्रकार से सराहनीय कार्य कर रही है परन्तु दूसरी ओर इसमें कार्य करने वाले काफी लोग एकदम असंतुष्ट हैं। अतः यह एक गम्भीर समस्या है। जब हमारे वैज्ञानिक विदेशों में चले जाते हैं तब हम उनको अच्छे अवसर प्रदान करने की पेशकश करते हैं। परन्तु जब वह प्रशासनिक चक्कर में आ जाते हैं तब उनका दमन किया जाता है। कृषि क्रान्ति का हमने आवश्यकता से अधिक प्रचार किया है। इसे वैज्ञानिक क्रान्ति नहीं कहा जा सकता।

कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ और परिश्रम करना होगा। देश में हमारे किसानों को शहरी लोगों के बराबर आने में अभी कई वर्ष लगेंगे। यह काम विज्ञान ही कर सकता है, समाजवाद नहीं। हमें डा० शाह के बलिदान से यही सीखना चाहिये कि दफ्तरशाही, प्राचीन साधन और पुरानी प्रथाएं आजकल की समस्याएं हल नहीं कर सकतीं। अतः हमें इस सम्बन्ध में नये सिरे से विचार करना चाहिये क्योंकि केवल नारे लगाने से कोई समस्या हल नहीं हो सकती।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : श्रीमन्, आत्महत्या से एक वैज्ञानिक की मृत्यु हुई। उसी के संदर्भ में यह चर्चा की जा रही है। इस प्रकार से एक या दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक चार मौतें हो चुकी हैं। इससे हमें युवा वैज्ञानिकों की समस्या के प्रति सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी खोजों पर ही हमारे देश की प्रगति निर्भर करती है।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वैज्ञानिक संस्थानों में नौकरशाही वाले प्रशासनिक ढांचे के स्थान पर ऐसा प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए जो इन वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों के लिए उपयुक्त हो। उसमें युवा एवं मौलिक प्रतिभा वाले वैज्ञानिकों का पूर्ण योगदान होना चाहिए जिससे विज्ञान और प्रोद्योगिकी का विकास ठीक प्रकार से होता रहे। मैं वैज्ञानिकों के शोक-संतप्त परिवारों के दुख का अनुभव करता हूं और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। किन्तु साथ ही मैं यह मानता

हूं कि खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भरता के स्तर पर पहुंचाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बहुत अधिक योगदान रहा है। मैं इस बात पर बल देता हूं कि जो बातें श्री शाह ने उठाई हैं, उनकी ओर यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिए, किन्तु साथ ही मैं चाहता हूं कि वैज्ञानिक संगठनों और संस्थानों की निराधार एवं तर्कहीन आलोचना न की जाये। हां, हमें उनमें ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे युवा वैज्ञानिक बिना किसी बाधा के अपना अनुसंधान कार्य करते रहें। डा० स्वामीनाथन और अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहिए। हमें ऐसे प्रमुख वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिनका विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापत्तनम) : श्रीमन्, श्री बाजपेयी जी ने डा० शाह का एक पत्र पढ़ कर सभा में चल रही चर्चा में भावुकता का पुट दे दिया। उनके पत्र से ऐसा लगता है कि भविष्य निधि और उपदान के सम्बन्ध में नामांकन करने के मामले में डा० शाह भावुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे बच्चे का नामांकन किया था, पत्नी का नहीं। किन्तु अपने कार्यालय के जीवन में अति भावुक थे। जो भी व्यक्ति आत्म-हत्या करता है, वह भावुक अवश्य होता है। इस वैज्ञानिक की मृत्यु पर विचार करते समय हमें निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए। भाव-प्रवाह में बहकर इस वैज्ञानिक संस्थान की आलोचना नहीं करनी चाहिये, बल्कि इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि इसने देश की महान सेवा की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सभापति महोदय, इन दुखद आत्महत्याओं से एक बात पर प्रकाश पड़ता है कि वैज्ञानिकों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता हैं। मैं यह नहीं मानता कि जिस वैज्ञानिक संस्थान में यह घटना हुई है, उसमें सभी बातें गलत हैं। मैं यह भी नहीं मानता कि जब तक कोई वैज्ञानिक आत्महत्या न कर ले, तब तक अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं के कार्यकरण पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जांच के लिए नियुक्त की गई सरकारी समिति का मैं सदस्य रहा था। उस पर तीन वर्ष तक कार्य करने से मुझे यह अनुभव हुआ। अतः मेरे विचार से किसी व्यक्ति विशेष का इस आधार पर चरित्र-हनन करना भी ठीक नहीं है।

इस मामले में मन्त्री महोदय ने समिति नियुक्त करने की बात कही है। हम इसे मान लेते हैं कि समिति नियुक्त की जायेगी। अब तो हमें इस बात पर विचार करना है कि प्रस्तावित जांच समिति किन प्रश्नों को लेगी। मेरे विचार से निर्देश-पदों में यह सम्मिलित किया जाना चाहिए कि

[**श्री सेझियान पीठासीन हुए**
Shri Sezhiyan in the Chair]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में क्या सम्बन्ध है। इनमें विदेशी विशेषज्ञों के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। जहां तक विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, इससे हमारे देश के युवा वैज्ञानिक अत्यधिक अप्रसन्न हैं। वे इस बात से नाराज हैं कि हम इस मामले में फोर्ड फाउन्डेशन, राकफैलर फाउन्डेशन पर अधिकाधिक निर्भर होते

जा रहे हैं । हमें इस बात का ध्यान विदेशों से विशेषज्ञ बुलाते समय रखना चाहिए कि उससे हमारे अपने वैज्ञानिकों का उत्साह भंग न हो और दूसरों पर हमारी निर्भरता और अधिक न बढ़े । इस संबंध में एक उदाहरण मैं डा० रिछारिया का देना चाहूंगा । डा० रिछारिया को केवल इस कारण से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था कि वह एक विदेशी विशेषज्ञ की राय से सहमत नहीं हो सका था । हमें इस बात से भी सतर्क रहना है कि विदेशी विशेषज्ञों की आड़ में कहीं विदेशी गुप्तचर भारत में अपना काम न करते रहें ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ठीक दर्जा क्या हो, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है । इसके लिए तो सरकार को ही दोषी ठहराया जा सकता है । इसे उपयुक्त सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए एक विधान बनाये जाने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु उसे अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है । नियुक्तियों के मामले में गड़बड़ होने पर यह कहा जाता है कि यह एक स्वायत्तशासी निकाय है । जब प्रशासन का सवाल उठता है, तब कहा जाता है कि इसमें सरकारी नियम और विनियम लागू होते हैं । ब्रिटिश शासन से आये इन नियमों के अधीन वैज्ञानिकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है । वे वर्षों तक अस्थायी रहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए । वैज्ञानिक संस्थानों का ढांचा लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं । ऐसा होने पर सभी वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में प्रगति कर सकेंगे, उनमें ईर्ष्याद्वेष नहीं होगा । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वैज्ञानिकों का वेतनमान ऐसा होना चाहिए जो निरन्तर बढ़ता जाये । हां, उसमें दक्षता-अवरोध की व्यवस्था हो सकती है । श्री मनोहरन द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय कृषि सेवा जिसमें सरकारी विभाग की भांति स्वतः पदोन्नति की व्यवस्था है, का मैं विरोध करता हूं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रभागाध्यक्षों को जो शक्तियां और अवसर प्राप्त हैं, वे मुगल बादशाहों के समान हैं । इनमें शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । डायरेक्टर और प्रोफेसर दोनों ही प्रभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक होते हैं किन्तु डायरेक्टर का प्रभाग पर पूर्ण नियंत्रण होता है । बजट आदि के मामले में कुछ स्वतंत्रता प्रोफेसर को भी होनी चाहिए जिस पर परियोजना की पूर्ण जिम्मेदारी होती है । इस सम्बन्ध में दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि डायरेक्टर के पद पर नियुक्त पारी-पद्धति के आधार पर हो । जिम्मेदारियों और शक्तियों एवं अवसरों का विभाजन संतुलित होना चाहिए ।

सरकार समिति ने वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में उनके अधिकारियों द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखे जाने के स्थान पर यह सुझाव दिया था कि वैज्ञानिक द्वारा वर्ष भर में किये गये कार्य के आधार पर उसकी सेवा का मूल्लांकन होना चाहिए । इस मूल्यांकन की एक प्रति सम्बन्धित वैज्ञानिक को भी दी जानी चाहिए । सरकार समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि वहां पर स्टाफ कौंसिल और शिकायत विभाग होना चाहिए जहां वैज्ञानिक अपनी कठिनाइयों और परेशानियों को बता सके । सरकार को ऐसे सुझाव मान लेने चाहिए ।

मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावित जांच समिति शीघ्र ही अस्तित्व में आयेगी और वह सम्बन्धित सभी पहलुओं की विस्तार से जांच करेगी विशेषतः सत्ता का विकेन्द्रीकरण प्रतिभा के आधार पर पदोन्नति, कार्य-मूल्यांकन, शिकायत सुनने वाली मशीनरी, नियुक्तियों के लिए वैज्ञानिकों का चयन करने वाली समिति आदि । इन संस्थानों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें किसी वैज्ञानिक को

शिकायत करने का अवसर ही न मिले और भविष्य में किसी युवा वैज्ञानिक को डा० शाह की भांति आत्महत्या न करनी पड़े।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वैज्ञानिकों को प्राप्त अवसरों और सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। वैज्ञानिकों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों की दया पर न छोड़ा जाये। डा० शाह ने निर्धनता के कारण आत्महत्या की है। सरकार उसे पर्याप्त सुविधा और जीविका प्रदान करने में असफल रही। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसमें किये गये अनुसंधानों के परिणामस्वरूप ही देश में हरित क्रान्ति आई। अतः इस परिषद की केवल आलोचना कर देने से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो जाता। अब हमें देखना यह है कि ऐसे संस्थानों में वैज्ञानिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे वे अपने अनुसंधान कार्य में निष्ठा एवं लगन से व्यस्त रहें। इसके लिए सरकार को उन्हें अपेक्षित अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। साथ ही बड़े दुख के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे देश में वैज्ञानिक अपनी पदोन्नति के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और अनुसंधान-कार्य पूर्ण निष्ठा से नहीं करते। श्री टी० एन० कौल और श्री मेनन का नाम चर्चा में घसीटा गया है। मेरे विचार से वे अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसाक ने तो श्री मेनन की भारतीय कृषि अनुसंधान के सचिव की हैसियत में अत्यधिक प्रशंसा की है। अन्त में, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के उस सुझाव का समर्थन करता हूं जो उन्होंने वैज्ञानिक संस्थानों के भावी ढांचे के बारे में दिया है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटल) : पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के कारण निराश और असंतुष्ट वैज्ञानिकों की आत्महत्या की यह चौथी घटना है। आज के 'इण्डियन ऐक्सप्रेस' में भी यह प्रकाशित हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के श्री टी० एस० रामन नामक एक जीव रसायनज्ञ ने प्रधान मंत्री को तार भेजा है कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है और वह निराश हो रहा है। यह एक आम शिकायत है कि पदोन्नति योग्यता के आधार पर न देकर अन्य कारणों को ध्यान में रख कर दी जाती है। चयन समिति द्वारा चुने गये कुछ विभागाध्यक्ष ऐसे हैं जिनका उस सेवा विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न यह है कि ये लोग अपने अधीन कार्य करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य की सराहना कैसे कर सकते हैं ? अत: मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की कार्यकरण—सेवाशर्तों, भर्ती, पदोन्नतियों आदि की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक और विकास की दृष्टि से यदि हमें कोई सफलता मिली है तो वह कृषि क्षेत्र में मिली है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कृषि क्रान्ति से लाभ हुआ है। मैं कृषि क्रान्ति का कटु आलोचक रहा हूं परन्तु इसके बावजूद कृषि वैज्ञानिकों के योगदान से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि कृषि क्रान्ति के परिणामस्वरूप सामाजिक दृष्टि से समायोजन ठीक नहीं हुआ तो उसका सुधार करना इस संसद और नीति निर्धारण करने वाले लोगों का कर्तव्य है, परन्तु इसके लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक दोषी नहीं हैं। उन्होंने देश की महान सेवा की है। बहुत से लोगों का कहना था कि अकाल के कारण भारत की दुर्गति

हो जायेगी । अमरीकी वैज्ञानिकों ने भारतीय वैज्ञानिकों की काफी आलोचना की थी । परन्तु खेद की बात यह है कि हमारे कुछ भारतीय भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की आलोचना करने लगे हैं । बात यह है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के डा० स्वामीनाथन, डा० पाल तथा अन्य अधिकारियों के पथ प्रदर्शन में कृषि क्षेत्र को नया रूप दिया जा सका है । यदि कोई और कमी रहती है तो उसमें सुधार करना राजनीतिक नेताओं और संसद सदस्यों का कर्तव्य है ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में असंतुष्ट राजनीतिज्ञों की तरह कुछ असंतुष्ट वैज्ञानिक भी हैं । यदि उनके असंतुष्ट रहने के उचित कारण हों तो उन्हें अवश्य दूर किया जाना चाहिये परन्तु हमें ऐसे व्यक्तियों की बात को एकदम स्वीकार नहीं कर लेना चाहिये । ऐसोसिएशन आफ सांइटेफिक वर्कर्स के बहुत से नेताओं ने गत दस-पंद्रह वर्षों में एक भी लेख नहीं लिखा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे 'यंग सांइटिस्ट' नामक मुखपत्र प्रकाशित करने वाले हैं जिसमें कुछ समय पूर्व डा० स्वामीनाथन, श्री मेनन और अन्य लोगों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे । इनमें एक व्यक्ति का नाम डा० आहूजा था जिसके बारे में बाद में पता चला था कि वह अमरीका का गुप्तचर था । क्या यह बात सही है ?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पदोन्नति, चयन आदि की समस्या पर हमें नये सिरे से विचार करना चाहिये । हमें इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिये और अपने परम्परागत दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये अन्यथा यह समस्या हल नहीं हो सकती । यह समस्या कुछ वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक दल द्वारा किया जाता है । पश्चिमी देशों और समाजवादी देशों का यह अनुभव है । नीति निर्धारण करने वाले व्यक्तियों को वैज्ञानिकों की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस मामले की अवश्य जांच करवाएंगे ।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत अच्छा काम किया है और इस देश को खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर बनाने के लिये योगदान दिया है । इसके साथ ही यदि इस संस्था के प्रशासन में कुछ कमियां आई हैं तो उनकी आलोचना करना स्वाभाविक है ।

डा० शाह को पहला धक्का इस बात का लगा कि एक व्यक्ति को तदर्थ आधार पर प्रोफसर नियुक्त किया गया था जिनकी योग्यता उनसे कम थी । फिर उस पद पर उस व्यक्ति को स्थाई भी बना दिया गया, उस समय तक प्रोफेसर के पद के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया था ।

तत्कालीन कृषि सचिव श्री टी० पी० सिंह ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को यह सलाह दी थी कि उस व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाय, क्योंकि उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतायें नहीं हैं । मगर उसे फिर भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसका चुनाव कर लिया गया । सस्य विज्ञान के प्रधान पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करने के लिए बाहर के किसी सस्य विज्ञान विशेषज्ञ को नहीं बुलाया गया । जबकि दो अन्य व्यक्ति, जो वरिष्ठता में ही नहीं, बल्कि योग्यता में भी आगे थे, उनकी उपेक्षा कर दी गई ।

डा० शाह के लिए दूसरा धक्का था । अब प्रोफेसर का पद रिक्त था और डा० शाह से कनिष्ठ

एवं उनके अधीन काम करने वाले डा० डे० को डा० शाह की योग्यता परखने का भार सौंपा गया। इसके परिणामस्वरूप डा० शाह को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

नियुक्तियों की सम्पूर्ण श्रृंखला ही विवाद का विषय बन गई है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जहां हम वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हैं, परन्तु प्रशासनिक ढांचे में कमी और भाई-भतीजावाद आदि त्रुटियां भी दूर होनी चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में एक अण्डर-मैट्रिक कल्याण अनुभाग में प्रथम श्रेणी अधिकारी है। एक मुख्य फोटो अधिकारी है, लेकिन उसके अधीन कोई अधिकारी नहीं है। एक भूगर्भ-विज्ञानी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है और अब वह विदेशी सहायता का इन्चार्ज है। फैलोशिप योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि इच्छानुसार प्रदान की जाती है।

सरकार ने एक विशेष समिति समग्र ढांचे की जांच करने के लिए गठित की है; परन्तु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर के किसी व्यक्ति की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग आत्म-हत्या के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali) : We have to enquire into the reasons responsible for the frustration of and suicide by a brilliant scientist. The scientists should be provided with all the facilities of promotion and advancement so that they could contribute in the development of the country.

The suicide is a weakness as well as it is a challenge to the society. Suicide shows that there are defects in the society which should be removed. The scientists should also not feel frustrated and face the difficulties boldly.

श्री समर गुह (कन्टाई) : हम चाहते हैं कि वैज्ञानिकों को रचनात्मक अनुसन्धान करने की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए और उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मेरे विचार में डा० शाह की दुखद मृत्यु विज्ञान के लिए दी गई शहादत है। यह मृत्यु विज्ञान की प्रगति के लिए हुई। मृत्यु पूर्व तक डा० शाह संयत बने रहे। उन्होंने डा० स्वामिनाथन को लिखे अपने पत्र में लिखा था कि अब समय आ गया है जबकि एक वैज्ञानिक को अपने जीवन का बलिदान कर देना चाहिए ताकि अन्य वैज्ञानिकों के साथ उचित व्यवहार किया जा सके।

डा० शाह एक बहुत सम्पन्न परिवार से सम्बद्ध थे और उन्हें धन का कोई लालच नहीं था। प्रोफेसर का पद प्राप्त करना उनके लिए इतना महत्व नहीं रखता था जितना कि अधिक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनना। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सम्पूर्ण मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाय।

उपलब्धि रिपोर्टों, अनुभाग के योगदान और भावी कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया, ताकि वे असाधारण न समझे जायं। प्रशासनिक बाधायें बहुत अधिक हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्र में निष्कर्षों और आंकड़ों को बदल देने से बढ़कर कोई आरोप नहीं हो सकता। उन्होंने अपने पत्र में इस सबका उल्लेख किया है।

इस संस्थान के बारे में असंख्य आरोप हैं । अनेक उच्च वैज्ञानिक और युवा प्रोफेसर मेरे पास आये । मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों के लिए ऐसी परिस्थितियां ही क्यों उत्पन्न की गईं, कि उन्हें मेरे पास आने के लिए बाध्य होना पड़ा ?

संस्थान के बारे में पक्षपातपूर्ण पदोन्नति, भाई भतीजावाद और कुप्रशासन सम्बन्धी अनेकों आरोप हैं । नैतिक पतन सम्बन्धी कुछ आक्षेपों की मुझे जानकारी है । यही कारण है कि एक युवा होनहार वैज्ञानिक को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी । आज यह राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि सारे मामले की बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष और पूरी-पूरी जांच पड़ताल की जाय । वैज्ञानिक की सृजन-भावना को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए । यहां उचित व्यवहार न होने के कारण ही प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति विदेशों की ओर भाग रहे हैं ।

श्री स्वामिनाथन और श्री मेनन के अतिरिक्त डा० पाल भी संस्थान के कुप्रशासन के लिए दोषी हैं । सभी आक्षेपों की पूरी जांच की जाय ताकि वैज्ञानिक अनुसन्धान की समग्र परियोजना को सही रूप दिया जा सके ।

डा० स्वामिनाथन एक विशिष्ट वैज्ञानिक हैं, परन्तु अफसोस की बात है कि संवाददाताओं तक पहुंचने में वह एक राजनीतिज्ञ से भी आगे निकल गये हैं । किसी भी वैज्ञानिक को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने से पहले प्रयोगों द्वारा परीक्षण करके उनकी पुष्टि कर लेनी चाहिए । शर्बती सोनोरा के लिए उन्होंने दावा किया कि उसमें 16.3 प्रतिशत प्रोटीन और 3 प्रतिशत लाइजीन है । उन्होंने समाचारपत्रों, रेडियो आदि से तुरन्त प्रचार भी कर दिया । उन्हें मैगासाय साय पुरस्कार भी मिल गया । सैद्धान्तिक उपलब्धि को कभी भी रद्द किया जा सकता है । उनकी उपलब्धि के नोबल पुरस्कार विजेता डा० नार्यन बर्लाग ने चुनौती दी है । वैज्ञानिक निदेशक सारा अनुसन्धान कार्य अपने हाथ से नहीं करता, परन्तु उनके अधीन अनुसन्धानकर्त्ता वैज्ञानिकों ने उन्हें गलत आंकड़े प्रस्तुत किये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सारी समस्या को सुन्दर ढंग से रखा है । मुख्य प्रश्न पदोन्नति और चयन के लिए सही सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करना है ।

क्या सरकार विभिन्न संस्थानों में वैज्ञानिकों की भर्ती और चयन आदि से सम्बद्ध कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत निर्धारित करेगी ताकि केवल व्यक्तिगत खुशामद या क्षेत्रीयता आदि के आधार पर वैज्ञानिक प्रतिभा में भेदभाव न किया जा सके । मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से भी सहमत हूं कि प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय होना चाहिये ।

प्रतिभा सम्पन्न युवा वैज्ञानिक ने अपनी पत्नी, बच्चों आदि की परवाह न करते हुये, विज्ञान की अविछन्न प्रगति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया । उसके बलिदान की परिस्थितियों की पूर्ण जांच के लिए एक ऐसी समिति नियुक्त की जानी चाहिये जिसके सदस्य कुछ प्रमुख वैज्ञानिक, कुछ संसद सदस्य और यदि संभव हो तो कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भी हों ताकि भविष्य में कोई वैज्ञानिक इस प्रकार अपने जीवन का बलिदान न कर पाये ।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : देश के एक होनहार युवा वैज्ञानिक द्वारा आत्महत्या

किये जाने के बारे में सदन में जो शोक व्यक्त किया गया है, सदस्यों ने जिस गंभीरता से अपनी संवेदना व्यक्त की है, मैं उससे भलीभांति अवगत हूं। अन्य सदस्यों की तरह मैं भी यही चाहता हूं कि भविष्य में कोई वैज्ञानिक इस प्रकार अपना अमूल्य जीवन समाप्त न करें।

यद्यपि डा० शाह की आत्महत्या के बारे में सदन में विभिन्न सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रश्न उठाये गये हैं तथा विभिन्न सुझाव दिये हैं तथापि इन सब में से महत्वपूर्ण बात यह है कि डा० शाह ने किन परिस्थितियों से बाध्य होकर आत्महत्या की ? इस तथ्य का पूर्ण पता लगाने के बारे में हमने एक समिति नियुक्त कर दी है ताकि वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

डा० शाह ने अपने अन्तिम पत्र में तीन मुख्य प्रश्न उठाये हैं। इनमें से प्रथम का सम्बन्ध तो भर्ती की प्रक्रिया पर पुनः विचार करने का है। दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध संदेहपूर्ण अनुसंधान कार्य को बिना उचित अनुमोदन के महत्व प्रदान करने का है। डा० शाह द्वारा उठाया गया तीसरा प्रश्न विभागाध्यक्ष द्वारा वैज्ञानिकों के कार्य का असन्तोषजनक पर्यवेक्षण करने का है। इसीलिए 8 मई, 1972 को लोकसभा में दिये गये वक्तव्य में इस दुःखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया गया था परन्तु उसके बाद इस घटना के बारे में जो कुछ भी कहा गया है या जो कुछ भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उससे कृषि अनुसंधान कार्य में लगे लोगों के हित की अपेक्षा अहित अधिक हुआ है। 8 मई को दिये गये वक्तव्य में यह कहा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भर्ती नियमों का पुनर्वेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की जायेगी। अब इस कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत डा० गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। रक्षा मन्त्रालय के विज्ञान सलाहकार, डा० बी० डी० नाग चौधरी, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, डा० एच० एन० सेतिया और ग्राम विद्युतीकरण निगम के अध्यक्ष श्री बी० वेकटापिय्या, इसके तीन अन्य सदस्य होंगे। इस समिति में एक अन्य सदस्य की नियुक्ति भी की जायेगी। समिति को दिये गये निदेश-पदों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :—

(एक) डाक्टर शाह द्वारा किन कारणों के लिए आत्महत्या की गई तथा 5 मई 1972 को उसके द्वारा डाक्टर सामीनाथन के लिखे गये पत्र में उठाये गये प्रश्नों आदि का परीक्षण करना।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भर्ती तथा अन्य सम्बद्ध नियमों का पुनरीक्षण कर उनमें सुधार करने के लिए सुझाव देना।

इसके साथ ही यदि समिति उचित समझे तो इसके कार्यक्षेत्र में और वृद्धि भी कर दी जायेगी। परन्तु अभी तो समिति केवल गत दो वर्षों में की गई पदोन्नतियों पर ही विचार करेगी। मुझे आशा है कि सदन, समिति के निदेश-पदों से सतुष्ट होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I welcome the decision of the Government to appoint an Enquiry Committee, headed by a retired Chief Justice of Supreme Court. But I wish that the terms of reference must be reconsidered. May I presume from the announcement of hon. Minister that other agriculture institutes which have not been associated with the Council, will also be covered in terms of reference quoted by him ? A Member of the Parliament must be associated with this Enquiry Committee. I fully agree with Shri Inderjit Gupta that our Agriculture

Institutes are being dominated by foreigners and foreign powers. Our Agricultural Institutions must be brought out of American dominance. The Committee should be fully empowered to look into the reasons of discontentment among scientists.

It is apparent from the debate that hon. Minister and several other Members were predetermined to shower their praise for Dr. Swaminathan and Shri Menon. Their speeches were more or less based on sectarian feelings. But those who deserve praise at one time, cannot he above error all the time. They can commit error and be victim of criticism. I personally know Dr. Swaminathan and his contribution towards science. In the interests of the scientists, it is essential that all sort of favouritism must be put to an end. Every opportunity should be provided to new scientists for the promotion of their scientific talent. I hope that the terms of reference of the Committee will be suitably amended and a Member of Parliament will be associated with the Committee.

सभापति महोदय : क्या आप सदन की अनुमति से प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 2 वापिस लेते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The motion was withdrawn by leave of the House.

इसके पश्चात् लोक-सभा 26 मई, 1972/5 ज्येष्ठ, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 26, 1972/Jyaistha 5, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd. Lucknow—9-8-72—490